सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

रामगंजमण्डी मास्टर प्लान

(2011–2031)

आवास विकास लिमिटेड, आकार कन्सलटेन्ट्स, कोटा

नगर नियोजन विभाग

राजस्थान–जयपुर

राजस्थान सरकार

रामगंजमण्डी मास्टर प्लान

(2011–2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम,
1959 के अन्तर्गत् तैयार किया गया)

आवास विकास लिमिटेड
जयपुर

आकार कन्सलटेन्ट्स,
कोटा

नगर नियोजन विभाग

राजस्थान–जयपुर

आभार

रामगंजमण्डी नगर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में रामगंजमण्डी के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना विशेष आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय राजस्थान की इस नगरी के विकास कार्यों में समर्पित किया है।

मैं जिला कलक्टर कोटा, राजस्थान का विशेष आभारी हूँ , जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय–समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया।

मैं अध्यक्ष, नगर पालिका, रामगंजमण्डी का विशेष आभारी हूँ , जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय–समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया।

मास्टर प्लान को बनाने में विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए सभी वांछनीय सर्वेक्षण तथा सूचनाओं को एकत्र करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सम्बन्धित सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जल प्रदाय, शिक्षा, वन, पर्यटन इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने अपना सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में अपना प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग दिया है।

अन्त में मैं, सभी नागरिकों से आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस नगर को मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सम्पूर्ण सहयोग बनाये रखेंगे।

(वी. के. दलेला)
वरिष्ठ नगर नियोजक
कोटा जोन, कोटा

प्रस्तावना

रामगंजमण्डी राजस्थान के कोटा जिले का एक प्रमुख नगर है। यह कोटा जिले का बहुमुखी औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि से विकासशील नगर है। रामगजमण्डी 24040′ उत्तरी अक्षांश और 75047′ पूर्वी देशान्तर के मिलान बिन्दु पर स्थित है। यह कोटा जिले का उप–खण्ड मुख्यालय है, जो कोटा से 73 किमी दक्षिण में दिल्ली–मुम्बई ब्रॉडगेज रेल लाइन पर स्थित है। लगभग 10 किमी की दूरी पर यह सुकेत / हीरियाखेड़ी तिराहे पर सड़क द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से जुड़ा हुआ है।

अमूल्य कृषि व खनिज उत्पाद जैसे धनिया, सोयाबीन, चूना पत्थर व कोटा स्टोन इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है, जो यहां की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं।

रामगंजमण्डी नगर की वर्ष 1951 की जनसंख्या 5111 थी, जो कि वर्ष 1981 में बढ़कर 15534 हो गयी एवं साथ ही खैराबाद की 8016 जनसंख्या भी रामगंजमण्डी के साथ जुड़ गयी। ऐसे में रामगंजमण्डी मास्टर प्लान 1981–2001 तैयार किया गया, जिसका अनुमोदन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.10(5) न.वि.आ./3/81 दिनांक 02–09–1989 द्वारा किया गया। उक्त मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.10 (5) न.वि.आ./3/81 दिनांक 06–03–2002 द्वारा बढ़ाकर 2011 तक कर दिया गया था।

आधार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रामगंजमण्डी नगर की अनुमानित जनसंख्या लगभग 43500 एवं खैराबाद की जनसंख्या लगभग 13000 है। परन्तु निकटवर्ती राजस्व ग्राम यथा कुदायला, मायला, सांडपुर, अमरपुरा, सातलखेड़ी एवं कुम्भकोट हैं, जो रामगंजमण्डी से लगभग जुड़ चुके हैं, को भी मास्टर प्लान 2031 की प्रस्तावित जनसंख्या के आंकलन हेतु आधार जनसंख्या 68695 में सम्मिलित किया गया है।

जनसंख्या वृद्धि के साथ अनेक नगरीय समस्याओं जैसे आवासों की कमी, सामुदायिक सुविधाओं का अभाव तथा अव्यवस्थित यातायात का सामना नगर के लोगों को करना पड़ रहा है। अतः आवश्यक हो गया है कि नगरीय समस्याओं का समाधान कर भावी विकास एवं विस्तार को नई दिशा देने हेतु नगर का मास्टर प्लान तैयार किया जावें।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.10(5) न.वि.आ./3/81 दि. 07 मार्च, 2011 के अनुसरण में नगर नियोजन विभाग द्वारा "आकार कन्सलटेन्ट्स, कोटा" के माध्यम से रामगंजमण्डी नगर का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण करवाया गया तथा विभिन्न सूचनाऐं संकलित की गई। आधार वर्ष 2011 तक के नगरीय विकास को ध्यान में रखते हुए क्षितिज वर्ष 2031 तक की नगरीय आवश्यकताओं व सुविधाओं का आंकलन करते हुए यह प्रारूप मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

इस मास्टर प्लान से जहाँ नगर की जनता की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव होगी, वहीं मास्टर प्लान के उद्देश्य पूर्ण होने पर नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध होगा तथा नगर को स्वच्छ एवं सुनियोजित विकास की दिशा मिल सकेगी। इसको अन्तिम रूप देने से पूर्व नागरिकों से आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित करने हेतु इस योजना का प्रारूप दिनांक 09–08–2012 को प्रकाशित कर कार्यालय नगर पालिका, रामगंजमण्डी के सभागार में दिनांक 09–08–2012 से 07–09–2012 तक प्रदर्शनी का आयोजन कर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये। मास्टर प्लान के प्रारुप की प्रतियाँ संबंधित विभागों, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं ग्राम पंचायतों को भी आपत्ति/सुझाव के लिए भेजी गई।

उक्त निर्धारित अवधि में कुल 81 आपत्ति/सुझाव पत्र एवं अवधि के पश्चात् 15 आपत्ति/सुझाव पत्र प्राप्त हुऐ जिनमें कुल 138 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए। इन आपत्तियों/सुझावों पर लिये निर्णयों का विस्तृत विवरण तालिका संख्या – 2 एवं रिपोर्ट में वर्णित है। 138 आपत्ति/ सुझावों में से 19 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत, 30 आपत्ति/सुझाव आंशिक स्वीकृत, 35 आपत्ति/सुझाव कार्यवाही अपेक्षित नहीं एवं 54 आपत्ति/सुझाव अस्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मौके की स्थिति एवं मानचित्र में त्रुटि के कारण अन्य संशोधन किये जाकर मास्टर प्लान को अंतिम रुप दिया गया है।

इस प्रकार रामगंजमण्डी मास्टर प्लान एवं नगरीय क्षेत्र मानचित्र, भू–उपयोग में आंशिक स्वीकृत आपत्ति/सुझाव के मद्देनजर वांछित परिवर्तन करते हुये मास्टर प्लान अन्तिम रूप से तैयार कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 (1) के अंर्तगत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

(वी. के. दलेला)
वरिष्ठ नगर नियोजक
कोटा जोन, कोटा

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम,1959 की धारा 6 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प010(5) नविवि/3/81 दिनांक 23.09.2013 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट–5)

योजना–दल

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा

1.	श्री वी. के. दलेला	:	वरिष्ठ नगर नियोजक
2.	श्री चैतन्य कुमार गौतम	:	सहायक अभियन्ता
3.	श्री विष्णु गुप्ता	:	सहायक नगर नियोजक
4.	श्रीमती रूचि गुप्ता	:	सहायक नगर नियोजक
5.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	:	कनिष्ठ अभियन्ता
6.	श्री गोपाल कृष्ण जैन	:	वरिष्ठ प्रारूपकार
7.	श्री शिवशंकर शर्मा	:	कनिष्ठ प्रारूपकार
8.	श्री शिवप्रकाश नामा	:	निजी सहायक
9.	श्री प्यारा सिंह	:	शीघ्र लिपिक

सलाहकार :–

आकार कन्सलटेन्ट्स, कोटा (राज.)

1.	श्री पीयूष कुमार गोयल	:	मुख्य सलाहकार एवं नगर नियोजक
2.	सुश्री श्वेता शर्मा	:	सलाहकार एवं प्रारूपकार
3.	श्री आशीष जैन	:	अभियान्त्रिकी सलाहकार
4.	श्री जगदीश सैनी	:	मुख्य सर्वेयर
5.	श्री अनिल जैन	:	सर्वेयर
6.	श्री भूपेन्द्र सोनी	:	कम्प्यूटर ऑपरेटर

विषय–सूची

क्र.सं.				विषय सूची	पृष्ठ संख्या
				आभार	i
				प्रस्तावना	ii-iii
				योजना दल	iv
				विषय सूची	v- ix
				तालिका सूची	x
1.0				**परिचय**	1-5
2.0				**विद्यमान विशेषताएँ**	6
	2.1			भौतिक स्वरूप एवं जलवायु	6
	2.2			क्षेत्रीय परिपेक्ष्य	7
	2.3			ऐतिहासिक	7-9
	2.4			जनांकिकी	9-11
	2.5			व्यावसायिक संरचना	11
	2.6			विद्यमान भू–उपयोग	12
		2.6 (1)		आवासीय	13
			2.6 (1) अ	आवासन	
			2.6 (1) ब	कच्ची बस्तियाँ	
		2.6 (2)		वाणिज्यिक	13-15
		2.6 (3)		औद्योगिक	15-16
		2.6 (4)		सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय	16-17
		2.6 (5)		आमोद–प्रमोद	17-19
			2.6 (5) अ	उद्यान एवं खुले स्थल	
			2.6 (5) ब	स्टेडियम एवं खेल मैदान	
			2.6 (5) स	अर्द्ध–सार्वजनिक मनोरंजन	
			2.6 (5) द	मेले एवं पर्यटन सुविधाएँ	

		2.6 (6)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक	19-25
		2.6 (6) अ	शैक्षणिक	
		2.6 (6) ब	चिकित्सा	
		2.6 (6) स	समाजिक / सांस्कृतिक	
		2.6 (6) द	धार्मिक / ऐतिहासिक / धरोहर स्थल	
		2.6 (6) य	अन्य सामुदायिक सुविधाऐं	
		2.6 (6) र	जनोपयोगी सुविधाएँ	
		2.6 (6) र (i)	जलापूर्ति	
		2.6 (6) र (ii)	विद्युत आपूर्ति व वितरण	
		2.6 (6) र (iii)	जल–मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन	
		2.6 (6) र (iv)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	
		2.6 (7)	परिसंचरण	25-26
		2.6 (7) अ	यातायात व्यवस्था	
		2.6 (7) ब	बस एवं ट्रक टर्मिनल	
		2.6 (7) स	रेल एवं हवाई सेवा	
	2.7		गत् मास्टर प्लान (1981–2001–2011) प्रस्ताव व वर्तमान विकास की समीक्षा	26-30
3.0			**नियोजन की संकल्पना**	31
	3.1		नियोजन की नीतियाँ	32
	3.2		नियोजन के सिद्धांत	32-36
4.0			**भावी आकार**	37
	4.1		जनांकिकी	37-38
	4.2		व्यावसायिक संरचना	38-39
	4.3		नगरीय क्षेत्र	39
	4.4		नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	40
	4.5		योजना क्षेत्र	40-45

		खैराबाद योजना क्षेत्र	
		रामगंजमण्डी योजना क्षेत्र	
		निमाना सड़क योजना क्षेत्र	
		कुम्भकोट सड़क योजना क्षेत्र	
		परिधि नियन्त्रण योजना क्षेत्र	
5.0		**भू–उपयोग योजना**	45
5.1		आवासीय	47-50
	5.1 (1)	आवासन	
	5.1 (2)	इन्फोरमल सेक्टर के लिए आवास	
	5.1 (3)	मिश्रित उपयोग	
	5.1(3)	नगरीय नवीनीकरण / कच्ची बस्तियाँ	
5.2		व्यावसायिक	50-54
	5.2 (1)	जिला केन्द्र	
	5.2 (2)	वाणिज्यिक केन्द्र	
	5.2 (3)	अन्य वाणिज्यिक केन्द्र	
	5.2 (4)	थोक व्यापार	
	5.2 (5)	भण्डारण एवं गोदाम	
5.3		औद्योगिक	54-56
	5.3 (1)	औद्योगिक क्षेत्र	
		कुम्भकोट सड़क औद्योगिक क्षेत्र	
		निमाना सड़क औद्योगिक क्षेत्र	
		जुल्मी सड़क औद्योगिक क्षेत्र	
		सातलखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र	
		अन्य औद्योगिक क्षेत्र	
5.4		राजकीय	57
	5.4 (1)	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय	
5.5		आमोद–प्रमोद	57-60

	5.5 (1)		उद्यान एवं खुले स्थल	
	5.5 (2)		स्टेडियम एवं खेल मैदान	
	5.5 (3)		अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन	
	5.5 (4)		मेले / पर्यटन सुविधाएँ	
5.6			सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	60-66
	5.6 (1)		शैक्षणिक	
	5.6 (2)		चिकित्सा	
	5.6 (3)		सामाजिक एवं सांस्कृतिक	
	5.6 (4)		धार्मिक स्थल / ऐतिहासिक स्थल	
	5.6 (5)		अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	
	5.6 (6)		जनोपयोगी सुविधाएँ	
		5.6 (6) अ	जलापूर्ति	
		5.6 (6) ब	जल–मल निस्तारण व्यवस्था	
		5.6 (6) स	ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन	
		5.6 (6) द	विद्युत	
	5.6 (7)		श्मशान एवं कब्रिस्तान	
5.7			हाईवे डवलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र	66-67
5.8			परिसंचरण	67
	5.8 (1)		प्रस्तावित यातायात संरचना	67-72
			सड़कों का मार्गाधिकार	
			सड़कों को चौड़ा करना व उनका सुधार	
			चौराहों का सुधार	
			पार्किंग व्यवस्था	
	5.8 (2)		बस एवं ट्रक टर्मिनल	72-73
			यातायात नगर	
			सार्वजनिक बस सेवा	
			बस अड्डा	

	5.8 (3)	रेल एवं हवाई सेवा रेलवे हवाई सेवा	73
5.9		परिधि नियन्त्रण पट्टी	73
	5.9.1	ग्रामीण आबादी क्षेत्र	74
5.10		खनन	74-75
5.11		क्षेत्रीय विकास	75
6.0		**मास्टर प्लान का क्रियान्वयन**	76
6.1		वर्तमान आधार	76
6.2		प्रस्तावित आधार	76-77
6.3		जन सहभागिता एवं जन सहयोग	77
6.4		भू–उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	77-78
6.5		उपसंहार	78
6.6		योजना का क्रियान्वयन	79
		परिशिष्ट :	
	परिशिष्ट 1	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण	80-81
	परिशिष्ट 2	राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण	82-83
	परिशिष्ट 3	राजकीय अधिसूचना दिनांक 07.03.2011	84-85
	परिशिष्ट 4	राजकीय संशोधित अधिसूचना दिनांक 27.02.2012	86
	परिशिष्ट 5	राजकीय अधिसूचना दिनांक 23.09.2013	87

तालिका–सूची

क्र.सं.	तालिका	पृष्ठ संख्या
1	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति 1951–2011	10
2	व्यावसायिक संरचना 1971–2001	11
3	विद्यमान भू–उपयोग–2011	12
4	कृषि जिन्सों की आवक – रामगंजमण्डी – 2001–2010	15
5	औद्योगिक इकाईयाँ, – रामगंजमण्डी –2011	16
6	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय – रामगंजमण्डी –2011	17
7	शैक्षणिक संरचना– रामगंजमण्डी –2011	20
8	विद्यमान चिकित्सा सुविधाऐं– रामगंजमण्डी –2011	21
9	जल आपूर्ति– रामगंजमण्डी –2011	23
10	विद्युत आपूर्ति एवं वितरण सुविधा– रामगंजमण्डी –2011	24
11	वाहनों की संख्या–रामगंजमण्डी –2010–2011	25
12	भू–उपयोग समीक्षा–रामगंजमण्डी–2011	30
13	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति–रामगंजमण्डी– 2011–2031	38
14	व्यावसायिक संरचना –रामगंजमण्डी –2021–2031	39
15	योजना क्षेत्र –रामगंजमण्डी –2031	41
16	प्रस्तावित भू–उपयोग–रामगंजमण्डी –2031	46
17	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण–रामगंजमण्डी –2031	51
18	प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्रों का विवरण–रामगंजमण्डी –2031	52
19	प्रस्तावित विशिष्ट एवं थोक व्यापार–रामगंजमण्डी –2031	53
20	औद्योगिक गतिविधियों का विवरण–रामगंजमण्डी –2031	55
21	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र–रामगंजमण्डी –2031	56
22	प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना–रामगंजमण्डी –2031	61
23	सड़कों का मानक मार्गाधिकार	69

24 विद्यमान व प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार–रामगंजमण्डी– 2031 69-70

1
परिचय

रामगंजमण्डी' कोटा जिले का एक तेजी से विकास करता हुआ नगर है, जो वर्ष 1975 से उपखण्ड़ मुख्यालय के रूप में कार्यरत् है। यह नगर जिला मुख्यालय कोटा से लगभग 73 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है। यह दिल्ली–मुम्बई बड़ी रेलवे लाईन का एक मुख्य स्टेशन है। रामगंजमण्डी हाल ही में रेलवे लाईन द्वारा झालावाड़ से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग–12 इसके पूर्व में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरता है एवं राज्य–राजमार्ग 9बी व राज्य–राजमार्ग 9ए कस्बे के मध्य से गुजरते है, जो कि रामगंजमण्डी को मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मुख्य नगरों से जोड़ते है। इस नगर की सीमा से हाड़ौती क्षेत्र प्रारम्भ होता है तथा मालवा क्षेत्र की सीमा समाप्त होती है।

भविष्य के विकास का अन्दाजा लगाकर भूतपूर्व कोटा स्टेट के महाराव श्री रामसिंह जी ने इस स्टेशन पर बस्ती बसाने का काम लगभग 100 वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया था। भौगोलिक स्थिति के कारण यह नगर स्वतन्त्रता के समय से पूर्व ही काफी तीव्रता के साथ विकास कर चुका था। कालान्तर में इस नगर का विकास होता गया। यहाँ की भूमि उपजाऊ है। उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में यहाँ कपास की खेती अधिक मात्रा में होती थी। अमूल्य कृषि एवं खनिज उत्पाद जैसे – धनिया, सोयाबीन, चूना पत्थर व कोटा स्टोन इस क्षेत्र के मुख्य उत्पाद हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं। इस प्रकार धीरे–धीरे यह स्थान व्यापारिक एवं व्यावसायिक मण्डी का रूप लेता गया।

वर्ष 1912 में रेलवे लाईन से जुड़ने के बाद यह नगर व्यापार और वाणिज्यक, विनिर्माण व प्रशासनिक मुख्यालय का नया केन्द्र बना। इससे पूर्व तहसील का कार्यालय खैराबाद में था। वर्ष 1910 से वर्ष 1912 में एक जिनिंग फैक्ट्री स्थापित हुई। विभिन्न उपयोगों हेतु भूखण्डों का आवंटन वर्ष 1918 से प्रारम्भ हुआ। चिकित्सालय व पुलिस चौकी वर्ष 1930 से 1935 के मध्य में स्थापित हुई। उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1942 से 1945 के मध्य निर्मित हुआ। नगर पालिका का गठन 1934 में हुआ और इसका वर्तमान भवन वर्ष 1947 में निर्मित हुआ। नगर में

मुख्य विकास कार्य वर्ष 1960 के बाद हुए परिणाम स्वरूप तहसील मुख्यालय खैराबाद से रामगजमंडी स्थानान्तरित हुआ।

विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यालय जैसे – उपखण्ड अधिकारी, अदालत आदि स्थापित हुए और कुछ रिहायशी क्षेत्र रेलवे लाईन के पार स्थापित हुए। वर्ष 1960 से नगर का विकास वास्तविक नियोजित परिसीमा में हुआ। तत्पश्चात् 1970 में ए.एस.आई. समूह ने नगर पालिका की सीमा के बाहर सुकेत सड़क पर पूर्व दिशा में कुदायला गाँव के समीप एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया। कृषि उपज मण्डी वर्ष 1973 में स्थापित हुई।

बढ़ती औद्योगिक माँग के साथ रीको ने ए.एस.आई. परिसर के समीप एक नया औद्योगिक क्षेत्र वर्ष 1979 में विकसित किया। इसके अतिरिक्त बड़े बाजारों की आवश्यकताओं के विकास और नगर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक औधोगिक क्षेत्र कुम्भकोट सड़क पर स्थापित किया गया। इस क्षेत्र में 1970–1990 के दौरान काफी संख्या में निजी औद्योगिक इकाईयाँ कोटा स्टोन की कटिंग एवं पॉलिशिंग का कार्य कर रही थी। नया नगर ग्रिड़ चोखाना तर्ज में आयताकार आकार के साथ आवश्यक चौड़ाई की सड़कों व निरन्तर इमारतों के खण्डों व चौपड़ इत्यादि के साथ बसाया गया। पूर्व दिशा में 3 किमी दूरी तक रीको औद्योगिक क्षेत्र एवं काफी संख्या में निजी औद्योगिक इकाईयों का विकास हुआ। पत्थर की प्रचुरता के कारण सुकेत रामगंजमण्डी सड़क पर रेखीय विकास की आकृति का अनुसरण करते हुए बड़ी संख्या में निजी कोटा स्टोन कटिंग एवं पॉलिशिंग इकाईयाँ स्थापित हुई। इस प्रकार पुराना रामगंजमण्डी नगर फैलकर तीन भागों में बँट गया यथा पश्चिम में खैराबाद सड़क स्थित ए. एस. आई. टाउनशिप एवं दक्षिण–पूर्व में रीको औद्योगिक क्षेत्र, ए.एस.आई. औद्योगिक क्षेत्र तथा मध्य में रामगंजमण्डी नगर।

नगर की जनगणना का कार्य वर्ष 1951 से शुरू किया गया, जब इसकी जनसंख्या 5111 थी, जो कि वर्ष 1981 में बढ़कर 15534 हो गयी एवं साथ ही खैराबाद की 8016 जनसंख्या भी रामगंजमण्डी के नगरीय विस्तार के साथ जुड़ गयी। ऐसे में नगरीय विस्तार को देखते हुए नियोजित विकास की आवश्यकता महसूस की गयी एवं रामगंजमण्डी का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.10(5) न.वि.आ./3/81 दिनांक 27–08–1981 द्वारा कुल 10 राजस्व ग्रामों को मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में शामिल किया गया। ये ग्राम खैराबाद, हनुमतखेड़ा, मायला, सातलखेड़ी, कुदायला, अमरपुरा, सांडपुर, गोरधनपुरा, रोंसली एवं बिशन्याखेड़ी हैं। उक्त रामगंजमण्डी मास्टर प्लान 1981–2001 का अनुमोदन राज्य सरकार की

अधिसूचना क्रमांक प.10(5) न.वि.आ./3/81 दिनांक 02–09–1989 द्वारा किया गया। वर्ष 2001 के प्रस्तावित भू–उपयोग के अनुसार रामगंजमण्डी का विकसित क्षेत्र 1620 एकड़ प्रस्तावित किया गया था, जिसमें आवासीय 840, औद्योगिक 310, राजकीय कार्यालय 15, आमोद–प्रमोद 85, सार्वजनिक–अर्द्धसार्वजनिक 105, परिसंचरण 150 एवं वाणिज्यिक 115 एकड़ प्रस्तावित था। रामगंजमण्डी मास्टर प्लान – 2001 में क्षितिज वर्ष 2001 की जनसंख्या 55000 अनुमानित की गयी थी, जो कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार 40053 (रामगंजमण्डी 30973 एवं खैराबाद 9080) ही हो पायी। अतः वर्ष 2001 में नगर का विस्तार प्रस्तावित सीमाओं से कम होने एवं नगर की जनसंख्या में अनुमान से कम वृद्धि होने के कारण उक्त मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.10(5) न.वि.आ./3/81 दिनांक 06–03–2002 द्वारा बढ़ाकर 2011 तक कर दिया गया।

वर्ष 2011 के विद्यमान भू–उपयोग के अनुसार रामगंजमण्डी का विकसित क्षेत्र 2357 एकड़ है, जिसमें आवासीय 600, वाणिज्यिक 384, औद्योगिक 670, राजकीय कार्यालय 19, आमोद–प्रमोद 39, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक 211 एवं परिसंचरण 435 एकड़ है। यह आँकड़े दर्शाते हैं कि पिछले दशक में रामगंजमण्डी में औद्योगिक भू–उपयोग की वृद्धि अनुमान से कहीं ज्यादा है। जबकि आवासीय एवं आमोद–प्रमोद भू–उपयोगों की वृद्धि अनुमान से कहीं कम है। इससे यह इंगित होता है कि नगर में रिहायशी उपयोगों का सकेन्द्रीकरण है एवं नगर की बसावट अत्यधिक घनी व तंग हो चुकी है। यहाँ आवासीय घनत्व 200 व्यक्ति प्रति एकड़ तक है। नगर में आमोद–प्रमोद हेतु भू–उपयोगों का विकास न होने से नगर में खुले स्थलों, उद्यानों एवं अन्य नागरिक सुविधाओं का गहन अभाव है। आँकड़ों के अनुसार सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भू–उपयोग में वृद्धि अनुमान से ज्यादा है, परन्तु यह कुछ शैक्षणिक परिसरों हेतु आवंटित भूमि को गणना में सम्मिलित किये जाने के कारण है। अन्य प्रकार की सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है।

नगर की भौतिक सीमाओं का विस्तार औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोगों के कारण सभी प्रमुख सड़कों यथा उत्तर–पश्चिम में राज्य–राजमार्ग 9बी पर खैराबाद के आगे मोड़क की ओर नवोदय विद्यालय तक, दक्षिण–पश्चिम में राज्य–राजमार्ग 9ए पर उण्डवा सड़क पर रुक्मणी देवी राजकुमार बड़जात्या कन्या महाविद्यालय एवं इन–डोर स्टेडियम तक, दक्षिण में जुल्मी को जाने वाली सड़क पर लगभग 5 किमी. की दूरी तक, दक्षिण पूर्व में कुदायला से कुम्भकोट जाने वाली सड़क पर औद्योगिक विकास लगभग 5 किमी. दूरी तक, पूर्व में राज्य–राजमार्ग 9बी पर सुकेत की ओर सातलखेड़ी तक, उत्तर में निमाणा को जाने वाली

सड़क पर राजकीय महाविद्यालय एवं मसाला पार्क तक हो गया है। रीको औद्योगिक क्षेत्र के समीप कई नई औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हो चुकी हैं, जहाँ बड़ी संख्या में मजदूर खदानों में पत्थर काटने, चमकाने और प्रसंस्करण के कार्यों को करते देखे जा सकते हैं।

अतः स्पष्ट है कि नगर की भौतिक सीमाओं का बेतरतीब तरीके से विस्तार हुआ है। समानुपातिक रूप से रिहायशी उपयोगों का विस्तार नहीं होने के कारण नगर का औसत आवासीय घनत्व करीब 115 व्यक्ति प्रति एकड़ है, जिससे कि बढ़ी हुई जमीन की दरों और घटते हुए रिहायशी भवनों की सुविधा के कारण नगर में जीवन यापन काफी मंहगा हो गया है। इस दौरान कृषि भूमि पर कई आवासीय कॉलोनियाँ विकसित हो गई हैं, जिनमें नियोजन के सिद्धांतों को ध्यान न रखकर अनियोजित एवं अव्यवस्थित रूप से नये निर्माण हो रहे हैं।

ट्रांसपोर्ट, रिपेयर, भवन निर्माण सामग्री व अन्य भारी सामानों के बाज़ारों से नगर में भारी यातायात उत्पन्न होता है। व्यवसायिक गतिविधियाँ तंग क्षेत्रों में स्थित है, जो यातायात को अवरूद्ध करते हैं। नगर में यातायात प्रबन्धन नहीं है। खैराबाद सड़क व सुकेत सड़क पर नगरीय विकास का दबाव रहा है। रामगंजमण्डी नगर के पूर्व के मास्टर प्लान में उपरोक्त समस्याओं को समाधान हेतु यद्यपि आवश्यक सुझाव दिये गये थे एवं मास्टर प्लान का क्रियान्वयन नगर पालिका व विभिन्न विभागों द्वारा किया जाना था, परन्तु अनेक कारणों से नगर का उचित विकास नहीं हो पाया। नगर हाल ही में रेल मार्ग द्वारा झालावाड़ से जुड़ गया है एवं मध्य प्रदेश के अन्य बड़े नगरों भोपाल आदि से भी सड़क मार्ग द्वारा सम्पर्क बढ़ने से आने वाले वर्षों में विकास का नया आयाम विकसित होगा। उपरोक्त उभरती हुई समस्याओं के कारण यह आवश्यक हो गया है कि नगर के योजनाबद्ध विकास के लिये नया मास्टर प्लान तैयार किया जाये।

रामगंजमण्डी मास्टर प्लान 2031 हेतु वर्ष 2001 की कुल आधार जनसंख्या रामगंजमण्डी, खैराबाद, मायला, सातलखेड़ी, कुदायला, अमरपुरा, सांडपुर एवं कुम्भकोट ग्रामों की जनसंख्या को सम्मिलित करते हुए 68695 मानी गयी है। वर्ष 2011 में यह आधार जनसंख्या अनुमानतः लगभग 99000 है। चूंकि वर्तमान मास्टर प्लान का संशोधित क्षितिज वर्ष 2011 था, अतः राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान पुनः बनवाये जाने का निर्णय लिया गया। आवास विकास लिमिटेड, जयपुर के माध्यम से 'आकार कन्सलटेन्ट्स, कोटा' को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है।

वर्तमान में नगरीय विकास के विस्तार की सीमाओं में आस–पास के ग्रामों के सम्मिलित होने से नियोजित विकास की आवश्यकता को तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। अतः

मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष 2031 मानते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.10(5) न. वि.आ./3/81 दिनांक 07–03–2011 द्वारा 10 पुराने एवं 20 नये, अतः कुल 30 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। तत्पश्चात् राज्य सरकार की संशोधित अधिसूचना क्रमांक प.10(5) न.वि.आ./3/81 दिनांक 27–02–2012 एक ओर राजस्व ग्राम नगरीय सीमा में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार कुल 31 राजस्व ग्राम रामगंजमण्डी की नगरीय सीमा में सम्मिलित किये गये हैं।

रामगंजमण्डीं प्रारूप मास्टर प्लान की प्रतियॉ सम्बन्धित विभागों एवं जन प्रतिनिधियों को भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के लिए भेजी गयी। मास्टर प्लान के संबंध में अधिसूचना स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गयी।

उक्त निर्धारित अवधि में कुल 81 आपत्ति/सुझाव पत्र एवं अवधि के पश्चात् 15 आपत्ति/सुझाव पत्र प्राप्त हुऐ जिनमें कुल 138 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए। इन आपत्तियों/सुझावों पर लिये निर्णयों का विस्तृत विवरण तालिका संख्या – 2 एवं रिपोर्ट में वर्णित है। 138 आपत्ति/ सुझावों में से 19 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत, 30 आपत्ति/सुझाव आंशिक स्वीकृत, 35 आपत्ति/सुझाव कार्यवाही अपेक्षित नहीं एवं 54 आपत्ति/सुझाव अस्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मौके की स्थिति एवं मानचित्र में त्रुटि के कारण अन्य संशोधन किये जाकर मास्टर प्लान को अंतिम रुप दिया गया है।अतः मास्टर प्लान, रामगंजमण्डीं को अन्तिम रूप से तैयार कर राज्य सरकार को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 (1) के अर्न्तगत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

(वी. के. दलेला)
वरिष्ठ नगर नियोजक
कोटा जोन, कोटा

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम,1959 की धारा 6 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प010(5) नविवि/3/81 दिनांक 23.09.2013 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट–5)

2

विद्यमान विशेषताएँ

रामगंजमण्डी राजस्थान के कोटा जिले का उप–खण्ड मुख्यालय है। यह कोटा से 73 किमी दक्षिण में दिल्ली–मुम्बई ब्रॉडगेज रेल लाइन पर स्थित है। हाल ही में भोपाल की ओर एक नई रेलवे लाईन से भी इसका जुड़ाव हुआ है। इस कारण देश के अधिकांश महत्वपूर्ण नगरों से इसका सीधा रेल सम्पर्क है। नगर के मध्य से राज्य–राजमार्ग 9बी एवं 9ए गुजरते है। लगभग 10 किमी. की दूरी पर यह राज्य–राजमार्ग 9बी द्वारा सुकेत नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग–12 (जयपुर–जबलपुर) से जुड़ा है, जिस कारण राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के मुख्य नगरों से सीधा सम्पर्क में है।

2.1 भौतिक स्वरूप एवं जलवायु :–

रामगजमंडी नगर 24040′ उत्तरी अक्षांश और 75047′ पूर्वी देशान्तर के मिलान बिन्दु पर स्थित है। नगर हाड़ौती पठार की दक्षिण पश्चिमी भाग पर माध्य समुद्रतल से 360.30 मीटर की ऊँचाई पर है। वर्ष 1991 से यह अर्द्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र हैं। जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 956.20 मिली मीटर आंकी गई है। यहाँ का अधिकतम तापमान 480 व न्यूनतम तापमान 90 आँका गया है और औसत आर्द्रता 42 प्रतिशत तक रहती है। वर्ष 2000–2001 में तहसील में कुल वन क्षेत्र 132 वर्ग किलोमीटर था, जो कि तहसील के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 16.60 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट होता है कि तहसील में वन श्रृंखला भी है। यह क्षेत्र लगभग समतलीय मैदानी है। यहाँ की मृदा काली मिट्टी है, कहीं–कहीं चूना पत्थर भी पाया जाता है। नगर एवं आसपास के क्षेत्र का बरसाती पानी पासदी नदी में जाता है। नगर का सामान्य ढलान दक्षिण एवं दक्षिण–पूर्व की ओर है। गर्मी के मौसम में हवाऐं पश्चिम से पूर्व की ओर तथा सर्दी के मौसम में उत्तर–पूर्व से दक्षिण–पश्चिम की ओर बहती है।

2.2 क्षेत्रीय परिपेक्ष्य :–

कोटा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित सम्भागीय मुख्यालय है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ जिले आते है। कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ जिले सम्मिलित रूप से हाड़ौती क्षेत्र नाम से जाने जाते है। रामगंजमण्डी कोटा जिले का एक महत्वपूर्ण उप–खण्ड मुख्यालय है, जिसकी एक सीमा झालावाड़ जिले को छूती है। खैराबाद का नगरीय विकास रामगंजमण्डी के नगरीय विकास के साथ एकाकार हो चुका है। रामगंजमण्डी के पूर्व में सुकेत की ओर चूना पत्थर निकाला जाता है। तहसील के मध्य भाग में मोड़क रेलवे स्टेशन के चारों ओर भी चूना पत्थर पाया जाता है, जो कि मोड़क सीमेन्ट उद्योग में उपयोग में आता है। तहसील के मुख्य खनन क्षेत्र सुकेत, रामगंजमण्डी, चेचट, मोडक, जुल्मी, पीपाखेड़ी, सातलखेड़ी, सोहनखेड़ा, लक्ष्मीपुरा इत्यादि गाँव है।

रामगंजमण्डी रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग द्वारा सम्भाग के सभी जिलों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 'अ' श्रेणी की कृषि उपजमण्डी है। यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें धनिया, सरसों, सोयाबीन एवं ज्वार हैं। रामगंजमण्डी में कृषि उत्पाद एवं खनिजों की विपुलता होने तथा बड़ी रेल लाईन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ाव होने के कारण यहाँ आर्थिक विकास की प्रबल सम्भावनाऐं हैं।

2.3 ऐतिहासिक :–

अंग्रेजी राज्य में भारत में कच्चे माल को मुम्बई बन्दरगाह तक पहुँचाने व इंग्लैण्ड से पक्का माल भारत के सुदूर स्थानों तक बिक्री के लिए भेजने की व्यवस्थाओं को स्थाई एवं ठोस बनाने के लिए दिल्ली से मुम्बई तक एक रेलवे लाईन डाली थी, जो मुम्बई–बड़ौदा सेन्ट्रल रेलवे के नाम से जानी जाती थी। इस रेलवे लाईन के स्टेशनों में रामगंजमण्डी भी एक प्रमुख स्टेशन था। उस समय इसका नाम सुकेत सड़क था। परिवर्तन की परिस्थितियों में भविष्य के विकास का पूर्वानुमान लगाकर भूतपूर्व कोटा स्टेट के महाराव रामसिंह ने इस स्टेशन पर बस्ती बसाने का काम लगभग 100 वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया। कालान्तर में इस नगर का विकास होता गया। आधुनिक रामगंजमण्डी के स्वरूप का अधिकतम श्रेय स्वर्गीय महाराव उम्मेदसिंह व महाराव भीमसिंह को है।

इस नगर की सीमा से हाड़ौती क्षेत्र प्रारम्भ होता है तथा मालवा की सीमा समाप्त होती है। यहाँ की भूमि उर्वरा है, यहाँ कपास की खेती अधिक मात्रा में होती थी, अतः कृषि

उत्पादन के आधार पर यहाँ कपास से बिनोले अलग कर, रूई की गाँठे तैयार कर, उन्हें सीधे इंग्लैण्ड भेजा जाता था। इस प्रकार धीरे–धीरे यह स्थान व्यापारिक एवं व्यावसायिक मण्डी का रूप लेता गया। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम खीमच में पत्थर की खानें थी, जिसका उपयोग मकानों में फर्शी के लिए किया जाता था। शनैः–शनैः इस पत्थर उद्योग का तेजी से विकास होता गया। आगे चलकर यह पत्थर कोटा–स्टोन के नाम से जाना गया एवं राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने लगा।

वर्तमान में यह धनिया और पत्थर की राष्ट्रीय मण्डी के रूप में जानी जाती है। उपखण्ड स्तर के लगभग सभी विभागों के अधिकारियों के मुख्यावास यहाँ हैं। बालक व बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैक्षणिक सुविधाऐं हैं। आवागमन के भी प्रचुर साधन तैयार हो गये हैं। इसका सारा श्रेय देश के कोने–कोने से आने वाले समस्त उत्साही, कर्मठ तथा निष्ठावान उद्यमियों, व्यवसायियों, कारीगरों, मजदूरों तथा बुद्धिजीवियों को जाता है। यह क्षेत्र राष्ट्र की बलिवेदी पर सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले वीर योद्धाओं के लिए भी प्रमुख है। स्वतंत्रता सेनानियों में अमर क्रांति के शहीद पं. नयनूराम शर्मा, पन्नालाल यादव, भेरूलाल कालाबादल, दुर्गालाल याज्ञिक, पं. अभिन्नहरि, हरि भाई किंकर, बाबू दिलीप सिंह, रघुवर दयाल यादव, चौथमल यादव, छीतरमल मरमट आदि प्रमुख थे।

भारत को 1947 में आजादी मिल चुकी थी, परन्तु गोवा पुर्तगाली साम्राज्य के अधीन था। समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया के आह्वान पर देश के कोने–कोने से युवकों के जत्थे गोवा–मुक्ति आंदोलन के लिए जाने लगे, तो भला हाड़ौती अंचल कब पीछे रहने वाला था। कोटा से हीरालाल जैन के नेतृत्व में एक दल जिसमें 39 सदस्य थे, 12 अगस्त, 1955 की सुबह रवाना हुआ, जिसमें रामगंजमण्डी से पन्नालाल यादव के साथ रघुवर दयाल यादव, चौथमल यादव एवं छीतरमल मरमट आदि भी थे। इस प्रकार 15 अगस्त, 1955 के इस गोवा मुक्ति संग्राम में कोटा क्षेत्र के इस जत्थे का भरपूर योगदान रहा। रामगंजमण्डी में बस स्टैण्ड चौराहे का नामकरण शहीद पन्नालाल के नाम पर रखकर उनकी भव्य–मूर्ति स्थापित की गई है।

स्टेशन से पश्चिम में स्थित खैराबाद ग्राम में ''फलौदी माता'' का प्रसिद्ध देवालय है। जनश्रुति है कि माताजी की यह मूर्ति मेड़ता के फलौदी ग्राम में प्रकट हुई थी। वहाँ से रथ पर रखकर इस स्थान पर लाई गई है। फलौदी में प्रकट होने के कारण ही उन्हें फलौदीमाता नाम से जाना जाता है। खैराबाद स्थित माता का मन्दिर भव्य है। मन्दिर में

माताजी की मनोहर मूर्ति है। मूर्ति श्यामवर्ण की है एवं पास ही बालमुकुन्द जी की प्रतिमा है। माताजी के मन्दिर के सम्मुख एक कुण्ड है, जिसके जल में तीर्थ यात्री स्नान करते है। इस तीर्थ पर पुण्य तिथियों एवं पर्वों पर अनेक श्रद्धालु माताजी के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ भरने वाले मेलों में बसंत पंचमी को आयोजित होने वाला मेला प्रसिद्ध है। यहाँ पर सिंहस्थ गुरू के अवसर पर विशेष मेले का आयोजन होता है। यहाँ प्रतिवर्ष मेड़तवाल समाज का हाड़ौती का लघुकुम्भ मेला लगता है। रामगंजमण्डी में 300 वर्ष पुरानी पदमापीर की छतरी है। पदमापीर मेड़तवाल वैश्य थे। किवदंती है कि पदमापीर का युद्ध में सिर कट गया, उसके बाद भी वे झालावाड़ के गागरोन किले से घोड़ा दौड़ाते हुए यहाँ तक आ पहुँचे थे। यहाँ पर सांडपुर में एक चौबारा स्थित है। 125 वर्ष पुराना एक वट वृक्ष भी दर्शनीय है, जहाँ प्राचीन मूर्तियों के टुकड़े टूटे पड़े हैं। ग्राम गोरधनपुरा में बीजासन माताजी का 100 वर्ष पुराना मन्दिर तथा कुण्ड स्थित है, इस कुण्ड में चाहे जितना पानी डाला जाये यह कभी भरता नहीं है। ऐसी मान्यता है कि इस कुण्ड में मरीजों को सुलाने पर उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलता है।

2.4 जनांकिकी :–

इस नगर की प्रथम जनगणना आंकड़े वर्ष 1951 से उपलब्ध हैं। मास्टर प्लान 2001 में खैराबाद एवं कुदायला का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था। इस आधार पर मास्टर प्लान 2031 हेतु वर्ष 2011 की आधार जनसंख्या में इनकी जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है। वर्ष 1951 में नगर की जनसंख्या 5111 थी, जो कि वर्ष 1961 में 6805 हो गई तथा इस दशक की वृद्धि दर 33.14 प्रतिशत रही। वर्ष 1971 में जनसंख्या 11185 तथा दशकीय वृद्धि दर 64.36 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 1961–1971 के मध्य जनसंख्या वृद्धि अधिकतम रहने का कारण औद्योगिक विकास के फलस्वरूप आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों से आन्तरिक पलायन रहा। निम्न तालिका में खैराबाद एवं कुदायला की जनसंख्या के आंकड़े वर्ष 1981 से दिये गये हैं। वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा जनगणना का कार्य किया गया, जिसका प्रकाशित होना शेष है। अतः 2011 की अनुमानित जनसंख्या हेतु गत् 3 दशकों की जनसंख्या वृद्धि दर की औसत दर से जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है।

तालिका – 1

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, 1951–2011

क्र. सं.	वर्ष	रामगंजमण्डी		खैराबाद		कुदायला	
		जन सख्या	वृद्धि दर % में	जन सख्या	वृद्धि दर % में	जन सख्या	वृद्धि दर % में
1	1951	5111	–	–	–		
2	1961	6805	(+)33.14	–	–		
3	1971	11185	(+)64.36	–	–		
4	1981	15530	(+)38.85	4375	–	1326	
5	1991	20875	(+)34.42	6380	(+)45.82	2318	(+)74.81
6	2001	30973	(+)48.37	9080	(+)42.32	3428	(+)47.88
7	2011′	43500	(+)40.54	13000	(+)44.07	5100	(+)48.77

स्रोत : जनगणना भारत सरकार एवं सलाहकार अनुमान*।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1981, 1991 एवं 2001 में रामगंजमण्डी नगर की जनसंख्या वृद्धि की दर क्रमशः 38.85, 34.42 एवं 48.37 प्रतिशत रही है। खैराबाद ग्राम की जनसंख्या वृद्धि की दर 1991 व 2001 की जनसंख्या के अनुसार क्रमशः 45.82 एवं 42. 32 प्रतिशत रही। कुदायला ग्राम की जनसंख्या की वृद्धि दर 1991 व 2001 की जनसंख्या के अनुसार क्रमशः 74.81 एवं 47.88 प्रतिशत रही।

अतः वर्ष 2001–2011 में रामगंजमण्डी नगर, खैराबाद एवं कुदायला की जनसंख्या वृद्धि की औसत दर क्रमशः 40.54, 44.07 एवं 48.77 प्रतिशत अनुमानित की गयी है। इस आधार पर रामगंजमण्डी नगर की वर्ष 2011 की जनसंख्या 43500 अनुमानित की गयी है, जबकि ग्राम खैराबाद एवं कुदायला की वर्ष 2011 की अनुमानित जनसंख्या क्रमशः 13000 एवं 5100 है। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि रामगंजमण्डी, खैराबाद एवं कुदायला की आबादी लगभग 45 प्रतिशत की औसत वृद्धि प्रति दशक की दर से बढ़ रही है, जो कि तीव्र विकास का द्योतक है।

जहाँ एक ओर बड़े नगरों एवं महानगरों में रोजगार के अवसर छोटे नगरों से जनसंख्या को आकर्षित कर रहे हैं, वहीं रामगंजमण्डी नगर इसी तरह के अवसर आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरें के लिए उपलब्ध करा रहा है।

2.5 व्यावसायिक संरचना :–

वर्ष 2001 के अनुसार रामगंजमण्डी नगर में कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 30.29 प्रतिशत है जबकि 1991 की जनगणना में यह अनुपात 29.47 प्रतिशत था।

तालिका – 2 के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वर्णित वर्षों में कृषि एवं खनन, उद्योगों तथा व्यापार एवं व्यवसाय में कार्य करने वालों की सहभागिता अधिक रही है।

तालिका – 2

व्यावसायिक संरचना, रामगंजमण्डी 1971–2001

क्र. सं.	व्यवसाय की श्रेणी	1971 कार्यशील श्रमिक	1981 कार्यशील श्रमिक	1991 कार्यशील श्रमिक	2001* कार्यशील श्रमिक
1	कृषि व खनन संबंधित क्रियाऐं	483	570	930	1430
2	उद्योग एवं गृह उद्योग	522	1050	890	1370
3	निर्माण कार्य	159	230	428	660
4	व्यापार एवं व्यवसाय	757	1030	1773	2730
5	यातायात एवं परिवहन	438	600	479	740
6	अन्य सेवाऐं	938	1100	1591	2429
	योग	3297	4580	6091	9359

स्रोत : जनगणना भारत सरकार एवं सलाहकार अनुमान*

2.6 विद्यमान भू–उपयोग :–

रामगंजमण्डी नगर पालिका क्षेत्र 8.78 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 2011 में कुल 2667 एकड़ क्षेत्र नगरीकृत क्षेत्र है। शेष भू–भाग के अन्तर्गत खनन क्षेत्र, पहाड़ियाँ, जलाशय, बंजर भूमि और खेत–खलिहान आते है।

उपरोक्त वर्णित नगरीकृत क्षेत्र में से मात्र 2354 एकड़ ही वास्तविक रूप से विकसित क्षेत्र है और शेष भूमि के अन्तर्गत् जलाशय और नगरीकृत क्षेत्र में स्थित अन्य खाली व कृषि भूमि सम्मिलित हैं। नगर के पुराने हिस्से में सघन आवासीय बस्तियों के विकास की वजह से आवासीय क्षेत्र का प्रतिशत थोड़ा कम है।

तालिका – 3

विद्यमान भू–उपयोग, रामगंजमण्डी–2011

क्र. सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	600	25.49	22.50
2	वाणिज्यिक	386	16.40	14.47
3	औद्योगिक	670	28.46	25.12
4	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी	13	0.55	0.49
5	आमोद–प्रमोद	43	1.83	1.61
6	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	207	8.79	7.76
7	परिसंचरण	435	18.48	16.31
	कुल विकसित क्षेत्र	**2354**	**100**	**88.26**
8	रिक्त एवं कृषि भूमि	257	–	9.64
9	जलाशय	56	–	2.10
	नगरीकृत क्षेत्र	**2667**	**–**	**100**

स्रोत : भौतिक सर्वेक्षण

2.6 (1) आवासीय :–

2.6 (1)अ आवासन :–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नगर की जनसंख्या 30973 थी, जिसमें कुल परिवारों की संख्या 5539 थी। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या लगभग 43500 है। इस प्रकार पुराने नगर की आबादी का औसत घनत्व लगभग 115 व्यक्ति प्रति एकड़ है। इस क्षेत्र में कही–कहीं घनत्व 200 व्यक्ति प्रति एकड़ से भी अधिक है। नगर के बाहरी विकसित क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व औसत से कम है।

वर्तमान में 2354 एकड़ समग्र विकसित क्षेत्र के भू–भाग में से 600 एकड़ भूमि आवासीय उपयोग में ली जा रही है। पुराने नगर के अन्दर के क्षेत्र में निरन्तर जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर के बाहरी क्षेत्र में कम आवासीय विकास के कारण जनसंख्या का घनत्व निम्न है। अतः नये आवासीय क्षेत्र नगर के बाहर विकसित होने की सम्भावनाएँ हैं।

2.6 (1)ब कच्ची बस्तियाँ :–

नगर पालिका क्षेत्र में तीन नियमित कच्ची बस्तियाँ हैं, जिनके नाम रोंसली कच्ची बस्ती, मेघवाल कच्ची बस्ती हनुमतखेड़ा, गोरधनपुरा रास्ता जुल्मी सड़क हरिजन बस्ती है। इन कच्ची बस्तियों में लगभग 400 कच्चे–पक्के अथवा अर्द्धनिर्मित आवासों में लगभग 2000 व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँ आधारभूत सुविधाओं का नितान्त अभाव है। केन्द्र सरकार की आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना के तहत इन बस्तियों में आवास एवं आधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु हाल ही में योजना स्वीकृत हुई है। इसके अतिरिक्त नगर में 4 अन्य अनियमित कच्ची बस्तियाँ – हिम्मत नगर, रैदास कॉलोनी, माली मोहल्ला एवं गोरधनपुरा गांव है। इन कच्ची बस्तियों में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना कार्यक्रम के तहत् वित्तीय सहायता से विकास कार्य कराये जाते है।

2.6 (2) वाणिज्यिक :–

रामगंजमण्डी उपखण्ड मुख्यालय होने के कारण एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक सेवा केन्द्र है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही व्यवस्थित आर्थिक विकास के कारण यहाँ पर

वाणिज्यिक गतिविधियाँ तेजी से विकसित हुई हैं। पिछले दशकों में व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है।

पुराने नगर के अन्दर स्थित बाजार नं. 1, 2, 3, 4, 5 व 6 हैं। बस स्टैण्ड तथा रेलवे स्टेशन के पास का बाजार यहाँ का मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र है, जहाँ पर फुटकर एवं थोक व्यापारिक गतिविधियां होती है। मुख्य बाजार पुलिस थाने से रेलवे स्टेशन तक का बाजार, सुकेत सड़क, बाजार नं. 2, 3 व 5 हैं तथा कृषि उपज मण्डी आदि भी हैं, जो नगर के वाणिज्यिक ढांचे की रीड़ की हड्डी की तरह विकसित हुए हैं।

रामगंजमण्डी नगर में 8 बैंकों (एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई., एस.बी.बी.जे., सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉपरेटिव बैंक, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिन्डिकेट बैंक) द्वारा लेन–देन का कार्य किया जाता है, जिसमें से नगर के बाजार नं. 1 में 5 बैंक है एवं 3 अन्य बैंक सुकेत सड़क पर, अम्बेड़कर कॉलोनी, कृषि उपजमण्डी में स्थित है। रामगंजमण्डी नगर में 5 पेट्रोल पम्प है, जो कि रतनपुरा कॉलोनी, सुकेत सड़क पर, मरियम हॉस्पिटल के सामने, नगर पालिका के पास, निमाणा सड़क पर एवं सातलखेड़ी सड़क पर स्थित है। नगर में मनोरंजन के लिए 450 दर्शक क्षमता का सिनेमाघर (नारायण टॉकिज) सुकेत सड़क पर स्थित है।

पुराने नगर के बाहर नियोजित वाणिज्यिक केन्द्र विकसित नहीं हुए है। बढ़ती हुई कृषि आधारित वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण यहाँ कृषि उपज मण्डी समिति कार्यरत् है, जिसमें कृषि की सभी जिन्सों का व्यापार होता है। मुख्य उपज में धनिया, सोयाबीन, सरसों एवं ज्वार की पैदावार सबसे अधिक रहती है। कहा जाता है कि रामगंजमण्डी धनिये की एशिया की सबसे बड़ी मण्डी है। नगर में भण्डारण की सुविधा केन्द्र सरकार के भण्डारण गोदामों, कृषि मण्डी प्रांगण में बने हुए गोदाम, पूर्व में कार्यरत् जिनिंग फैक्ट्री में बने हुए गोदामों एवं कुछ निजी गोदामों द्वारा उपलब्ध है।

तालिका – 4

कृषि जिन्सों की आवक (मात्रा क्विंटल में) रामगंजमण्डी–2001–2010

क्र. सं.	विवरण	धनिया	स्रसों	सोयाबीन	ज्वार
1	2001–02	421407	76539	272445	33637
2	2002–03	421538	41096	111229	4306
3	2003–04	348124	79169	239105	7808
4	2004–05	517138	155964	265201	58504
5	2005–06	599780	180636	215354	69387
6	2006–07	467278	154533	247065	64006
7	2007–08	431867	110576	332556	50134
8	2008–09	559164	76843	142649	59424
9	2009–10	530928	151865	189032	47842
10	2010–11	581315	164605	399553	64100
11	2011–12	607879	222155	421325	59445

स्रोत : कृषि उपज मण्डी समिति, रामगंजमण्डी

2.6 (3) औद्योगिक :–

नगर में विशेष औद्योगिक प्रगति कोटा स्टोन आधारित उद्योगों एवं खनन के द्वारा हुई है। बढ़ती औद्योगिक माँग के साथ रीको ने ए.एस.आई. परिसर के समीप एक औद्योगिक क्षेत्र, वर्ष 1979 में विकसित किया। इस क्षेत्र में काफी संख्या में निजी औद्योगिक इकाईयां विकसित हैं, जो कोटा स्टोन को काटने व चमकाने का कार्य करती हैं। रामगंजमण्डी की औद्योगिक संरचना में अनेक गृह सेवा उद्योग जैसे आटा चक्की एवं वर्कशॉप आदि आबादी क्षेत्र में नगर के मध्य व आस–पास कार्यरत् हैं। रामगंजमण्डी से कोटा स्टोन न सिर्फ राजस्थान के कोने–कोने में जाता है वरन् देश–विदेश में फर्श में उपयोग के लिए इस पत्थर की बहुत माँग है। यह पत्थर हल्के हरे एवं नीले रंग का होता है और यह दिखने में सुन्दर लगता है एवं बहुत मजबूत पत्थर है। कोटा स्टोन पर आधारित उद्योगों से निकलने वाला मलबा नगर के पर्यावरण संतुलन के लिए गहन चिन्ता

का विषय है एवं आने वाले वर्षों में नियोजन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौती है। नगर में कुछ औद्योगिक इकाईयाँ अनियोजित तरीके से नियोजन के सिद्धांतों की पालना किये बगैर ही कृषि भूमि पर स्वीकृत हैं, जो नगर के अव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देती है।

तालिका – 5

औद्योगिक इकाईयाँ, रामगंजमण्डी–2011

क्र.सं.	इकाई का प्रकार	इकाईयों की संख्या
1	कोटा स्टोन प्रसंस्करण	359
2	कृषि आधारित उद्योग	135
3	बर्फ उद्योग	1
4	अन्य	4
	योग	499

स्रोत : जिला उद्योग केन्द्र, रीको, रा.रा.प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटा एवं सलाहकार सर्वेक्षण

2.6 (4) सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय :–

रामगंजमण्डी के तहसील एवं उपखण्ड मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर काफी संख्या में सरकारी कार्यालय हैं। रेलवे स्टेशन के समीप सरकारी कार्यालय जैसे – उप जिला कलक्टर, तहसील, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय एवं अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय, कारागृह, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खनिज विभाग आदि के कार्यालय स्थित हैं। मोड़क सड़क पर माँ फलौदी मेला ग्राउण्ड के पास पंचायत समिति कार्यालय स्थित है। रामगंजमण्डी नगर में पोस्ट ऑफिस बाजार नं. 3 में सब्जीमण्डी के पास तथा भारत संचार निगम लिमिटेड का कार्यालय रोंसली सड़क पर स्थित है।

वर्तमान में रामगंजमण्डी नगर के केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों एवं स्थानीय निकायों में काम करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 1287 है, जो कुल जनसंख्या का 2.95 प्रतिशत है। वर्तमान में कुछ सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय निजी आवासीय भवनों एवं किराये के भवनों में चल रहे हैं।

सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों की वर्ष 2011 की स्थिति को तालिका – 6 में दर्शाया गया है।

तालिका – 6

सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय, रामगंजमण्डी–2011

क्र. सं.	कार्यालय के प्रकार	कुल कार्यालयों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1	केन्द्र सरकार	4	324
2	राज्य सरकार	27	720
3	अर्द्ध सरकारी	4	98
4	स्थानीय निकाय	1	145
	योग	36	1287

स्रोत : सलाहकार सर्वेक्षण

2.6 (5) आमोद–प्रमोद :–

वर्तमान में रामगंजमण्डी में कोई भी ऐसा स्थल विकसित नहीं है, जो कि नगर के निवासियों के लिए आमोद–प्रमोद का साधन हो सके। इन सुविधाओं का नगर में नितांत अभाव है।

2.6 (5)अ उद्यान एवं खुले स्थल :–

सार्वजनिक उद्यान और खुले स्थलों को सामान्य तौर पर नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है। ये किसी सीमा तक नगर को सामाजिक एवं भौतिक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए सार्वजनिक उद्यानों, खुले स्थलों, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्ति–संगत वितरण होना आवश्यक है। परन्तु रामगंजमण्डी नगर में वर्तमान में माँ फलौदी माता मेला स्थल एवं गोरधन माता (दूधाखेड़ी बीजासन माताजी) मन्दिर के प्रांगण के अलावा अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार का खुला स्थल नही है। खैराबाद सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग के बाद नगर पालिका भूमि पर पार्क बना हुआ

है, जो भली प्रकार संधारित नहीं है। इसके अतिरिक्त रामगंजमण्डी में कोई उद्यान विकसित नहीं है।

2.6 (5)ब स्टेडियम एवं खेल मैदान :–

रामगंजमण्डी में मुख्यतः दो ही खेल मैदान हैं। एक मैदान ग्राम हनुमतखेड़ा से लगभग 0.50 किमी. की दूरी पर तथा दूसरा स्टेशन सड़क पर कृषि उपजमण्डी के निकट स्थित सीनियर सैकण्डरी विद्यालय परिसर में स्थित है। अन्य विद्यालयों में भी खेल मैदानों का अभाव है। यहाँ पर स्टेडियम नहीं है। उण्डवा सड़क पर खैराबाद पंचायत समिति द्वारा निर्मित एक इन–डोर स्टेडियम है, जो कम क्षेत्रफल का, अविकसित एवं अपर्याप्त हैं।

2.6 (5)स अर्द्धसार्वजनिक मनोरंजन :–

नगर के अन्तर्गत् अर्द्ध सार्वजनिक क्लब, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए खुले स्थल, पुस्तकालय, सामुदायिक केन्द्र आदि मनोरंजन की सुविधाओं का प्रावधान विकास योजना के अभिन्न अंग है। इन सुविधाओं की आमोद–प्रमोद के साथ शिक्षा व खेलकूद में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में रामगंजमण्डी में ऐसी कोई भी उपयुक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है।

2.6 (5)द मेले एवं पर्यटन सुविधाएँ :–

रामगंजमण्डी नगर में अनेक दर्शनीय एवं प्रसिद्ध धार्मिक स्थान जैसे – माँ फलौदी मन्दिर, बीजासन माता मन्दिर, पंचमुखी बालाजी मन्दिर, गायत्री मन्दिर, पारसा माता मन्दिर, तेजाजी मन्दिर, शान्तिनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर, श्वेताम्बर जैन मन्दिर एवं मस्जिदें स्थित है। माँ फलौदी का राष्ट्र स्तरीय मेला हर 12 वर्ष में एक बार बसन्त पंचमी को लगता है, जो कि 10 दिनों तक कुम्भ के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मेड़तवाल समाज के राष्ट्र स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन भी होते है। साथ ही इस मन्दिर में हर वर्ष बसन्त पंचमी के दिन एक दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जिसे लघु कुम्भ भी कहा जाता है। सातलखेड़ी व खैराबाद में तेजाजी का मेला हर वर्ष तेजा दशमी के दिन लगता है।

रामगंजमण्डी में पर्यटकों को आकर्षित करने, उनके रूकने एवं आरामदायक सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थल, होटल एवं धर्मशालाओं का अभाव दृष्टिगोचर होता है। रामगंजमण्डी में केवल एक होटल 'महाराजा पैलेस' स्थित है, जिसमें पार्क एवं तरणताल भी बना हुआ है। इसके अलावा नगर में कुछ अन्य छुटपुट होटल एवं गेस्ट हाउस स्थित है, जैसे – महाराजा अग्रसेन अतिथि गृह, बाबा गेस्ट हाउस, श्रीराम लॉज, गायत्री लॉज, काका गेस्ट हाउस, अग्रवाल लॉज एवं प्रसंग प्लाजा आदि। साथ ही कुछ धर्मशालायें जैसे – दिगम्बर जैन धर्मशाला, गोरखनाथ मन्दिर धर्मशाला, पोरवाल समाज धर्मशाला, फलौदी समाज धर्मशाला, बघेरवाल समाज धर्मशाला एवं गुजराती समाज धर्मशाला भी स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ उण्डवा सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का डाक बंगला भी है।

2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक :–

2.6 (6)अ शैक्षणिक सुविधाऐं :–

रामगंजमण्डी में कुल सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में से 13 प्राथमिक विद्यालय, 41 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 20 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित हैं। राजकीय विद्यालयों में पर्याप्त खेल मैदान उपलब्ध हैं, परन्तु निजी विद्यालयों में खेल मैदानों एवं खुले स्थलों का अभाव है, ये शिक्षण संस्थाऐं नगर के निकटतम क्षेत्र के छात्रों को भी शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

तालिका – 7

शैक्षणिक संरचना, रामगंजमण्डी – 2011

क्र सं	शैक्षणिक स्तर	आयु वर्ग	आयु वर्ग में जाने योग्य बालक / बालिकाओं की संख्या अनुमानित	कुल पंजीकृत छात्र	कुल भर्ती विद्यार्थियों का शिक्षा योग्य बालक / बालिकाओं पर प्रतिशत	विद्यालय में औसत छात्रों की संख्या	विद्यालयों की संख्या		
							राजकीय	निजी	कुल
1	प्राथमिक विद्यालय (1–5)	5.10	7138	5872	82.26	451	12	1	13
2	उ. प्रा. विद्यालय (6–8)	11.13	6775	5365	79.19	130	10	31	41
3	मा. एवं उ. मा. विद्यालय (9–12)	14.17	7668	5425	70.75	271	6	14	20

स्रोत – कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, सलाहकार सर्वेक्षण एवं अनुमान

2.6 (6)ब चिकित्सा व्यवस्था :–

रामगंजमण्डी नगर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवारत है, जिसमें 50 शय्याओं की व्यवस्था है। नगर में एक आयुर्वेदिक औषधालय तथा 4 निजी अस्पताल/क्लिनिक भी उपलब्ध हैं, जिनमें कुल 123 शय्याओं की क्षमता है। नगर की जनसंख्या तथा आसपास के क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए यह चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही कम हैं। रामगंजमण्डी में एक पशु चिकित्सालय भी है, जो कृषि उपज मण्डी परिसर में स्थित है।

तालिका – 8

विद्यमान चिकित्सा सुविधाऐं– रामगंजमण्डी – 2011

क्र. सं.	चिकित्सालय / क्लिनिक	संख्या	उपलब्ध शैयाएँ
1.	एलोपेथिक		
(अ)	नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र	1	
(ब)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	50
2.	राज. आयुर्वेदिक		
(अ)	चिकित्सालय	1	
(ब)	औषधालय	1	
3.	निजी चिकित्सालय, मेटरनिटी होम इत्यादि	4	73
योग		8	123

स्रोत – नगर पालिका एवं सलाहकार सर्वेक्षण

2.6 (6)स सामाजिक / सांस्कृतिक :–

रामगंजमण्डी में रोंसली सड़क पर एक मैरिज गॉर्डन 'बद्रिका आश्रम' स्थित है। उक्त स्थल यहाँ के निवासियों के लिए उपयोगी है। साथ ही नगर में विभिन्न समाजों के सामुदायिक भवन भी विकसित हैं, जिनमें विभिन्न सामाजिक एवं सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं।

2.6 (6)द धार्मिक / ऐतिहासिक / धरोहर स्थल :–

खैराबाद ग्राम में एक विशाल तालाब स्थित है, जो कि बड़ा तालाब कहलाता है। तालाब के किनारे हनुमान जी का मन्दिर बना हुआ है। यहां ''फलौदी माता'' का प्रसिद्ध देवालय भी है, जो कि अति भव्य है। मन्दिर में माताजी की श्यामवर्ण की मनोहर मूर्ति है। माताजी के मन्दिर के सम्मुख एक कुण्ड है, जिसके जल में तीर्थ यात्री स्नान करते है। इस तीर्थ पर पुण्य तिथियों एवं पर्वों पर अनेक श्रद्धालु माताजी के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ बसंत पंचमी को आयोजित होने वाले कुम्भ एवं लघु कुम्भ मेले प्रसिद्ध हैं।

यहाँ पर सांडपुर में एक चौबारा स्थित है। 125 वर्ष पुराना एक वट वृक्ष भी दर्शनीय है, जहाँ प्राचीन मूर्तियों के टुकड़े टूटे पड़े हैं। ग्राम गोरधनपुरा में बीजासन माताजी का 100 वर्ष पुराना मन्दिर तथा माताजी का कुण्ड स्थित है, इस कुण्ड में चाहे जितना पानी डाला जाये यह कभी भरता नहीं है। ऐसी मान्यता है कि इस कुण्ड में मरीजों को सुलाने पर उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलता है।

2.6 (6)य अन्य सामुदायिक सुविधाएँ :–

नगर में दूरभाष सुविधाओं हेतु रोंसली सड़क पर टेलिफोन एक्सचेन्ज स्थित है। नगर में पन्नालाल चौराहे के पास एक डाक एवं तारघर है। खैराबाद में हनुमान जी के मन्दिर के पास भी डाक एवं तारघर स्थित है।

रामगंजमण्डी में नगर पालिका द्वारा एक सामुदायिक भवन संचालित है, जो कि मरियम हॉस्पिटल के सामने वाली गली में ऋषभ कॉलोनी में पेट्रोल पम्प के पीछे स्थित है। नगर में यात्रियों के लिए गेस्ट हाउस व महाराजा होटल पैलेस भी स्थित है।

2.6 (6)र जनोपयोगी सुविधाएँ :–

2.6 (6)र (i) जलापूर्ति :–

रामगंजमण्डी नगर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा की जा रही है। नगर में पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत चम्बल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर बांध है। वर्ष 2000 में प्रारम्भ एकलिंगपुरा– रामगंजमण्डी पेयजल योजना से रामगंजमण्डी को जलापूर्ति होती थी। बढ़ती माँग को पूरा करने हेतु रामगंजमण्डी पचपहाड़ पेयजल योजना के तहत वर्ष 2009 से जलापूर्ति संवर्द्धन हुआ। वर्तमान में रामगंजमण्डी में इसके अलावा जलापूर्ति के लिए चार कुओं से भी जल निकासी की जाती है।

रामगंजमण्डी की वर्तमान जल आपूर्ति दर लगभग 80 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। यहाँ 5 उच्च जलाशय एवं एक भूतल जलाशय है, जिनकी कुल क्षमता क्रमशः 20 लाख लीटर एवं 5 लाख लीटर है। रेलवे स्थित उच्च जलाशय को भी जलापूर्ति इसी स्रोत से की जाती है। खैराबाद में 3 उच्च जलाशय स्थित हैं, जिनकी कुल भराव क्षमता 5 लाख लीटर है। घरेलू उपयोग हेतु पानी की मात्रा सबसे अधिक होने के कारण आपूर्ति का

अधिकांश भाग घरेलू उपयोग में आता है। तालिका नं. 9 में वर्तमान जलापूर्ति कनेक्शनों की संख्या दर्शायी गयी है।

तालिका – 9

जल आपूर्ति–रामगंजमण्डी – 2011

क्र.सं.	उपयोग	कनेक्शनों की संख्या
1.	घरेलू	5528
2.	व्यवसायिक	91
3.	औद्योगिक	40
4.	नगर पालिका/पी. एस. पी.	15
5.	राजकीय	11
6.	रेलवे	1
8.	अन्य	42
योग		5728

स्रोत : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

2.6 (6)र (ii) विद्युत आपूर्ति व वितरण :–

रामगंजमण्डी नगर में विद्युत के रख–रखाव और विद्युत वितरण का कार्य जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा संचालित किया जाता रहा है। विद्युत आपूर्ति आर.ए.पी.पी. कोटा से मोड़क स्थित 220/33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन से 33 के.वी. विद्युत लाईन द्वारा प्राप्त होती है। यह लाईन नगर एवं आस–पास के क्षेत्रों यथा खैराबाद एवं रावली में स्थित ग्रिड सब स्टेशन को विद्युत आपूर्ति करती है। एक अन्य 132 के.वी. लाईन मोडक से झालावाड़ की ओर जाती है, जिससे मायला, कुदायला, अमरपुरा एवं सातलखेड़ी स्थित ग्रिड सब स्टेशनों की विद्युत आपूर्ति होती है। साथ ही मायला स्थित ग्रिड सब स्टेशन से नगर की आपात विद्युत आपूर्ति के लिए अतिरिक्त सर्किट की व्यवस्था भी है। वर्ष 2011 में रामगंजमण्डी नगर में विभिन्न उपयोगों में कनेक्शनों की संख्या एवं औसत विद्युत उपभोग को तालिका संख्या – 10 में दर्शाया गया है।

तालिका – 10

विद्युत आपूर्ति एवं वितरण सुविधा – रामगंजमण्डी – 2011

क्र.सं.	उपयोग	कनेक्शनों की संख्या	उपभोग प्रतिमाह (यूनिटों में)
1	घरेलू	6595	560575.0
2	व्यवसायिक एवं अघरेलू	1245	124500.0
3	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	25	25000.0
4	औद्योगिक	250	1500000.0
5	कृषि	320	2073600.0
6	अन्य	33	3300.0
योग		8468	42,86,975.0

स्रोतः जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.

2.6 (6)र (iii) जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन :–

रामगंजमण्डी में वर्तमान में सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण जल–मल का निस्तारण विद्यमान खुली नालियों द्वारा ही होता है। इससे वातावरण दूषित बना रहने के कारण बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। नालियों द्वारा बहाकर ले जाया गया दूषित व गन्दा मलबा निचली सतह में स्थित खेतों एवं तालाबों में बहकर पहुंचता है जिससे तालाबों को स्वच्छ रखना सम्भव नहीं है एवं इसके कारण तालाब का पानी भी गन्दा हो रहा है। नगर पालिका द्वारा नगर से लगभग 6 टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन एकत्रित किया जाता है, जिसे जुल्मी सड़क पर मारवाड़ चौराहे से देवली ग्राम को जाने वाली सड़क पर आवंटित भूमि पर निष्पादन किया जाता है। परन्तु ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर किसी भी प्रकार के निस्तारण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो कि नगर के पर्यावरण के लिए घातक है।

2.6 (6)र (iv) श्मशान एवं कब्रिस्तान :–

वर्तमान में रामगंजमण्डी नगर में 6 श्मशान हैं, जो कि खैराबाद बैरवा बस्ती के पास, माँ फलौदी मेला ग्राउण्ड के सामने, रोंसली सड़क पर बद्रिका आश्रम (मेरिज गॉर्डन) के पास, जुल्मी सड़क से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क पर कोल्ड स्टोरेज के पास, ग्राम सांडपुर से अमरपुरा की तरफ जाने वाली सड़क पर तालाब के किनारे, कुदायला ग्राम एवं सातलखेड़ी ग्राम में हैं। नगर में 4 कब्रिस्तान हैं, जो कि खैराबाद बैरवा बस्ती के पास तालाब के किनारे, मोड़क सड़क पर माँ फलौदी मेला ग्राउण्ड के समीप बाईपास सड़क पर एवं जुल्मी सड़क पर कृषि उपजमण्डी के पास हैं। इन श्मशानों एवं कब्रिस्तानों पर चार दीवारियों अथवा अन्य सामुदायिक सुविधाओं का अभाव है, जिनका विकास अपेक्षित है।

2.6 (7) परिसंचरण :–

2.6 (7)अ यातायात व्यवस्था :–

रामगंजमण्डी की स्थिति राज्य राजमार्ग 9बी एवं राज्य–राजमार्ग 9ए पर स्थित होने के कारण यहां ट्रकों एवं अन्य वाणिज्यिक भारी वाहनों का आवागमन काफी अधिक है। नगर में वाहनों का पंजीकरण नित दिन तीव्र गति से बढ़ रहा है। निम्न तालिका में वर्ष 2010–11 में पंजीकृत वाहनों की संख्या सूचीबद्ध है :–

तालिका – 11

वाहनों की संख्या, रामगंजमण्डी 2010–2011

क्र. सं.	विवरण	2010–11 में पंजीकृत वाहनों की संख्या
1	दुपहिया वाहन	4342
2	चौपहिया वाहन	463
3	माल वाहक वाहन	442
4	जे.सी.बी. व अन्य वाहन	79
5	यात्री वाहन	15
	योग	5341

स्रोतः कार्यालय परिवहन विभाग।

2.6 (7)ब बस तथा ट्रक टर्मिनल :–

वर्तमान में राजकीय बस स्टैण्ड पन्नालाल चौराहे के निकट उपलब्ध भूमि पर संचालित होता है एवं नगर पालिका द्वारा विकसित निजी बस स्टैण्ड रेलवे क्रॉसिंग के बाद खैराबाद सड़क पर स्थित है। रामगंजमण्डी के बढ़ते हुये विकास को देखते हुए यह दोनों ही स्थल बहुत छोटे एवं असुविधाजनक हैं। इन बस स्टैण्ड के प्रवेश मार्ग पर काफी समस्याऐं उत्पन्न होती है। इस क्षेत्र में अन्य निजी एवं सार्वजनिक वाहनों के संचालन से यातायात समस्या ओर भी दयनीय हो रही है। वर्तमान में नगर में कोई निर्धारित ट्रक स्टैण्ड नहीं है, जिसके कारण ट्रकों की पार्किंग मुख्य सड़कों के मार्गाधिकार में की जाती है एवं आए दिन यातायात बाधित रहता है। नगर में कोई नियोजित ट्रक स्टैण्ड नहीं होने से ट्रक सड़कों पर ही खड़े रहते हैं।

2.6 (7)स रेल एवं हवाई सेवा :–

रामगंजमण्डी दिल्ली–मुम्बई एवं भोपाल बड़ी रेलवे लाईन पर एक प्रमुख स्टेशन है। मुख्य रेलवे स्टेशन नगर के पश्चिम दिशा में स्थित है एवं विकसित क्षेत्रों की सुविधा के दृष्टिगत मोड़क स्टेशन व दरा स्टेशन भी विकसित किया गया है। जहाँ पर कुछ ट्रेनों का ठहराव होता है। रामगंजमण्डी में कोई हवाई सेवा नहीं है। निकटस्थ हवाई अड्डा जिला मुख्यालय कोटा में स्थित है, जहाँ पर भी वर्तमान में नियमित हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है।

2.7 गत् मास्टर प्लान (1981–2001–2011) प्रस्ताव व वर्तमान विकास की समीक्षा :–

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 10 (5) न.वि.आ./3/81 दिनांक 27–08–1981 द्वारा कुल 10 राजस्व ग्रामों को मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में शामिल किया गया था। ये ग्राम खैराबाद, हनुमतखेड़ा, मायला, सातलखेड़ी, कुदायला, अमरपुरा, सांडपुर, गोरधनपुरा, रोसली एवं बिशन्याखेड़ी हैं। उक्त रामगंजमण्डी मास्टर प्लान 1981–2001 का अनुमोदन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 10 (5) न.वि.आ. /3/81 दिनांक 02–09–1989 द्वारा किया गया।

वर्ष 2001 के प्रस्तावित भू–उपयोग के अनुसार रामगंजमण्डी का विकसित क्षेत्र 1620 एकड़ प्रस्तावित किया गया था, जिसमें आवासीय 840, वाणिज्यिक 115, औद्योगिक 310, राजकीय

कार्यालय 15, आमोद–प्रमोद 85, सार्वजनिक–अर्द्धसार्वजनिक 105 एवं परिसंचरण 150 एकड़ प्रस्तावित था।

रामगंजमण्डी मास्टर प्लान – 2001 में क्षितिज वर्ष 2001 की जनसंख्या 55000 अनुमानित की गयी थी, जो कि 2001 की जनगणना के अनुसार 40053 (रामगंजमण्डी 30973 एवं खैराबाद 9080) ही हो पायी। अतः वर्ष 2001 में नगर का विस्तार प्रस्तावित सीमाओं (औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त) से कम होने एवं नगर की जनसंख्या में अनुमान से कम वृद्धि होने के कारण उक्त मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 10 (5) न.वि.आ./3/81 दिनांक 06–03–2002 द्वारा बढ़ाकर 2011 तक कर दिया गया।

वर्ष 2011 के विद्यमान भू–उपयोग के अनुसार रामगंजमण्डी का विकसित क्षेत्र 2354 एकड़ है, जिसमें आवसीय 600, वाणिज्यिक 386, औद्योगिक 670, राजकीय कार्यालय 13, आमोद–प्रमोद 43, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक 207 एवं परिसंचरण 435 एकड़ है।

यह आँकड़े दर्शाते हैं कि पिछले दशक में रामगंजमण्डी में औद्योगिक, सार्वजनिक व अर्द्धसार्वजनिक भू–उपयोगों की वृद्धि अनुमान से कहीं ज्यादा है, जबकि आवासीय एवं आमोद–प्रमोद भू–उपयोगों की वृद्धि अनुमान से बहुत कम है। रीको औद्योगिक क्षेत्र के समीप कई नई औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हो चुकी हैं। वर्तमान में सुकेत से रामगंजमंडी के बीच का सम्पूर्ण क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों की बहुलता से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान कर रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर खदानों में पत्थर काटने, चमकाने एवं प्रसंस्करण के कार्यो को करते देखे जा सकते हैं।

इससे यह इंगित होता है कि नगर में रिहायशी उपयोगों का सकेन्द्रीकरण है, जबकि नगर की भौतिक सीमाओं का विस्तार औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोगों के कारण सभी प्रमुख सड़कों यथा उत्तर–पश्चिम में राज्य–राजमार्ग 9बी पर खैराबाद के आगे मोड़क की ओर नवोदय विद्यालय तक, दक्षिण–पश्चिम में राज्य–राजमार्ग 9ए पर उण्डवा सड़क पर रुक्मणी देवी राजकुमार बड़जात्या कन्या महाविद्यालय एवं इन–डोर स्टेडियम तक, दक्षिण में नालोदिया को जाने वाली सड़क पर लगभग 5 किमी. की दूरी तक, दक्षिण पूर्व में कुदायला से कुम्भकोट जाने वाली सड़क पर औद्योगिक विकास लगभग 5 किमी. दूरी तक, पूर्व में राज्य–राजमार्ग 9बी पर सुकेत की ओर सातलखेड़ी तक, उत्तर में निमाणा को जाने वाली सड़क पर राजकीय महाविद्यालय एवं मसाला पार्क उद्योग तक हो गया है।

नगर के हाल ही में रेल मार्ग द्वारा झालावाड़ से जुड़ा है एवं मध्य प्रदेश के अन्य बड़े नगरों नीमच–भोपाल आदि से सड़क मार्ग से जुड़ा होने के कारण सम्पर्कों में भी सुधार हुआ है, जो कि आने वाले वर्षों में विकास को नया आयाम देगा।

अतः स्पष्ट है कि नगर की भौतिक सीमाओं का बेतरतीब तरीके से विस्तार हुआ है। समानुपातिक रूप से रिहायशी उपयोगों का विस्तार नहीं होने के कारण नगर का आवासीय घनत्व करीब 115 व्यक्ति प्रति एकड़ है। पुराने नगर की बसावट अत्यधिक घनी व तंग हो चुकी है, जहाँ आवासीय घनत्व 200 व्यक्ति प्रति एकड़ तक है। बढ़ी हुई जमीन की दरों और घटते हुए रिहायशी भवनों की सुविधा के कारण नगरं में जीवन यापन काफी मंहगा हो गया है। इसके फलस्वरूप कृषि भूमि पर कई आवासीय कॉलोनियाँ विकसित हो गई, जिनमें से नगर पालिका की योजनाओं को छोड़कर अन्य योजनाओं में समन्वित नियोजन का ध्यान न रखकर अनियोजित एवं अव्यवस्थित रूप से नये निर्माण हो रहे हैं।

ट्रांसपोर्ट, वाहन रिपेयर, भवन निर्माण सामग्री व अन्य भारी सामानों के बाजारों से नगर में भारी यातायात उत्पन्न होता है। शेष वाणिज्यिक विकास सड़कों के सहारे –सहारे पतली पट्टी के रूप में हुआ है। व्यावसायिक गतिविधियाँ तंग क्षेत्रों में स्थित हैं, जो यातायात को अवरुद्ध करते हैं। नगर में उचित यातायात प्रबन्धन नहीं है। मास्टर प्लान में प्रस्तावित बस स्टैण्ड एवं यातायात नगर मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित नहीं हो सके। खैराबाद सड़क व सुकेत सड़क पर नगरीय विकास का दबाव रहा है। इस दौरान कृषि भूमि पर कई आवासीय कॉलोनियाँ विकसित हो गई।

यह स्पष्ट है कि रामगंजमण्डी नगर के नियोजित भावी विकास हेतु यह आवश्यक है कि अन्य भू–उपयोगों के साथ–साथ आमोद –प्रमोद एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का उचित अनुपात में विकास किया जावे। गत् 30 वर्ष में जो आवासीय विकास हुआ है वह अच्छी गुणवत्ता का नहीं हैं। योजनाओं में उचित चौड़ाई की सड़कों एवं पार्क इत्यादि सुविधाओं का अभाव है। आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, नाली, बिजली, पानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं। उचित जल निकासी नहीं है। अतः यह अपेक्षित है कि भविष्य में आवासीय योजनायें निर्धारित मानदण्डों की पालना करते हुए विकसित हों। वाणिज्यिक विकास भी योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ है। पार्किंग का अभाव है, जिससे शहर में यातायात की समस्या बढ़ रही है। अतः यह आवश्यक है कि भविष्य में वाणिज्यिक क्षेत्र पर्याप्त पार्किंग प्रावधान के साथ विकसित हो।

रामगंजमण्डी नगर के पूर्व मास्टर प्लान में उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये थे एवं मास्टर प्लान का क्रियान्वयन नगर पालिका व विभिन्न विभागों द्वारा किया जाना था, परन्तु अनेक कारणों से नगर का उचित विकास नहीं हो पाया। वर्तमान में रामगंजमण्डी के नगरीय विकास के विस्तार की सीमाओं में आस–पास के ग्रामों के शामिल होने से नियोजित विकास की आवश्यकता को तीव्रता से महसूस किया जा रहा है।

उपरोक्त उभरती हुई समस्याओं के कारण यह आवश्यक हो गया है कि नगर के योजनाबद्ध विकास के लिये नया मास्टर प्लान तैयार किया जाये। अतः राज्य सरकार द्वारा रामगंजमण्डी मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2031, तैयार करने हेतु निर्णय लिया गया। इस हेतु कुल आधार जनसंख्या रामगंजमण्डी, खैराबाद, मायला, सातलखेड़ी, कुदायला, अमरपुरा, सांडपुर एवं कुम्भकोट की जनसंख्या को सम्मिलित करते हुए 2001 में 68695 थी, जो कि 2011 में अनुमानतः लगभग 99000 है।

चूंकि मास्टर प्लान का संशोधित क्षितिज वर्ष 2011 था, अतः राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान पुनः बनवाये जाने का निर्णय लिया गया। आवास विकास लिमिटेड, जयपुर के माध्यम से 'आकार कन्सलटेन्ट्स, कोटा' को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। इस मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष 2031 मानते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 10 (5) न. वि.आ./3/81 दिनांक 07–03–2011 द्वारा 10 पुराने एवं 20 नये, अतः कुल 30 राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है। तत्पश्चात् राज्य सरकार की संशोधित अधिसूचना क्रमांक प. 10 (5) न.वि.आ./3/81 दिनांक 27–02–2012 एक ओर राजस्व ग्राम नगरीय सीमा में शामिल किया गया है। इस प्रकार कुल 31 राजस्व ग्राम रामगंजमण्डी की नगरीय सीमा में सम्मिलित किये गये हैं।

तालिका संख्या 12 में मास्टर प्लान 1988–2011 में प्रस्तावित भू–उपयोग 2011 व विद्यमान भू–उपयोग–2011 को दर्शाया गया है:–

तालिका – 12

भू–उपयोग समीक्षा, रामगंजमण्डी–2011

क्र. सं.	भू–उपयोग	मास्टर प्लान 1981–2001–2011 में प्रस्तावित भू–उपयोग क्षेत्रफल (एकड़ में)		वर्तमान भू–उपयोग 2011	
		क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	840.00	51.50	600.00	25.49
2	वाणिज्यिक	115.00	19.10	386.00	16.40
3	औद्योगिक	310.00	1.00	670.00	28.46
4	राजकीय	15.00	5.30	13.00	0.55
5	आमोद–प्रमोद	85.00	6.60	43.00	1.83
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक	105.00	9.50	207.00	8.79
7	परिसंचरण	150.00	7.00	435.00	18.48
	कुल विकसित क्षेत्र	**1620.00**	**100.00**	**2354.00**	**100.00**
8	रिक्त एवं कृषि भूमि	0		257.00	
9	जलाशय	50.00		56.00	
	नगरीयकृत क्षेत्र			**2667.00**	

स्रोत : भौतिक सर्वेक्षण

3

नियोजन की संकल्पना

मानव के समूह में एक साथ रहने की कला सभ्यता का एक सूचकांक रही है। हालांकि पूर्व काल से ही सामाजिक गतिविधियाँ, पूजा–अर्चना, भोजन एवं वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान प्रदान हेतु मानव स्वार्थ समाहित होते रहे हैं। आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति के सर्वोच्च स्थल को नगर की संज्ञा दी गयी। नगरों के विकास हेतु उपयोग एवं उपभोग स्थल की आवश्यकता ही मुख्य कारण रही। तदनन्तर व्यक्तिगत् एवं सामूहिक रूप से आने वाली समस्याओं का निराकरण नगरीय विकास का प्रमुख ध्येय हो गया है।

किसी भी समुदाय के लिए भूमि एक प्राथमिक संसाधन है, जो सीमित है। अतः भूमि के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग तथा उस पर नियंत्रण के लिए भौतिक नियोजन महत्वपूर्ण है, ताकि समुदाय के लिए उपलब्ध भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके। आर्थिक गतिविधियों एवं भू–उपयोग का सामंजस्य वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए नियोजन प्रक्रिया की आवश्यकता है।

भौतिक नियोजन या नगरीय एवं प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा कोई भी नगर इसके भावी आकार, स्वरूप एवं इसके प्रतिरूप विकास की दिशा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विकास निर्णय करने का प्रयास करती है, और इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तंत्र की रचना करती है।

एक बार यदि प्रत्येक नगर के सम्बन्ध में ऐसे वृहद् निर्णय कर लिए जाते है तो दिन प्रतिदिन के मसलों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढाँचे के सन्दर्भ में विचार कर ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन नगर को अपने अन्तिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है। नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढाँचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार मास्टर प्लान भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धांतों का एक लिखित विवरण है। इसके साथ भू–उपयोग योजना तथा अन्य मानचित्र भी होते हैं। भू–उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धांतों को स्थानगत विस्तार में रूपान्तरित करने की विधि है।

यह वृहद परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान नगर प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताऐं होती है। जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जन आकांक्षा हो सकती है। अतः कतिपय मान्यताऐं निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप नियोजन की नीतियां निर्धारित की जाती है। इन नीतियों एवं उद्देश्यों के सन्दर्भ में नियोजन के सिद्धांतों को विकसित किया जाता है।

उपरोक्त बातों को आधार बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। रामगंजमण्डी नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी क्रमों की पालना की गई है।

3.1 नियोजन की नीतियाँ :–

रामगंजमण्डी उपखण्ड मुख्यालय है। प्रमुख रेल व सड़क मार्गों से जुड़े रामगंजमण्डी नगर के आसपास का क्षेत्र भी विभिन्न आर्थिक, भौगोलिक एवं पुरातात्विक सम्पदाओं से युक्त है। इसलिए रामगंजमण्डी नगर के भावी विकास की कल्पना कृषि एवं खनिज समृद्ध क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए राजस्थान के दो जिला मुख्यालयों कोटा एवं झालावाड़ के मध्य स्थित रामगंजमण्डी नगर का भविष्य में वाणिज्यिक, व्यावसायिक, सामाजिक, सामुदायिक, प्रशासनिक एवं प्रबल आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित होना निश्चित है।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त :–

मास्टर प्लान बनाने के लिए वर्तमान विशेषताओं एवं उक्त नीतियों के अध्ययन पर आधारित नियोजन के सिद्धान्त बनाये गये हैं –

1. नगर के पुराने क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक है। आवासीय घनत्व में विषमताओं को कम किया जाना चाहिए। नये आवासीय क्षेत्र एवं कार्य केन्द्र उचित मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित किये जाने चाहिए, ताकि पुराने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति बाहरी क्षेत्र में बसने के लिए आकृष्ट हों।

2. नये क्षेत्रों को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि नये क्षेत्रों एवं पुराने नगर में उचित सामाजिक एवं भौतिक सामंजस्य रहे।

3. नये आमोद–प्रमोद के स्थलों को विकसित करते समय यथासम्भव सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों का चयन किया जाना चाहिए।

4. राजकीय और अर्द्ध राजकीय कार्यालय संगठित परिसरों में इस प्रकार स्थित किये जाने चाहिए कि उन्हें आवास हेतु समीप ही भूमि उपलब्ध हो और वे मुख्य मार्गों पर स्थित हों।

5. वाणिज्यिक गतिविधियां इस प्रकार वितरित की जानी चाहिए कि नगर के पुराने वाणिज्यिक केन्द्र हेतु प्रतिदिन आवागमन की आवश्यकता न पडे। नये वाणिज्यिक केन्द्र नये आवासीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं हेतु सही स्थितियों में विकसित किये जाने चाहिए। इससे नगर के पुराने व्यावसायिक केन्द्रों में भीड़ कम होगी।

6. औद्योगिक क्षेत्र जो कि मुख्य कार्यक्षेत्र होते हैं, वायु की दिशा के अनुसार स्थित किये जाने चाहिए, ताकि वे आसपास की आबादी, जल स्रोतों व पर्यावरण को दूषित न करें।

7. प्राकृतिक तालाबों, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों का संरक्षण एंव विकास किया जाना चाहिए ताकि पर्यटक आकर्षित हो एवं पर्यटन को बढ़ावा मिले।

8. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए और प्रत्येक योजना क्षेत्र, व्यावसायिक, कार्य क्षेत्रों, शैक्षणिक, चिकित्सा और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर हों। इसी क्रम में प्रत्येक योजना क्षेत्र के लिए विस्तृत योजनाऐं तैयार की जानी चाहिए।

9. मास्टर प्लान के अनुरूप पेयजल, जल–मल–निकास, विद्युत एवं परिसंचरण इत्यादि ढाँचागत विकास हेतु विस्तृत योजनाऐं तैयार की जानी चाहिए।

10. नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि नियन्त्रण क्षेत्र होना चाहिए, जिससे अच्छे पर्यावरण की प्राप्ति के साथ, अव्यवस्थित विकास को नियन्त्रित किया जा सके।

11. नगर के विभिन्न पथों और मार्गों के समुचित उपयोग करने हेतु यातायात संरचना में बहुस्तरीय व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय नगरीय यातायात से मिश्रित नहीं होने दिया जाना चाहिए एवं इस हेतु बाईपास का

प्रावधान किया जाना चाहिए। राज्य–राजमार्ग 9 ए एवं 9 बी नगर के मध्य से गुजर रहे हैं अतः वर्तमान सड़क पर भावी यातायात एवं शहरी यातायात का अत्यधिक दबाव है। अतः मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप बाईपास एवं वैकल्पिक समानान्तर सड़क विकसित की जानी आवश्यक है।

12. रामगंजमण्डी तहसील में 1 उप तहसील एवं 171 ग्राम आते हैं, जो कि प्रशासनिक व वाणिज्यिक आवश्यकताओं के लिए रामगंजमण्डी पर निर्भर हैं। विकास हेतु क्षेत्रीय विकास की आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाना भी उचित होगा।

13. अधिक घनत्व वाले पुराने क्षेत्रों में जहां सड़कें संकरी हैं एवं यातायात की समस्या है, वहां पर नव निर्माण / पुनर्निर्माण की स्वीकृति देते समय पार्किंग का उचित प्रावधान रखा जाना चाहिए। इन क्षेत्रों से थोक वाणिज्यिक गतिविधियों को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए, ताकि पुराने क्षेत्र में यातायात की समस्या में कमी हो। साथ ही यहाँ पर यातायात प्रबन्धन भी किया जाना चाहिए। संकरी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को कम करने एवं उसे अन्यत्र जोड़ने के लिए पर्याप्त स्थान संधारित करने होंगे।

14. विशिष्ट प्रकार के थोक व्यापार, ट्रान्सपोर्ट नगर, भण्डारण एवं गोदाम, पत्थर स्टॉक भारी यातायात आमंत्रित करते हैं। रामगंजमण्डी नगर में भी कृषि उपजमण्डी नगर के मध्य में लगभग 34 एकड़ क्षेत्रफल में कार्यरत् है। वर्तमान में मण्डी के व्यापार एवं इस कारण जनित यातायात समस्या को देखते हुए इसे घनी आबादी से दूर नये क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि आरक्षित कर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

15. रामगंजमण्डी नगर के मध्य से गुजर रहे नालों के किनारे की भूमि एवं अन्य राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण हटाकर नाले की भूमि की सुरक्षा के उपाय किये जाने चाहिए। नाले के दोनों और रिटेनिंग वाल बनाई जानी चाहिए एवं नाले के क्षेत्र में आ रही बस्तियों का नियोजित विकास किया जाना चाहिए। पश्चिमी पठारी क्षेत्र में अधिक वर्षा होने से यह समस्त पानी खैराबाद के पास बने हुये तालाब से मिलता है। वहाँ से नगर के सामान्य ढलान के अनुरूप बहता हुआ दक्षिण पूर्वी दिशा में आता है। इसे नियन्त्रित करने के उपाय जैसे चेक डेम एवं तालाबों के अप स्ट्रीम में खुले स्थल रखे जाने चाहिए, जिससे पानी की आवक का मार्ग अवरूद्ध ना हो। साथ ही बाढ़ की स्थिति से बचाव हेतु नालों के अतिक्रमण हटाने चाहिए एवं

नालों के दोनों ओर रिक्त भूमि का प्रावधान किया जाना चाहिए, जहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण न किया जा सके। केचमेन्ट क्षेत्र में पुराने तालाबों की मरम्मत एवं नये तालाबों का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो।

16. रामगंजमण्डी नगर में अवांछित क्षेत्रों में कोटा स्टोन की कटिंग मशीनें चल रही हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण एवं यातायात की समस्या है। साथ ही कोटा स्टोन प्रसंस्करण की औद्योगिक इकाईयों से निकलने वाले मलबे का निस्तारण भी एक गहन समस्या है, जिसका निदान अत्यन्त आवश्यक है। अतः इन समस्त कोटा स्टोन की औद्योगिक इकाईयों को बाहरी औद्योगिक क्षेत्र में उचित स्थल पर योजनाबद्ध रूप से स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

17. कोटा स्टोन की खानों से निकलने वाले मलबे के एकत्रीकरण से बने ढेरों को अनुपयोगी खानों के पुनर्भरण हेतु काम में लिया जाना चाहिये। इस प्रकार मलबे के हटाये जाने से रिक्त भूमि तथा खानों के पुनर्भरण से प्राप्त भूमि को प्रस्तावित योजना के अनुसार विभिन्न उपयोगों में लिया जाना चाहिये। कोटा स्टोन के इस मलबे को अन्य उपयोगों जैसे कि सड़क निर्माण, टाईल्स निर्माण, ईंट निर्माण इत्यादि के लिए उपयोग करने हेतु उचित शोध एवं प्रयासों की आवश्यकता है।

18. रामगंजमण्डी नगर के मध्य आवासीय क्षेत्रों में एवं अन्य अवांछित क्षेत्रों में पत्थर का व्यवसाय हो रहा है, जिससे भारी यातायात आबादी क्षेत्र में आमंत्रित होता है। अतः इन पत्थर स्टॉकों को योजनाबद्ध रूप से उचित स्थल पर पत्थर मण्डी के रूप में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

19. रामगंजमण्डी के खैराबाद ग्राम में बसन्त के महीने में ऐतिहासिक महत्व का मेला लगता है। यह मेला खैराबाद में नगर के बीच स्थित विख्यात माँ फलौदी मन्दिर के निकट ही एक खुले परिसर (माँ फलौदी मेला ग्राउण्ड) में आयोजित किया जाता है। विगत् वर्षों में मैदान में अवांछित निर्माणों व अतिक्रमणों से मैदान का स्वरूप बिगड़ा है। अतः इसे सुरक्षित रखने हेतु गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है।

20. अनौपचारिक व्यवसाय हेतु योजनाओं में उचित प्रावधान रखा जाना आवश्यक है, ताकि सड़कों पर थड़ियों के रूप में अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर रोक लगे एवं यातायात में सुधार हो।

21. अनियमित कच्ची बस्तियों के नियमन हेतु आवश्यक मानदण्डों की पूर्ति की जानी चाहिए अथवा जो नियमन योग्य नहीं हैं, उन्हें उचित स्थल पर पुनर्वासित किया जाना चाहिए। जो कच्ची बस्तियां शहर की बेशकीमती भूमि पर बसी हुई हैं, उन्हें अन्यत्र पुनर्वासित कर भूमि का उचित उपयोग किया जाना चाहिए।

22. योजनाओं में छोड़े गये पार्कों के विकास एवं वृक्षारोपण हेतु गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है, तथा सड़कों के किनारे जन वृक्षों के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नालों व जलाशयों के सहारे जो भूमि विकास योग्य नहीं है, उन पर भी सघन वृक्षारोपण किया जाकर शहरीवनों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे कि नगर का पर्यावरण संतुलन बना रहे एवं बाढ़, भू–कटाव एवं अतिक्रमण आदि समस्याओं से नगर का बचाव हो। मास्टर प्लान में प्रस्तावित खुले स्थलों, रिक्त भूमि एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र शहरी वन के रूप में विकसित किए जा सकते हैं।

4

भावी आकार

4.1 जनांकिकी :–

वर्ष 1951 से 2001 तक पिछले 50 वर्षो के दौरान रामगंजमण्डी नगर की जनसंख्या 5111 से 6 गुणा बढ़कर 30973 हो गई, जो कि अपने आप में तीव्र शहरी विकास का एक उदाहरण है। वर्ष 2001 के लिए निकटवर्ती ग्रामों की जनसंख्या खैराबाद 9080, कुदायला 3428, मायला 2026, सांडपुर 315, अमरपुरा 2040, सातलखेड़ी 14976 एवं कुम्भकोट 5857 को सम्मिलित करते हुए रामगंजमण्डी की कुल जनसंख्या 68695 के आधार पर आंकलन किया गया है।

पिछले दशक (2001–2011) में रामगंजमण्डी नगर की जनसंख्या वृद्धि दर 40.54 प्रतिशत अनुमानित की गई है तथा निकटवर्ती ग्राम यथा खैराबाद , कुदायला, मायला, सांडपुर, अमरपुरा, सातलखेड़ी एवं कुम्भकोट जो नगरीय विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, की गत दशक में औसत वृद्धि –दर लगभग 48 प्रतिशत अनुमानित की गई है। अतः पिछले दशक (2001–2011) में औसत जनसंख्या वृद्धि दर 44.11 प्रतिशत के अनुसार यह अनुमान है कि वर्ष 2011 में रामगंजमण्डी की कुल जनसंख्या लगभग 99000 है, जिसे मास्टर प्लान 2031 हेतु आधार जनसंख्या माना गया है।

रामगंजमण्डी नगर की प्रशासनिक, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक महत्ता एवं मास्टर प्लान के क्रियान्वयन से संभावित रोजगार वृद्धि के कारण आगामी दशकों में नगर की वृद्धि दर और बढ़ने की सम्भावना है। अतः आगामी दशकों 2011–2021 एवं 2021–2031 में जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः 44.44 प्रतिशत एवं 45.45 प्रतिशत अनुमानित की गई है। यह अनुमान है कि वर्ष 2031 तक रामगंजमण्डी की कुल जनसंख्या लगभग 208000 तक पहुँच जायेगी। वर्ष 2001 से 2031 तक रामगंजमण्डी नगर की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमानों को तालिका – 13 में दर्शाया गया है।

तालिका – 13

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, रामगंजमण्डी–2011–2031

वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	वृद्धि –दर (प्रतिशत)
2001	68695	–	
2011′	99000	30305	44.11
2021′	143000	44000	44.44
2031′	208000	65000	45.45

स्रोत : जनगणना भारत सरकार एवं सलाहकार अनुमान′

उपरोक्त तालिका संख्या 13 के आंकड़ों से स्पष्ट है कि रामगंजमण्डी मास्टर प्लान 2031 हेतु वर्ष 2011, 2021 एवं क्षितिज वर्ष 2031 की कुल प्रस्तावित जनसंख्या क्रमशः 99000, 143000 एवं 208000 अनुमानित है।

4.2 व्यावसायिक संरचना :–

प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना विगत प्रवृत्तियों, प्रशासनिक एवं जन सांख्यिकी विशेषताओं व विभिन्न आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के विकास की सम्भावनाओं के आधार पर ज्ञात की गई है।

वर्ष 1991 एवं 2001 में रामगंजमण्डी नगर में कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात क्रमशः 29.17 एवं 30.21 प्रतिशत था। सुनियोजित नगरीय विकास एवं बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण आने वाले दो दशकों में रोजगार के अवसरों एवं साधनों में वृद्धि होगी, अतः आगामी दशकों 2011–2021 एवं 2021–2031 में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात 31.50 प्रतिशत एवं. 32.00 प्रतिशत अनुमानित है। अतः यह अनुमान है कि वर्ष 2021 एवं वर्ष 2031 तक रामगंजमण्डी नगर में कार्यशील व्यक्तियों की कुल संख्या क्रमशः लगभग 44500 एवं 67000 होगी।

क्षितिज वर्ष 2031 की अनुमानित व्यावसायिक संरचना में यह अनुमान लगाया गया है कि नगर की औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, अतः उद्योगों में कार्यशील व्यक्तियों की संख्या कुल कार्यशील जनसंख्या का 15.50 प्रतिशत अनुमानित की गई है। साथ ही नगरीयकरण की प्रवृत्ति बढने के कारण कृषि व खनन संबंधित क्रियाओं में कार्यशील व्यक्तियों की वृद्धि दर में विशेष बढ़ोतरी नहीं होगी।

यह अनुमान लगाया गया है कि नगर के विकास के साथ निर्माण एवं व्यापार व वाणिज्यिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। अतः निर्माण में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात 8 प्रतिशत एवं व्यापार व वाणिज्य में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात 30 प्रतिशत आंका गया है। वर्ष 2031 की प्रस्तावित व्यावसायिक सरंचना को तालिका – 14 में दर्शाया गया है।

तालिका – 14

व्यावसायिक संरचना – रामगंजमण्डी – 2031

क्र. सं.	व्यवसाय की श्रेणी	2021 कार्यशील श्रमिक		2031 कार्यशील श्रमिक	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	कृषि व खनन संबंधित क्रियाऐं	6450	14.5	9700	14.5
2	उद्योग एवं गृह उद्योग	6900	15.5	10500	15.5
3	निर्माण कार्य	3350	7.5	5350	8.0
4	व्यापार एवं व्यवसाय	13150	29.5	20100	30.0
5	यातायात एवं परिवहन	3350	7.5	5350	8.0
6	अन्य सेवाऐं	11300	25.5	16000	24.0
योग		44500	100.0	67000	100.0

स्रोत : भारतीय जनगणना एवं सलाहकार अनुमान

4.3 नगरीय क्षेत्र :–

इस मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष 2031 मानते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.10 (5) न.वि.आ./3/81 दिनांक 07–03–2011 द्वारा 10 पुराने एवं 20 नये, अतः कुल 30 राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है। तत्पश्चात् राज्य सरकार की संशोधित अधिसूचना क्रमांक प.10 (5) न.वि.आ./3/81 दिनांक 27–02–2012 एक ओर राजस्व ग्राम नगरीय सीमा में शामिल किया गया है। इस प्रकार कुल 31 राजस्व ग्राम रामगंजमण्डी की नगरीय सीमा में सम्मिलित किये गये हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 40918 एकड़ है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र :–

क्षितिज वर्ष 2031 में रामगंजमण्डी नगर की जनसंख्या लगभग 208000 होने का अनुमान है अर्थात् वर्तमान जनसंख्या 99000 में लगभग 111000 व्यक्तियों की वृद्धि होगी। इस प्रकार रामगंजमण्डी नगर में प्रतिवर्ष लगभग 5500 व्यक्तियों की वृद्धि होगी।

इन व्यक्तियों के लिए रहने, कार्य करने आमोद–प्रमोद स्थल, अन्य सामुदायिक दायित्व हेतु सार्वजनिक स्थल के लिए भूमि की व्यवस्था करनी होगी। रामगंजमण्डी नगर के नगरीय क्षेत्र के विस्तार की सम्भावना का निर्धारण करते वक्त वर्तमान भौतिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्य/उद्देश्य हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। वर्तमान में विकास की प्रवृत्तियों के दृष्टिगत् नगर का विकास सुकेत सड़क के उतर एवं दक्षिण में, गोरधनपुरा से अमरपुरा, खैराबाद से उण्डवा सड़क तक, हनुमतखेड़ा से मायला तक होने की सम्भावनाऐं हैं। नगर की अनुमानित जनसंख्या को उचित आधार पर बसाने और इसके अनुरूप समुचित अनुपात में कार्य केन्द्रों, आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्य केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों, आमोद–प्रमोद क्षेत्रों, सुविधाजनक परिसंचरण व्यवस्था आदि गतिविधियों का प्रावधान करते हुये यह अनुमान लगाया गया है कि विभिन्न भू–उपयोगों के लिए लगभग 10990 एकड़ नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की आवश्यकता होगी।

4.5 योजना क्षेत्र :–

भविष्य में होने वाले विकास की दृष्टि से रामगंजमण्डी नगर में नगरीय क्षेत्र को पाँच योजना क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। विद्यमान विशेषताओं, आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रस्तावित अवस्थितियों, प्राकृतिक अवरोधों, अन्य भौतिक विशेषताओं एवं गतिविधियों के पारस्परिक सम्बन्धों को ध्यान में रखकर विभिन्न योजना क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक योजना क्षेत्र आवासीय, वाणिज्यिक सुविधाओं, आमोद–प्रमोद एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं आदि में आत्मनिर्भर होगा। नियोजन के लिए योजना क्षेत्र को सेक्टर प्लान के माध्यम से विभाजित कर चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जायेगा। वर्ष 2031 हेतु योजना क्षेत्र एवं उसके क्षेत्रफल को तालिका – 15 में दर्शाया गया है।

तालिका – 15

योजना क्षेत्र – रामगंजमण्डी – 2031

जोन	योजना क्षेत्र	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(अ)	खैराबाद योजना क्षेत्र	3615
(ब)	रामगंजमण्डी योजना क्षेत्र	2490
(स)	निमाणा सड़क योजना क्षेत्र	2820
(द)	कुम्भकोट सड़क योजना क्षेत्र	2065
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	**10990**
(य)	परिधि नियन्त्रण योजना क्षेत्र	29928
	कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र	**40918**

स्रोत : सलाहकार अनुमान

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र मानचित्र पर दर्शाया गया है। जिसमें राजस्व ग्रामों की सीमाऐं, विद्यमान नगरीकृत क्षेत्र 2011 एवं वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमाऐं प्रदर्शित हैं। प्रथम चार योजना क्षेत्र कुल नगरीयकरण योजना क्षेत्र दर्शाते हैं, जबकि अन्तिम योजना क्षेत्र परिधि नियन्त्रण क्षेत्र को दर्शाता है। योजना क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार हैः–

अ – खैराबाद योजना क्षेत्र :–

खैराबाद योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 3615 एकड़ है। इसके अन्तर्गत् अधिकांश पुराने विकसित क्षेत्र है। पश्चिम में रेलवे लाईन से होते हुये मोड़क सड़क पर नवोदय विद्यालय तक एवं बस (निजी) स्टैण्ड से उण्डवा सड़क पर दक्षिण में ग्राम किशोरपुरा तक का सम्पूर्ण विकसित क्षेत्र इस योजना क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में एक बड़ा जलाशय स्थित है, जिसे बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। तालाब के आस–पास के क्षेत्र में कई व्यवसायिक गतिविधियाँ स्थित हैं। खैराबाद के अन्दर मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र, बस (निजी) स्टैण्ड के पास बर्तन बाजार, रेडीमेड गारमेन्ट्स, सब्जीमण्डी, ऑटो मोबाइल्स बाजार इत्यादि स्थित है। इस क्षेत्र में आई.टी.आई. कॉलेज, विद्युत वितरण निगम, नवोदय विद्यालय, डाकघर, जलदाय विभाग, ग्राम पंचायत, वेयर हाऊस, डिस्पेन्सरी, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, उपकार गृह, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बालिका महाविद्यालय, इन–डोर स्टेडियम, पेट्रोल पम्प, बस स्टैण्ड इत्यादि

स्थित है। खैराबाद का ऐतिहासिक फलौदी माता मन्दिर इस योजना क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र नगर का अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है। इस योजना क्षेत्र में लगभग 1076 एकड़ भूमि आवासीय उपयोग प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है। यह क्षेत्र अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ ही मोड़क सड़क पर स्थित होने के कारण नगर की व्यावसायिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु बना रहेगा।

इस योजना क्षेत्र में उण्डवा/मोड़क सड़क (राज्य राजमार्ग – 9ए) के लिये 60 मीटर मार्गाधिकार का बाई–पास प्रस्तावित किया गया है। नवोदय विद्यालय एवं खैराबाद आई.टी. आई. के पास रिक्त भूमि में से शैक्षणिक संस्थान यथा महाविद्यालय, व्यवसायिक संस्थानों हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। साथ ही स्टेडियम एवं सरकारी कार्यालयों हेतु भी भूमि प्रस्तावित की गई है। बड़ा तालाब एवं अन्य तालाबों के आस–पास की भूमि खुली रखी गई है। जिससे की इन जलाशयों में आने वाले जल का मार्ग अवरूद्ध ना हों। इन–डोर स्टेडियम से फलौदी माता मेला स्थल तक वर्तमान में स्थित बाई–पास सड़क के पश्चिम एवं गोयन्दा सड़क के दक्षिण में नगरीय सुविधाओं यथा वाणिज्यिक, शैक्षणिक, अस्पताल, पर्यटन सुविधाओं अन्य सामाजिक सुविधाओं एवं जन उपयोगी सुविधाओं हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। उण्डवा सड़क पर पशु चिकित्सालय हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। रेलवे लाइन एवं खैराबाद के मध्य का क्षेत्र आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित किया गया है। फलौदी माता मेला स्थल के विस्तार एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गयी है।

ब – रामगंजमण्डी योजना क्षेत्र :–

रामगंजमण्डी नगर योजना क्षेत्र रेलवे लाईन के पूर्व दिशा में सुकेत सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 2490 एकड़ है। सुकेत सड़क (खनन कार्यालय) से रोंसली ग्राम, पूर्व दिशा में पारसा माता चौराहा तक एवं ग्राम नालोदिया तक सम्पूर्ण विकसित क्षेत्र इस योजना क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में छोटे व बड़े पाँच जलाशय स्थित हैं। रामगंजमण्डी नगर के अन्दर मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बर्तन बाजार, रेडीमेड गारमेन्ट्स, सब्जीमण्डी, ऑटो मोबाइल्स, चूड़ी बाजार, किराना (गुड़, शक्कर, तेल) इत्यादि है। इस क्षेत्र में खनन कार्यालय, रेलवे स्टेशन, रेलवे वर्कशॉप, महाराजा होटल पैलेस, बद्रिका आश्रम मैरिज गार्डन, दूरभाष केन्द्र, गौशाला, कृषि उपजमण्डी, विद्युत वितरण निगम, अस्पताल, जलदाय विभाग, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, नगर पालिका, पुलिस थाना, नारायण सिनेमा, सरकारी व निजी विद्यालय, पेट्रोल पम्प, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम व

जयपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय तथा कुदायला में ग्राम पंचायत आदि स्थित है। इस क्षेत्र में ऐतिहासिक गोरधन माता मन्दिर एवं अन्य पुराने मन्दिर भी स्थित हैं। यह क्षेत्र रामगंजमण्डी का सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है। इस योजना क्षेत्र में लगभग 1185 एकड़ भूमि आवासीय उपयोग प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है। यह क्षेत्र अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ–साथ नगर की व्यवसायिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु बना रहेगा।

इस योजना क्षेत्र में ग्राम रोंसली, सांडपुर, अमरपुरा एवं कुदायला के आबादी क्षेत्रों को भी रामगंजमंडी की मुख्य धारा से जोड़ना प्रस्तावित है। इस योजना क्षेत्र में वर्तमान में स्थित कृषि उपजमंडी को स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कृषि उपजमण्डी के विस्थापन से रिक्त हुई भूमि पर जिला वाणिज्यिक केन्द्र एवं थोक फल व सब्जीमण्डी विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

गोरधन माता के मन्दिर के आस–पास क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं, वाणिज्यिक एवं डिस्पेन्सरी प्रस्तावित है। कुम्भकोट को उण्डवा सड़क (राज्य राजमार्ग – 9ए) से जोड़ने हेतु 60 मीटर मार्गाधिकार की बाई पास सड़क प्रस्तावित है। इसी सड़क पर ग्राम सांडपुर के दक्षिण में कृषि आधारित प्रदूषण रहित औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है।

सुकेत सड़क से 60 मीटर बाई–पास सड़क को जोड़ने के लिये 132 के.वी. उच्च शक्ति की विद्युत लाईन के नीचे 30 मीटर मार्गाधिकार की सड़क प्रस्तावित है। सुकेत सड़क के दक्षिण में एवं इस प्रस्तावित सड़क के पश्चिम में नगरीय बस अड्डा प्रस्तावित किया गया है। इस सड़क एवं कुम्भकोट सड़क के मध्य स्थित रिक्त भूमि पर नगर स्तरीय सुविधाओं यथा अस्पताल, महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्टेडियम, सरकारी कार्यालयों एवं औद्योगिक उपयोगों हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है।

स – निमाणा सड़क योजना क्षेत्र :–

निमाणा सड़क नगर योजना क्षेत्र रेलवे लाईन के पूर्व दिशा में एवं सुकेत सड़क के उत्तर दिशा में स्थित है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 2820एकड़ है। सुकेत सड़क रेलवे फाटक से ग्राम सातलखेड़ी तक, उत्तर में रेलवे फाटक से हनुमतखेड़ा तक एवं निमाणा सड़क पर स्पाइसेज औद्योगिक पार्क तक का क्षेत्र इस योजना क्षेत्र की परिसीमा बनाता है। निमाणा सड़क पर स्थित पेट्रोल पम्प, पुलिस थाना, 132 के.वी. जी.एस..एस., राजकीय महाविद्यालय, स्पाइस पार्क, जलदाय विभाग कार्यालय, ग्राम हनुमतखेड़ा आबादी क्षेत्र, मरियम अस्पताल, ग्राम

मायला आबादी क्षेत्र एवं निमाणा सड़क के पूर्व में स्थित व्यवसायिक गतिविधियाँ भी इस योजना क्षेत्र में स्थित हैं। इस क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं पुराने मन्दिर भी स्थित है। इस क्षेत्र में ग्राम हनुमतखेड़ा के समीप स्कूल एवं क्रीड़ा स्थल हेतु भूमि आवंटित है। यह क्षेत्र मध्यम घनत्व वाला क्षेत्र है। इस योजना में लगभग 927 एकड़ भूमि आवासीय, 691 एकड़ भूमि औद्योगिक उपयोग प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है। यह क्षेत्र अपने औद्योगिक महत्व के साथ–साथ नगर की व्यवसायिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु बना रहेगा।

इस योजना क्षेत्र में (राज्य राजमार्ग–9बी) एवं मोड़क सड़क (राज्य राजमार्ग–9ए) को जोड़ने एवं नगर के मध्य से गुजरने वाले भारी यातायात को नगरीय यातायात से पृथक करने हेतु 60 मीटर मार्गाधिकार का बाईपास प्रस्तावित किया गया है। ग्राम मायला एवं हनुमतखेड़ा के आबादी क्षेत्रों को रामगंजमण्डी की नगर की मुख्य धारा से जोड़ना प्रस्तावित है। निमाणा सड़क पर पारसा माता चौराहे से स्पाइसेज पार्क की भूमि तक नगर स्तरीय व्यापारिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। निमाणा सड़क पर कृषि उपजमंडी, भवन निर्माण सामग्री आदि का थोक व्यापार केन्द्र, यातायात नगर, व्यावसायिक संस्थान एवं अन्य उपयोगों हेतु भूमि प्रस्तावित है। निमाणा सड़क के पूर्व में कोटा स्टोन आधारित औद्योगिक इकाईयों एवं निमाणा सड़क के पश्चिम की ओर कृषि आधारित उद्योगों हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। सुकेत सड़क से 60 मीटर बाईपास को जोड़ने हेतु 132 के.वी. उच्च शक्ति विद्युत लाईन के नीचे 30 मीटर मार्गाधिकार की सड़क प्रस्तावित है। इसी प्रकार निमाणा सड़क को मोड़क सड़क से जोड़ने के लिये रेलवे क्रॉसिंग से होते हुये 30 मीटर मार्गाधिकार की सड़क प्रस्तावित की गई है।

सुकेत सड़क एवं ग्राम हनुमतखेडा एवं मायला के मध्य का क्षेत्र मुख्यतया आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है। ग्राम मायला के आसपास स्थित वन भूमि एवं कोटा स्टोन की खानों के मलबे से बने हुये ढेरों पर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। सुकेत सड़क के उत्तर में स्थित ग्राम सातलखेड़ी के आबादी क्षेत्र को भी नगरीय विस्तार में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

द – कुम्भकोट सड़क योजना क्षेत्र :–

कुम्भकोट सड़क नगर योजना क्षेत्र पारसा माता मन्दिर से पूर्व दिशा में एवं कुम्भकोट चौराहे तक दक्षिण–पूर्वी दिशा में स्थित है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 2065 एकड़ है। इस

क्षेत्र में अधिकांश कोटा स्टोन की खानें एवं पत्थर के स्टॉक, रीको औद्योगिक क्षेत्र, अन्य औद्योगिक इकाईयाँ, ग्राम लक्ष्मीपुरा आबादी क्षेत्र एवं ग्राम कुम्भकोट आबादी क्षेत्र स्थापित है। आबादी क्षेत्र के निकट ही विद्यालय, जलदाय विभाग, ए.एस.आई. का कार्यालय, पेट्रोल पम्प, ग्रिड सब स्टेशन, विद्युत वितरण निगम कार्यालय इत्यादि स्थापित हैं।

यह क्षेत्र सबसे निम्न घनत्व वाला क्षेत्र है। इस योजना में लगभग 375 एकड़ भूमि आवासीय, 1060 एकड़ भूमि औद्योगिक उपयोग प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है। यह क्षेत्र अपने औद्योगिक एवं खनन गतिविधियों की बहुलता के कारण नगर की आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु बना रहेगा।

इस योजना क्षेत्र में सुकेत सड़क के दक्षिण में स्थित ग्राम सातलखेड़ी का आबादी क्षेत्र एवं ग्राम लक्ष्मीपुरा एवं कुम्भकोट के आबादी क्षेत्रों के भी नगरीय विस्तार में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। यह क्षेत्र मुख्यतया कोटा स्टोन एवं कोटा स्टोन आधारित औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में कोटा स्टोन आधारित थोक व्यापार एवं भण्डारण हेतु भी भूमि प्रस्तावित की गई है। सुकेत सड़क को उण्डवा सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्तावित 60 मीटर दक्षिणी बाईपास का कुम्भकोट तक का भाग आंशिक रूप से इस योजना क्षेत्र में आता है।

य – परिधि नियन्त्रण पट्टी योजना क्षेत्र :–

नगरीयकरण योग्य सीमा व अधिसूचित नगरीय सीमा के मध्य स्थित सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र इस योजना क्षेत्र में आता है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 29928 एकड़ है। इस योजना क्षेत्र में अधिसूचित नगरीय सीमा के अन्दर स्थित ग्राम आबादी क्षेत्र व खनन क्षेत्र भी सम्मिलित हैं।

परिधि नियन्त्रण पट्टी योजना क्षेत्र का उद्देश्य नगर परिधि पर व सड़कों के किनारे होने वाले अनियोजित विकास को रोकना है। इस योजना क्षेत्र में कृषि एवं उसकी सहायक गतिविधियों, खनन कार्य, होटल, मोटल, रिसोर्ट, एम्यूजमेंन्ट पार्क, ईंट भट्टा, चूना भट्टा, पेट्रोल पम्प, दूध डेयरी, फलोद्यान एवं जनोपयोगी सुविधाऐं यथा जलापूर्ति केन्द्र, ग्रिड सब स्टेशन, कृषि आधारित लघु उद्योग, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट इत्यादि विकसित किये जा सकते हैं। नगरीय सीमा के अन्दर स्थित ग्रामों को शहरी ग्रामों के रूप में विकसित किया जायेगा, ताकि आस–पास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

5

भू–उपयोग योजना

भू–उपयोग योजना विभिन्न योजनागत् नीतियों और सिद्धांतों का स्थानिक विस्तार के रूप में रूपान्तरण है। इसकी रचना की वर्तमान विशेषताओं तथा विद्यमान एवं सम्भावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गई है। नगरीय भूमि एक दुर्लभ संसाधन है। अतः इसका उपयोग जहाँ तक सम्भव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधिसम्मत् आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए।

रामगंजमण्डी नगरीय क्षेत्र की भू–उपयोग योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि अन्य संबंधित नगरीय समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान हो सके। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर नियोजन के मानदण्डों का निर्धारण किया गया है। क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता में विभिन्न नगरीय कार्यों की स्थल स्थिति की पहचान दर्शायी गई है। वर्ष 2031 के प्रस्तावित भू–उपयोग को तालिका – 16 में दर्शाया गया है।

तालिका – 16

प्रस्तावित भू–उपयोग–रामगंजमण्डी – 2031

क्र. सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	3632	34.31	33.05
2	व्यावसायिक	1116	10.54	10.15
3	औद्योगिक	1963	18.55	17.86
4	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी	109	1.03	0.99
5	आमोद–प्रमोद	821	7.76	7.47
6	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	800	7.56	7.28
7	हाईवे डवलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र	847	8.00	7.70
8	परिसंचरण	1297	12.25	11.80
	कुल विकास योग्य क्षेत्र	**10585**	**100.00**	**96.32**
9	वन / वृक्षारोपण	207		1.88
10	जलाशय	198		1.80
	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	**10990**		**100.00**

स्रोत : नगर नियोजन विभाग, अनुमान

उपरोक्त तालिका अनुसार वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं हेतु लगभग 10990 एकड़ नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से 10585 एकड़ विकास योग्य क्षेत्र प्रस्तावित है। इसमें से 3632 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र का 34.31 प्रतिशत है। कुल प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र का 10.54 प्रतिशत व्यावसायिक, 18.55 प्रतिशत औद्योगिक, 1.03 प्रतिशत सरकारी एवं अर्द्धसरकारी, 7.76 प्रतिशत आमोद–प्रमोद, 7.56 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा 8 प्रतिशत हाईवे डवलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र प्रयोजनार्थ भूमि प्रस्तावित की गई है।

रामगंजमण्डी नगर का मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2031 के लिए विभिन्न भौतिक सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित सूचनाओं, वर्तमान विकास की पद्धति, विस्तार की दिशा व बाध्यताओं, जनसंख्या वृद्धि दर, व्यवसायिक संरचना, परिसंचरण व्यवस्था तथा भूमि की उपलब्धता के मद्देनज़र रामगंजमण्डी नगर के भावी विकास की रूपरेखा तैयार कर तालिकाबद्ध किया गया है तथा प्रस्तावित भू–उपयोग योजना में उद्धत किया गया है।

रामगंजमण्डी नगर के मास्टर प्लान का उद्देश्य अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में संतुलित, एकीकृत एवं सुनियोजित विकास की दिशा प्रदान करना है। इस प्रकार भू–उपयोग योजना विशिष्ट क्रिया–कलापों के चयन और चरणबद्ध विकास के लिए माध्यम होगी। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित भू–उपयोग योजना हेतु मदवार उपयुक्त भू–उपयोग के लिए मानदण्डों का आंकलन कर क्षितिज वर्ष 2031 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल एकड़ में प्रस्तावित है।

5.1 आवासीय :–

आवासीय क्षेत्रों की योजना इस तरह से तैयार की गई है कि इससे स्वस्थ सामुदायिक पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले तथा कार्य स्थलों और आमोद–प्रमोद के स्थलों तक जाने के लिये समय में कमी हो। इस प्रकार युक्तिसंगत आवासीय विकास नागरिकों को व्यवस्थित जीवन प्रदान कर सकेगा, जिससे सामाजिक एव सांस्कृतिक संबध प्रगाढ़ होगा एवं लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट प्रतिदिन की मूलभूत आवश्यकताओं हेतु जनोपयोगी सुविधाऐं प्राप्त हो सकेंगी। इस दृष्टि से लगभग 208000 व्यक्तियों को बसाने के लिये वर्ष 2031 हेतु लगभग 3632 एकड़ आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार औसत आवासीय घनत्व लगभग 57 व्यक्ति प्रति एकड़ होगा। शहर के भीतरी भाग व कार्य केन्द्रों के समीप अपेक्षाकृत

उच्च आवासीय घनत्व प्रस्तावित किया गया है ताकि अधिकतर लोग इसके समीप ही रह सकें। नगर परिधि क्षेत्र में कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं। रामगंजमण्डी के आवासीय क्षेत्रों के लिये कुल 2 घनत्व श्रेणियां क्रमशः 60 व्यक्ति प्रति एकड़ तक एवं 60 व्यक्ति प्रति एकड़ से अधिक प्रस्तावित की गई है। आवासीय क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक विद्यालय, पार्क, डिस्पेन्सरी आदि भी स्वीकृत किये जा सकेंगे।

5.1(1) आवासन :–

नगर की प्रस्तावित जनसंख्या 208000 है, जिसका वितरण छोटे–छोटे क्षेत्रों के रूप में किया जावेगा, जिसके पदानुक्रम में सामुदायिक सुविधाऐं प्रदान की जावेगी। इस प्रकार 2000 से 5000 जनसंख्या की एक आवासीय योजना इकाई एवं 4–5 इकाईयों को मिलाकर 15000 से 25000 की आबादी का एक आवासीय योजना क्षेत्र होगा। ऐसे प्रत्येक आवासीय योजना क्षेत्र को उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, सार्वजनिक उद्यान, डिस्पेन्सरी एव अन्य सामुदायिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया जायेगा।

इस प्रकार एक से अधिक आवासीय योजना क्षेत्रों को मिलाकर मास्टर प्लान प्रारूप का योजना क्षेत्र होगा, जिसकी जनसंख्या 45000 से 55000 तक होगी, जिनमें स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाऐं, जैसे सामान्य विद्यालय, चिकित्सालय, उद्यान, खेल के मैदान, वाणिज्यिक केन्द्र, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सिनेमा एवं अन्य सुविधाऐं विकसित की जावेगी।

वर्तमान में विकसित नगरीय आवासीय क्षेत्रों रामगंजमण्डी एवं खैराबाद के आबादी क्षेत्रों एवं नगर के साथ मुख्य धारा में जुड़ने वाली ग्रामीण क्षेत्रों सांडपुर, अमरपुरा, कुदायला, मायला, सातलखेड़ी एवं कुम्भकोट की आबादी के भावी विकास को यथा सम्भव उचित विस्तार दिया गया है।

5.1 (2) इन्फोरमल सेक्टर के लिए आवास :–

आवास समुदाय की एक प्रमुख आवश्यकता है। इसके अन्तर्गत सर्वाधिक भूमि की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि नगर पालिका और आवासन मण्डल भविष्य में आवश्यकतानुसार परियोजना तैयार करें और समाज के कमजोर वर्गों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को आवासीय सुविधाऐं उपलब्ध करावें। कार्य केन्द्रों के समीप कर्मचारियों एवं कमजोर आयवर्ग के व्यक्तियों के लिए सामूहिक आवास योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। रीको

द्वारा भी औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास परियोजना आरम्भ की जा सकती है, ताकि औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कच्ची बस्तियों के रूप में बेतरतीब विकास को रोका जा सके। ग्रामीण सामूहिक आवास योजनाऐं, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा हाथ में ली जा सकती है। रामगंजमण्डी के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विकास की रफ्तार को देखते हुए यहाँ इन्फोरमल सेक्टर के आवासों की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार द्वारा कमजोर वर्ग को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी लागू की गई है। टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत् अनुमोदित होने वाली योजनाओं में EWS/LIG हेतु भूखण्ड आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। इसके तहत् भविष्य में कमजोर वर्ग की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी।

5.1 (3) मिश्रित उपयोग :–

मास्टर प्लान में प्रस्तावित आवासीय भू – उपयोग के अर्न्तगत 24 मीटर व उससे अधिक चौड़ी सडकों पर एकल गहराई अथवा सड़क की चौड़ाई के डेढ़ गुना तक (जो भी कम हो) में मिश्रित उपयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार भू – उपयोग परिवर्तन पश्चात अनुज्ञेय होगा। मिश्रित उपयोग के अर्न्तगत् खुदरा, व्यावसायिक, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पम्प, मैरिज हॉल, सामुदायिक भवन, व्यायाम शाला, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, /क्लिनिक / डिस्पैन्सरी, प्राथमिक विद्यालय, नर्सिंग होम (10 शय्या तक) व अन्य सुविधाएँ देय होंगी।

5.1 (4) नगरीय नवीनीकरण / कच्ची बस्तियाँ :–

नगर के अनियमित एवं अनियोजित ढंग से बसे हुए क्षेत्रों के लिए नवीनीकरण कार्यक्रम बनाये जाना प्रस्तावित है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों, यथा – फलौदी माता मन्दिर एवं गोरधन माता मन्दिर आदि के लिए भी संरक्षण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

नियमित कच्ची बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार कार्यक्रम की आवश्यकता है, ताकि इनमें आधारभूत सुविधाऐं, जैसे कि – पीने का पानी, सार्वजनिक शौचालय, बरसाती पानी की निकासी, सड़कों पर रोशनी इत्यादि का उचित प्रबन्ध किया जा सके। कच्ची बस्ती क्षेत्रों के सुधार एवं उनके पुनर्विकास के लिए राज्य सरकार के कार्यक्रमों एवं भारत सरकार के कार्यक्रमों, जैसे – एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती विकास योजना, राजीव आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना आदि के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अनियमित गन्दी बस्तियों की समस्याओं पर सम्यक दृष्टि से विचार किया जाकर इस हेतु विस्तृत योजनाऐं विकसित किया जाना

प्रस्तावित है। ऐसी योजनाऐं बनाते समय यह ध्यान में रखा जावेगा कि इनसे न्यूनतम विस्थापन हो।

5.2 व्यावसायिक :–

क्षेत्रीय अवस्थिति के कारण रामगंजमण्डी, आस–पास के क्षेत्रों के लिए विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा है। कृषि एवं खनन के केन्द्र के रूप में विकसित होने के कारण यहाँ पर आर्थिक नियोजन की पर्याप्त सम्भावनाऐं हैं।

यहाँ पर कोटा स्टोन आधारित व्यावसायिक गतिविधियाँ एवं कृषि आधारित व्यवसायों की वृद्धि को देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि 2031 तक लगभग 20100 व्यक्ति अर्थात् कुल काम करने वालों का लगभग 30 प्रतिशत विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों में कार्यशील होंगे। उक्त योजना बनाते समय भूमि की उपलब्धता के आधार पर कुल व्यवसायिक गतिविधियों के उचित वितरण का ध्यान रखा गया है, जैसे – धानमण्डी, पत्थर मण्डी, भवन निर्माण सामग्री, थोक फल एवं सब्जीमण्डी इत्यादि के लिए उपयुक्त स्थल प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि ये अधिकांश व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक रहें। इस प्रकार विभिन्न वाणिज्यिक केन्द्र पदानुक्रम में विकसित किये जायेंगे, ताकि विभिन्न स्तरों की सुविधायें सुलभ हो सकें। वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत् कुल प्रस्तावित क्षेत्र लगभग 1116 एकड़ है, जो प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र का लगभग 10.54 प्रतिशत है।

रामगंजमंडी नगर के भीतर स्थित वाणिज्यिक क्षेत्र की बसावट नियोजित तरीके से ग्रिड चौखाना तर्ज पर हुई है। वाणिज्यिक क्षेत्र में बाजार संख्या 1 से 6 को वर्तमान में व्यापार केन्द्र का दर्जा प्राप्त है। आर्थिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों के कारण यह नगर भविष्य में भी केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा।

इस क्षेत्र में से कृषि उपज मण्डी को अन्य स्थान पर विस्थापित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि इस क्षेत्र में भारी वाहनों का आवागमन बन्द हो एवं यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके। इस स्थल को जिला केन्द्र एवं थोक फल एवं सब्जीमण्डी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त खैराबाद योजना क्षेत्र में, निमाणा सडक योजना क्षेत्र तथा कुम्भकोट सड़क योजना क्षेत्र में भी वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं।

तालिका – 17

प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण – रामगंजमण्डी– 2031

क्र. सं.	विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	जिला केन्द्र	23
2	वाणिज्यिक केन्द्र	44
3	अन्य वाणिज्यिक केन्द्र	192
4	थोक व्यापार	476
5	भण्डारण एव गोदाम	381
	योग	**1116**

उन सभी प्रमुख, उप प्रमुख एवं अन्य मुख्य सड़कों, जिनका मार्गाधिकार 60 फुट से कम नहीं हो, उनसे लगती हुई भूमियों पर वाणिज्यिक, खुदरा व्यापार तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक विकास अनुज्ञेय होंगे। इस हेतु भू–उपयोग परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किया जा सकेगा। यह विकास एकल सम्पत्ति अथवा 100 फुट की गहराई, जो भी कम हो, में ही किया जा सकेगा।

जहाँ सड़क का वास्तविक मार्गाधिकार, मास्टर प्लान में दर्शाऐ गये प्रस्तावित मार्गाधिकार से वर्तमान में कम है, वहाँ एकल सम्पत्ति की गहराई उतनी ही दूरी के लिए बढ़ जायेगी, जितनी कि उस सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई सड़क के उस तरफ एवं उस भाग में मध्य रेखा से कम पड़ रही हो। एकल सम्पत्ति की यह बढ़ी हुई गहराई जो कि सड़क के मार्गाधिकार कम होने के कारण मिली है, अनिवार्य रूप से सैट बैक के साथ खुली छोड़ी जायेगी। जब तक कि स्थानीय निकाय सड़क के विकास अथवा अन्य सेवाओं के विस्तार हेतु इस भूमि का अधिग्रहण नहीं कर लेती है। मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क का मार्गाधिकार छोड़कर ही व्यवसायिक अनुमति दी जायेगी।

5.2 (1) जिला केन्द्र :–

रामगंजमण्डी में वर्तमान में स्थित कृषि उपजमण्डी को स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इस विस्थापन से रिक्त होने वाली भूमि के एक भाग पर रामगंजमण्डी की वर्ष

2031 की अनुमानित जनसंख्या को देखते हुए जिला केन्द्र प्रस्तावित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 23 एकड़ है।

यह जिला केन्द्र नगर के वाणिज्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में कार्य करेगा जिला केन्द्र में खुदरा दुकानें, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट, सामुदायिक भवन, मनोरंजन केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर–तारघर कार्यालय, पुलिस स्टेशन, खुले स्थल इत्यादि का प्रावधान रखा जायेगा। साथ ही इस क्षेत्र में थोक कपड़ा व्यापार, सर्राफा बाजार, जनरल मार्केट जैसी गतिविधियों को भी विकसित किया जा सकेगा।

5.2 (2) वाणिज्यिक केन्द्र :–

वाणिज्यिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण हेतु योजना क्षेत्रों में पृथक–पृथक स्थलों पर 4 वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 44 एकड़ है। इन वाणिज्यिक केन्द्रों में खुदरा दुकानें, शोरूम, पेट्रोल पम्प, रेस्टोरेन्ट, होटल, सामुदायिक भवन, फर्नीचर मार्केट, जनरल मर्चेन्ट व्यवसाय, मनोरंजन केन्द्र एवं अन्य क्षेत्रीय बाजार विकसित किये जा सकेंगे।

तालिका – 18

प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्रों का विवरण – रामगंजमण्डी – 2031

क्र.सं.	विवरण	संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	योजना क्षेत्र – अ	2	24
2	योजना क्षेत्र – स	1	14
3	योजना क्षेत्र – द	1	6
	योग	**4**	**44**

5.2 (3) अन्य वाणिज्यिक केन्द्र :–

5.2 (3) अन्य वाणिज्यिक केन्द्र :–

वाणिज्यिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण हेतु 4 योजना क्षेत्रों में पृथक–पृथक स्थलों पर अन्य वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 192 एकड़ है। इन केन्द्रों में खुदरा दुकानें, स्थानीय सुविधा दुकानें, शोरूम, पेट्रोल पम्प, बैंक इत्यादि विकसित किये

जायेंगे। वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए योजना क्षेत्रों में सड़कों के किनारे नियोजित रूप में वाणिज्यिक क्षेत्र भी प्रस्तावित किये गये हैं।

5.2 (4) थोक व्यापार :–

रामगंजमण्डी में कृषि उपजमण्डी नगर के विस्थापन हेतु मास्टर प्लान में निमाणा सड़क पर राजकीय महाविद्यालय के पास लगभग 99 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। इसके अलावा वर्तमान कृषि उपजमण्डी के विस्थापन से रिक्त हुई भूमि के आंशिक भाग पर जिला केन्द्र एवं थोक फल व सब्जीमण्डी प्रस्तावित की गई है। रामगंजमण्डी में कोटा स्टोन का व्यापार एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि है। वर्तमान में नगर की मुख्य सड़कों के किनारे एवं खाली भूखण्डों पर छितरे रूप में इसका भण्डारण एवं व्यवसाय किया जा रहा है। इन व्यवसायों को व्यवस्थित ढंग से स्थापित करने हेतु प्रस्तावित निमाणा सड़क योजना क्षेत्र एवं कुम्भकोट सड़क योजना क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री एवं थोक व्यापार हेतु एवं खैराबाद योजना क्षेत्र में कृषि संबंधी सामग्री, थोक व्यापार हेतु लगभग 476 एकड़ भूमि प्रस्तावित है। नगर के मध्य में स्थित लोहा एवं टिम्बर के कार्यरत् व्यावसायिक इकाईयों को भी स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2031 हेतु प्रस्तावित एवं विशिष्ट थोक व्यापार स्थलों को तालिका – 19 में दर्शाया गया है।

तालिका – 19

प्रस्तावित विशिष्ट एवं थोक व्यापार–रामगंजमण्डी–2031

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	धानमण्डी, कृषि मण्डी	निमाणा सड़क पर राजकीय महाविद्यालय के दक्षिण में	99
2	फल एवं सब्जीमण्डी	वर्तमान कृषि उपजमण्डी के विस्थापन से रिक्त भूमि का दक्षिणी भाग	10
3	भवन निर्माण सामग्री	निमाणा सड़क व कुम्भकोट सड़क के पूर्व दिशा में	344
4	कृषि संबंधी सामग्री	उण्डवा सड़क पर रावली तिराहे के निकट	23
		योग	**476**

5.2 (5) भण्डारण एवं गोदाम :–

नगर की बढ़ती हुई वाणिज्यिक गतिविधियों के दृष्टिगत् वांछित तादाद में वस्तुओं के भण्डारण की आवश्यकता हेतु मास्टर प्लान में भूमि आरक्षित की गई है। वर्तमान में उपलब्ध भण्डारण एवं गोदाम स्थलों के अतिरिक्त निमाणा सड़क पर प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल के समीप, प्रस्तावित दक्षिणी बाईपास एवं जुल्मी सड़क के बीच तथा उण्डवा सड़क पर कुल 381 एकड़ भूमि पर भण्डारण एवं गोदाम हेतु स्थल प्रस्तावित हैं।

5.3 औद्योगिक :–

रामगंजमण्डी नगर औद्योगिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसका मुख्य कारण राज्य एवं देश के प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्रों से रामगंजमण्डी का रेल एवं सड़क मार्ग से जुड़ा होना तथा आस–पास खनिज संसाधनों का उपलब्ध होना है। वर्तमान में मुख्यतयाः कोटा स्टोन आधारित लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयाँ ही कार्यरत् है, जो कि नगर के आर्थिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य कर रही हैं। यहाँ पर कृषि, पशुपालन एवं खनिज संसाधनों पर आधारित सहायक इकाईयों की स्थापना की भी संभावना है। रामगंजमण्डी नगर का औद्योगिक विकास मुख्यतयाः पूर्वी दिशा में निमाणा सड़क एवं कुम्भकोट सड़क पर हुआ है, जो कि वायु दिशा की दृष्टि से उचित है। रामगंजमण्डी नगर में कोटा स्टोन आधारित कुछ औद्योगिक इकाईयाँ मुख्य सड़कों के किनारे भी छितरे हुए रूप में अव्यवस्थित रूप से विकसित हुई हैं। यह इकाईयाँ मास्टर प्लान में प्रस्तावित रिहायशी क्षेत्रों में प्रदूषण कारक एवं असुविधाजनक हैं। अतः ऐसी इकाईयों को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है।

अनुमानतः वर्ष 2031 तक लगभग 10500 व्यक्ति उद्योगों में कार्यरत् रहेंगे, जो कि कुल कार्यशील व्यक्तियों का 15.50 प्रतिशत होंगे। वर्ष 2031 हेतु औद्योगिक गतिविधियों का विवरण तालिका – 20 में दर्शाया गया है।

तालिका – 20

औद्योगिक गतिविधियों का विवरण – रामगंजमण्डी–2031

क्र. सं.	उद्योग का प्रकार	कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कार्य करने वालों का प्रतिशत	प्रस्तावित नियोजित घनत्व प्रति (एकड़ में)	नियोजित क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	घरेलू उद्योग	1050	10	–	–
2	वृहद् तथा लघु एवं मध्यम उद्योग	9450	90	5	1963
	योग	**10500**	**100**	–	**1963**

5.3 (1) औद्योगिक क्षेत्र :–

(i) कुम्भकोट सड़क औद्योगिक क्षेत्र –

यह औद्योगिक क्षेत्र पारसा माता चौराहे से कुम्भकोट जाने वाली सड़क पर स्थित है। इसी औद्योगिक क्षेत्र में रीको औद्योगिक क्षेत्र एवं ए.एस.आई. का औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। ये औद्योगिक इकाईयाँ सड़क के पूर्वी किनारे से लेकर खनन क्षेत्र तक फैल रही है। नियोजन की दृष्टि से इन औद्योगिक इकाईयों के फैलाव को स्थान देते हुए व्यवस्थित सड़क तन्त्र एवं अन्य सुविधाओं यथा थोक व्यापार, खुला स्थल, डिस्पेन्सरी, वाणिज्यिक स्थल इत्यादि प्रस्तावित किये गये हैं।

(ii) निमाणा सड़क औद्योगिक क्षेत्र –

औद्योगिक विकास की तीव्र रफ्तार के फलस्वरूप निमाणा सड़क पर दोनों ओर इकाईयाँ विकसित हुई है। साथ ही इन इकाईयों का फैलाव पूर्व में स्थित सातलखेड़ी खनन क्षेत्र तक होने लगा है। अतः इसको व्यवस्थित किया जाना आवश्यक है। कोटा स्टोन आधारित इकाईयों को निमाणा सड़क के पूर्व में ही रखा जाना वांछित है। स्पाईसेज औद्योगिक पार्क केन्द्र सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके साथ की भूमि को कृषि आधारित उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया है।

(iii) जुल्मी सड़क औद्योगिक क्षेत्र :–

जुल्मी सड़क से आस–पास एवं दूरदराज के ग्रामों से कृषि जिन्सों की आवक होती है। अतः इस जुल्मी सड़क पर सांडपुर तालाब के नजदीक एवं प्रस्तावित 60 मीटर दक्षिणी बाईपास के उत्तर में औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण रहित कृषि आधारित औद्योगिक इकाईयों हेतु स्वीकृति देय होगी।

(iv) सातलखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र –

सातलखेड़ी खनन क्षेत्र का फैलाव सुकेत सड़क पर ग्राम बीड़मण्डी तक होने के कारण मुख्य सड़क के किनारे कुछ औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हुई हैं। सातलखेड़ी आबादी क्षेत्र के पश्चात् मुख्य सुकेत सड़क से दक्षिणी एवं उत्तरी दोनों किनारों के साथ–साथ औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध रिक्त भूमि के अलावा ग्राम बीड़मण्डी स्थित खानों को कोटा स्टोन मलबे से पाटकर भूमि प्राप्त की जायेगी।

(v) अन्य औद्योगिक क्षेत्र (गून्दी)–

मोडक सड़क पर गून्दी एवं फतेहपुरा राजस्व ग्राम में औद्योगिक विकास हेतु रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। गून्दी ग्राम रामगंजमण्डी मास्टर प्लान–2031 की नगरीय सीमा में होने से 131 एकड़ भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की गई है। रीको के प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की शेष भूमि नगरीय सीमा के बाहर स्थित है। वर्ष 2031 हेतु प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र तालिका–21 में दर्शाये गये हैं।

तालिका – 21

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र – रामगंजमण्डी – 2031

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	कुम्भकोट सड़क औद्योगिक क्षेत्र	992
2	निमाणा सड़क औद्योगिक क्षेत्र	660
3	जुल्मी सड़क औद्योगिक क्षेत्र	110
4	सातलखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र	70
5	अन्य औद्योगिक क्षेत्र (गून्दी)	131
	योग	**1963**

5.4 राजकीय :–

5.4 (1) सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय :–

रामगंजमण्डी नगर के उपखण्ड मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर काफी संख्या में सरकारी कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के कार्यालय रेलवे, भारत संचार निगम लिमिटेड, डाक एवं तार विभाग इत्यादि भी स्थित हैं।

ऐसा अनुमान लगाया है कि वर्ष 2031 तक सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में कुल कार्यशील व्यक्तियों का 9.32 प्रतिशत अर्थात् लगभग 6250 व्यक्ति कार्यरत् होंगे। अतः सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों हेतु 2031 की भावी आवश्यकताओं के लिए लगभग 96 एकड़ अतिरिक्त भूमि रामगंजमण्डी योजना क्षेत्र एवं खैराबाद योजना क्षेत्र में प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार कुल 109 एकड़ भूमि सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों हेतु प्रस्तावित है। किराये के भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालयों को भी उक्त स्थलों पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा विद्यमान सरकारी कार्यालय के परिसरों में भी कार्यालयों का विस्तार सम्भावी है।

5.5 आमोद–प्रमोद :–

नगर के निवासियों एवं पर्यटकों के मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद हेतु वर्तमान में 43 एकड़ भूमि ही उपलब्ध है। अतः क्षितिज वर्ष 2031 तक की भावी आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न स्थलों पर 778 एकड़ भूमि अतिरिक्त प्रस्तावित की गई है।

5.5 (1) उद्यान एवं खुले स्थल :–

सार्वजनिक उद्यान और खुले स्थानों को सामान्य तौर पर नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है। ये किसी सीमा तक नगर को सामाजिक एवं भौतिक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए सार्वजनिक उद्यानों, खुले स्थलों, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्ति–संगत वितरण होना आवश्यक है। पुराने नगर में खुले स्थानों व उद्यानों का नितान्त अभाव है। राजस्थान आवासन मण्डल एवं नगर पालिका द्वारा विकसित योजनाओं में विभिन्न उद्यानों एवं खुले स्थलों का प्रावधान रखा गया है। किन्तु इन स्थलों पर वृक्षारोपण एवं रख–रखाव का अभाव है। साथ ही कई उद्यानों एवं खुले स्थलों

हेतु आरक्षित स्थलों पर सामुदायिक एवं धार्मिक अतिक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिस पर भी रोक लगाया जाना आवश्यक है।

अतः विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु एक युक्ति–संगत योजना विकसित की गई है। स्थानीय स्तर के उद्यान एवं खुले स्थलों हेतु विस्तृत आवासीय योजनाऐं एवं सेक्टर प्लान बनाते समय स्थल आरक्षित किये जायेंगे। नगर में कई जलाशय स्थित हैं, विभिन्न स्थलों पर आमोद–प्रमोद सुविधायें प्रदान करने के लिए इनका पूर्ण लाभ लिया गया है।

खैराबाद योजना क्षेत्र में राज्य राजमार्ग–9ए (मोड़क सड़क) पर बड़ा तालाब एवं आई. टी.आई. के दक्षिण में स्थित तालाबों के साथ का स्थान उद्यान एवं खुले क्षेत्र हेतु प्रस्तावित किया गया है। रामगंजमण्डी योजना क्षेत्र में सांडपुर तालाब एवं अमरपुरा तालाब के आस–पास का क्षेत्र उद्यान एवं खुले स्थल हेतु प्रस्तावित है। आदर्श विद्या मन्दिर के निकट एवं सरकारी कार्यालयों के लिए प्रस्तावित भूमि के निकट भी उद्यान एवं खुले स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। निमाणा सड़क योजना क्षेत्र में हनुमतखेड़ा आबादी क्षेत्र के निकट उद्यान एवं खुले स्थल हेतु भूमि आरक्षित की गयी है। ग्राम सातलखेड़ी के आबादी विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में भी उद्यान एवं खुले स्थल का प्रावधान किया गया है। कुम्भकोट योजना क्षेत्र में एक तथा कुम्भकोट आबादी क्षेत्र में एक खुला स्थल एवं उद्यान हेतु भूमि आरक्षित की गयी है।

खैराबाद योजना क्षेत्र में प्रस्तावित 60 मीटर बाईपास पर नगर स्तरीय उद्यान हेतु वृहद् स्थल आरक्षित किया गया है। साथ ही रामगंजमण्डी योजना क्षेत्र में राजकीय कार्यालयों हेतु प्रस्तावित भूमि के दक्षिण में स्टेडियम एवं नगर स्तरीय उद्यान के लिए भूमि प्रस्तावित की है। सभी योजना क्षेत्रों में बाईपास के साथ–साथ 50 मीटर चौड़ी हरितिमा पट्टी एवं मुख्य नालों के साथ–साथ 30 मीटर तथा अन्य नालों के साथ–साथ 15 मीटर चौड़ा खुला स्थल प्रस्तावित है। इसके अलावा विस्तृत आवासीय योजना में एवं सेक्टर प्लान तैयार करते समय स्थानीय आवश्यकताओं हेतु उद्यानों एवं खुले स्थलों का प्रावधान रखा जायेगा।

5.5 (2) स्टेडियम एवं खेल मैदान :–

रामगंजमण्डी में नगर स्तरीय खेल मैदानों का अभाव है। नगर पालिका द्वारा ग्राम हनुमतखेड़ा के नजदीक एक सीनियर सैकण्डी स्कूल एवं खेल मैदान प्रस्तावित है। कुछ बड़े विद्यालयों जैसे – नवोदय विद्यालय, आदर्श विद्या मन्दिर, कुम्भकोट सड़क स्थित विद्यालयों के

पास खेल मैदान हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। परन्तु इसके अतिरिक्त कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह कमी नगर के विकास के साथ–साथ और भी गहन होती जा रही है।

इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु खैराबाद योजना क्षेत्र एवं रामगंजमण्डी योजना क्षेत्र में नगर स्तरीय सुविधाओं के लिए स्टेडियम एवं खेल मैदान प्रस्तावित किये गये हैं। साथ ही सभी योजना क्षेत्रों में प्रस्तावित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के साथ भी खेल मैदानों का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा विस्तृत आवासीय योजनाऐं एवं सेक्टर प्लान तैयार करते समय स्थानीय आवश्यकताओं हेतु खेल मैदानों का प्रावधान रखा जायेगा।

5.5 (3) अर्द्धसार्वजनिक मनोरंजन :–

इसके अन्तर्गत अर्द्ध सार्वजनिक क्लब, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रंगमंच, पुस्तकालय, तरणताल, सामुदायिक केन्द्र आदि मनोरंजन की सुविधाओं का प्रावधान भी विकास योजना के अभिन्न अंग हैं। इन सुविधाओं की आमोद–प्रमोद के साथ–साथ शिक्षा व खेलकूद में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः आवासीय क्षेत्रों के वितरण, क्षेत्रीय एवं स्थानीय विशेषताओं और विकास की सम्भावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए इन सुविधाओं के लिए विभिन्न स्तर पर योजना बनाते समय स्थल प्रस्तावित किये जायेंगे।

5.5 (4) मेले/पर्यटक सुविधाऐं :–

रामगंजमण्डी नगर में अनेक दर्शनीय एवं प्रसिद्ध धार्मिक स्थान जैसे – माँ फलौदी माता मन्दिर, बीजासन माता मन्दिर, पंचमुखी बालाजी मन्दिर, गायत्री मन्दिर, गोरधन माता मन्दिर, पारसा माता मन्दिर, तेजाजी मन्दिर, शान्तिनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर, जैन श्वेताम्बर मन्दिर, मस्जिदें इस धरती को पवित्रता प्रदान करती हैं। माँ फलौदी का राष्ट्र–स्तरीय मेला हर 12 वर्ष में एक बार बसन्त पंचमी को लगता है, जो कि 10 दिनों तक कुम्भ के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मेड़तवाल समाज के राष्ट्र–स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन भी होते हैं। साथ ही इस मन्दिर में हर वर्ष बसन्त पंचमी के दिन एक दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जिसे लघु कुम्भ भी कहा जाता है। सातलखेड़ी व खैराबाद में तेजाजी का मेला हर वर्ष तेजा दशमी के दिन लगता है। इसके अतिरिक्त गोरधन माता मन्दिर एक दर्शनीय स्थल है। जहाँ स्थानीय धर्मप्रेमी पर्यटक आते हैं।

कोटा स्टोन एवं कृषि उपजमण्डी व्यवसाय की प्रमुखता के कारण क्षेत्रीय पर्यटकों (व्यापारी वर्ग) का भी काफी संख्या में आगमन होता है। रामगंजमण्डी में पर्यटकों को आकर्षित करने, उनके रूकने एवं आरामदायक सुविधाओं के लिए होटलों एवं धर्मशालाओं का नितान्त अभाव है।

इन सुविधाओं के विकास हेतु खैराबाद योजना क्षेत्र फलौदी माता मेला स्थल के निकट एवं रामगंजमण्डी योजना क्षेत्र में गोरधन माता मन्दिर के निकट पर्यटन सुविधाओं हेतु भूमि आरक्षित की गयी है। रामगंजमण्डी में पर्यटकों को आकर्षित करने, उनके अधिक समय रुकने एवं ठहराव को आरामदायक व यादगार बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :–

1. रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं मुख्य मार्गों पर पर्यटक सूचना केन्द्र की स्थापना की जावे।
2. पर्यटकों के आकर्षण की दृष्टि से प्रस्तावित पर्यटन सुविधा स्थलों पर कैम्पिंग ग्राउण्ड, एम्यूजमेंन्ट पार्क, रिसोर्ट, वाटर पार्क इत्यादि विकसित किये जा सकेंगे।
3. सुविधानुसार बड़े एवं मध्यम होटल मास्टर प्लान में प्रस्तावित जिला केन्द्र एवं वाणिज्यिक केन्द्रों में स्थापित किये जा सकेंगे।
4. ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को सूचीबद्ध किया जाकर उनके संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। पर्यटकों को सुरक्षित उचित पर्यटन माहौल प्रदान करने के लिए अलग से पर्यटन परिसर विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।
5. रामगंजमण्डी नगर एवं नगर में स्थित पर्यटन स्थलों के आस–पास स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु साफ–सफाई की उचित व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाऐं :–

रामगंजमण्डी नगर के एकीकृत विकास एवं नागरिकों की स्थानीय और प्रादेशिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान रखा गया है। स्थानीय विशेषताओं, आवासीय घनत्व व भावी विस्तार की सम्भावनाओं के दृष्टिगत् इन सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं का विभिन्न स्तरों पर वितरण किया गया है। इन सुविधाओं हेतु मास्टर प्लान में 593 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.6 (1) शैक्षणिक :–

रामगंजमण्डी नगर सामान्य शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है एवं भविष्य में भी शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा। मास्टर प्लान में प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताओं हेतु खैराबाद योजना क्षेत्र को मुख्यतयाः शैक्षणिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसा अनुमान है कि क्षितिज वर्ष 2031 में रामगंजमण्डी एवं खैराबाद में कुल विद्यालय जाने योग्य बालक–बालिकाओं में से विद्यार्थियों का अनुपात 95 प्रतिशत से अधिक होगा, जबकि निकटवर्ती ग्रामों एवं अन्य योजना क्षेत्रों में यह अनुपात 85 प्रतिशत तक होगा।

खैराबाद योजना क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु कुल 133 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक संस्थानों हेतु भी कुल 175 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। रामगंजमण्डी योजना क्षेत्र में महाविद्यालय एवं निमाणा सड़क योजना क्षेत्र में व्यावसायिक संस्थान हेतु भूमि आरक्षित की गयी है। सभी योजना क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है। उपरोक्त के अतिरिक्त सैकण्डरी, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों हेतु विस्तृत आवासीय योजनायें एवं सेक्टर प्लान तैयार करते समय भी स्थल आरक्षित किये जा सकेंगे। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय, अन्य शैक्षणिक प्रयोजनार्थ स्थानों पर भी अनुज्ञेय होंगे। भू–उपयोग योजना में कुल शैक्षणिक उपयोग क्षेत्रफल 432 एकड़ प्रस्तावित किया गया है।

तालिका – 22

प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना – रामगंजमण्डी – 2031

क्र.सं.	कक्षा स्तर	आयु वर्ग	आयु वर्ग में विद्यालय जाने योग्य बालक / बालिकाऐं	विद्यार्थियों का प्रतिशत	विद्यालय में पंजीकृत छात्रों की संख्या	विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय छात्रों की औसत संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय (1–5)	5.10	36000	95	30600	102	300
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6–8)	11.13	23500	90	21100	52	400
3	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय	14.17	14000	78	11000	25	440

5.6 (2) चिकित्सा :–

रामगंजमण्डी में स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के नितान्त अभाव के कारण यह नगर चिकित्सा सुविधाओं हेतु निकटस्थ जिला केन्द्र झालावाड़ एवं कोटा पर निर्भर है। नगर के विकास के साथ ही यह स्थानीय जनसंख्या के अतिरिक्त उपखण्ड की जनसंख्या के लिए भी चिकित्सा का प्रमुख केन्द्र बनेगा। वर्तमान में विद्यमान चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त क्षितिज वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खैराबाद योजना क्षेत्र एवं रामगंजमण्डी योजना क्षेत्र में एक–एक बड़े अस्पताल हेतु भूमि आरक्षित की गयी है। इसके अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक योजना क्षेत्र में डिस्पेन्सरी एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है।

उक्त भूमि पर आवश्यकतानुसार एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपेथिक चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सालय विकसित किये जा सकेंगे। डिस्पेन्सरी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की योजनायें विस्तृत आवासीय योजनाऐं एवं सेक्टर प्लान तैयार करते समय उनके अन्तर्गत प्रस्तावित की जायेगी। इस प्रकार मास्टर प्लान में चिकित्सा सुविधाओं हेतु कुल 93 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सालय हेतु उण्डवा सड़क पर 7 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5.6 (3) सामाजिक एवं सांस्कृतिक :–

मास्टर प्लान क्रियान्वयन के अन्तर्गत विस्तृत योजनाऐं बनाते समय आवासीय योजनाओं में सामाजिक/सांस्कृतिक भवनों के लिए भूमि आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 (4) धार्मिक स्थल / ऐतिहासिक :–

रामगंजमण्डी में अनेक धार्मिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र है। खैराबाद स्थित फलौदी माता मन्दिर, रामगंजमण्डी स्थित गोरधन माता मन्दिर, जुल्मी सड़क स्थित राधाकृष्ण मन्दिर एवं अमरपुरा स्थित बालाजी मन्दिर के साथ की भूमि इन स्थलों के विकास हेतु प्रस्तावित है। इन धार्मिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्रों के रख–रखाव के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

5.6 (5) अन्य सामुदायिक सुविधाऐं :–

अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन, डाकघर एवं तार कार्यालय, दूरदर्शन, अग्निशमन केन्द्र, क्लब, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाऐं, धार्मिक संस्थाऐं, धर्मशालाऐं, छात्रावास, छोटे स्तर की चिकित्सा सुविधाऐं, नर्सिंग होम, प्राथमिक स्तर की शैक्षणिक सुविधाऐं इत्यादि विकसित की जा सकती हैं। रामगंजमण्डी में उपलब्ध विद्यमान सामुदायिक सुविधाओं के अतिरिक्त वर्ष 2031 की आवश्यकताओं हेतु सभी योजना क्षेत्रों में स्थल प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 103 एकड़ है। इन स्थलों पर उपरोक्त सभी सुविधाओं हेतु उपयोग चिन्हित किये जा सकेंगे।

5.6 (6) जनोपयोगी सुविधाऐं :–

रामगंजमण्डी नगर में जल, सीवरेज, ड्रेनेज एवं विद्युत व्यवस्था, नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताऐं है। उपयुक्त जल आपूर्ति के बिना कोई नगरीय क्षेत्र सही विकास नहीं कर सकता। इसी प्रकार पर्याप्त जल–मल निस्तारण व्यवस्था के अभाव में एक स्वस्थ नगरीय पर्यावरण विकसित नहीं किया जा सकता है। जनोपयोगी सुविधाओं हेतु कुल 110 एकड़ भूमि प्रस्तावित है।

5.6 (6) अ जलापूर्ति :–

रामगंजमण्डी नगर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा की जा रही है। नगर में पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत चम्बल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर बांध है। वर्ष 2000 में प्रारम्भ हुई एकलिंगपुरा रामगंजमण्डी पेयजल योजना से रामगंजमण्डी को जलापूर्ति होती थी। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु रामगंजमण्डी पचपहाड़ पेयजल योजना के तहत वर्ष 2009 से जलापूर्ति संवर्द्धन हुआ। वर्तमान में रामगंजमण्डी में इसके अलावा जलापूर्ति के लिए चार कुओं से भी जल निकासी की जाती है।

अतः उपलब्ध संचय क्षमता और सभी उपलब्ध पेयजल स्रोतों तथा वितरण व्यवस्था का उनकी पूर्व क्षमता में उपयोग किया जाना आवश्यक है। इस हेतु स्थानीय निकायों को प्रत्येक आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक अथवा औद्योगिक इकाई में वर्षा जल पुनर्भरण को आवश्यक करना चाहिए एवं इसकी अनुपालना हेतु कड़े प्रावधान करने चाहिए। अतः पेयजल की

अतिरिक्त आवश्यकताओं को अतिरिक्त ट्यूबवैलों एवं जलाशयों के निर्माण द्वारा और वितरण व्यवस्था में सुधार करके पूरा किया जाना होगा। जहाँ कहीं भी सम्भावनाऐं विद्यमान हो, वर्तमान में उपलब्ध व्यवस्था का विस्तार किया जा सकता है। नगर की पेयजल की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि करनी होगी। पुराने नगर में बढ़ते आबादी घनत्व के कारण कई स्थानों पर वर्तमान पाईप लाईन की क्षमता अपर्याप्त है एवं कई स्थानों पर पाईप लाईन पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अतः नगर में विद्यमान एवं भावी जनसंख्या के आंकलन के आधार पर पुनः डिजाईन कर इन पाईप लाईनों को बदला जाना चाहिए।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जलापूर्ति संवर्द्धन की एक विस्तृत योजना तैयार करे, जिसके लिए आवश्यक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भू–उपयोग योजना 2031 में प्रस्तावित उचित स्थानों को ध्यान में रखते हुए की जाए।

5.6 (6) ब जल–मल निस्तारण व्यवस्था :–

राजस्थान के अन्य नगरों की भांति रामगंजमण्डी में अभी तक कोई नियोजित जल–मल निस्तारण व्यवस्था नहीं है। पुराने नगर में शुष्क शौचालय थे, जिन्हें अधिकांशतः फ्लश लेट्रिन में परिवर्तित कर दिया गया है। नई योजनाओं में सेप्टिक टैंक युक्त फ्लश लेट्रिन हैं। वर्तमान में रामगंजमण्डी नगर में कोई सीवरेज लाईन अथवा सीवेज ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट नहीं है। नगर के आंशिक भाग में विद्यमान सीवरेज व्यवस्था से बिना ट्रीटमेंन्ट किये हुए सीवेज का सीधे ही खुली भूमि अथवा नालों में निस्तारण हो रहा है। वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा नगर के अधिकांश भाग को सम्मिलित करते हुए समन्वित सीवरेज योजना तैयार की गई है। इस हेतु केन्द्र सरकार के कार्यक्रम जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत भारत सरकार के अनुदान एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले ऋण द्वारा विकसित किया जा सकता है।

5.6 (6) स ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन :–

स्वच्छ वातावरण के लिये घृणोत्पादक पदार्थों के निस्तारण एवं इसके पुनः उपयोग की उचित व्यवस्था आवश्यक है। ठोस कचरा निस्तारण हेतु स्थलों का चयन नगर से दूर वायु की दिशा को देखते हुए किया जाना चाहिये। खदानों की अनुपयुक्त भूमि, यदि उपलब्ध हो, तो इस प्रकार के कार्य के लिए उपयोग में ली जा सकती है। वर्तमान में रामगंजमण्डी नगर में घरों से कूड़ा–करकट के संग्रहण हेतु कोई उचित व्यवस्था नहीं है एवं लोगों द्वारा सड़कों पर

ही कूड़ा डाला जाता है, जिसका समय पर निस्तारण सम्भव नहीं हो पाता है। इस कारण नगर में पर्यावरण प्रदूषित रहता है।

अतः यह आवश्यक है कि घरों से निकलने वाले कूड़ा–करकट के संग्रहण हेतु उचित व्यवस्था की जाये, ताकि कचरा सड़कों पर नहीं रहे। साथ ही कूड़ा–करकट के संग्रहण एवं इसके निर्धारित स्थलों पर निस्तारण हेतु नगर पालिका द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिए।

वर्तमान में ठोस कचरा के निस्तारण हेतु नगर पालिका द्वारा नगर से लगभग 6 टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन एकत्रित किया जाता है। इसका निष्पादन जुल्मी सड़क पर मारवाड़ चौराहे से देवली ग्राम को जाने वाली सड़क पर आवंटित भूमि पर किया जाता है। परन्तु ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर किसी भी प्रकार के निस्तारण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह आरक्षित भूमि आगामी 20 वर्षों हेतु पर्याप्त नहीं है। अतः स्थल के निकट ही उपलब्ध चारागाह, सिवायचक एवं खदानों की अनुपयुक्त भूमि से आवश्यक क्षेत्रफल ठोस कचरा निस्तारण हेतु आरक्षित किया जाये, जिससे कि नगर में स्वच्छता एवं सफाई का वांछनीय स्तर प्राप्त हो सके।

5.6 (6) द विद्युत :–

नगर की जनसंख्या व आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ–साथ विद्युत की मांग में वृद्धि होना स्वाभाविक है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग योजना को ध्यान में रखकर विस्तृत वितरण की समन्वित योजना तैयार करना अपेक्षित है। मुख्य सड़कों, व्यावसायिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। भू–उपयोग योजना 2031 में प्रमुख बाह्य मार्ग के सहारे प्रस्तावित जनपयोगी सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि में से ही विद्युत उपकेन्द्रों इत्यादि की आवश्यकता पूर्ति की जाये। छोटे स्तरों के केन्द्रों हेतु सेक्टर प्लान एवं विस्तृत आवासीय योजना बनाते समय स्थल आरक्षित किये जायेंगे।

5.6 (7) श्मशान एवं कब्रिस्तान :–

वर्तमान में रामगंजमण्डी नगर में स्थित श्मशान और कब्रिस्तान को यथावत रखा गया है। परन्तु जो श्मशान व कब्रिस्तान नगर के विकसित भागों में स्थित है, उनमें चार दीवारी के

साथ–साथ सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, ताकि वातावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। नये श्मशान और कब्रिस्तान मांग के अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में स्थापित किये जा सकेंगे।

5.7 हाईवे डवलपमेन्ट कन्ट्रोल योजना क्षेत्र

मोडक सड़क –राज्य राजमार्ग–9ए, उण्डवा सड़क –राज्य राजमार्ग–9ए, सुकेत सड़क–राज्य राजमार्ग–9ब पर प्रस्तावित नगरीय भू–उपयोग सीमा के पश्चात् नगरीय सीमा तक राजमार्ग के दोनों तरफ 30 मी चौडी वृक्षारोपण पट्टी के पश्चात् 500 मीटर की गहराई तक यह क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

यातायात के नियमों व मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का विकास किया जावेगा ताकि राज्य राजमार्ग के सहारे नियंत्रित/नियोजित विकास सम्भव हो सके। आवश्यकता अनुरूप इस क्षेत्र की योजना भी प्रस्तावित की जा सकेगी। इस योजना क्षेत्र में निम्न भू–उपयोग अनुज्ञेय होंगे। किसी भी उपयोग को अनुज्ञेय किये जाने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों का ध्यान रखा जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावेगा :–

1) ग्रीन बिल्डिंग/इको फ्रेन्डली हाउसेज/फार्म हाउस
2) आई.टी.पार्क/बायोटेक पार्क
3) इंटिग्रेटेड आवासीय टाउनशिप/ग्रुप हाउसिंग
4) मोटल/रिसोर्ट/हॉलीडे कॉटेज रिसोर्ट/हेल्थ रिसोर्ट
5) एम्यूजमेन्ट पार्क
6) इंस्टीट्यूशनल/चिकित्सा/शैक्षणिक आदि
7) वेयर हाउसिंग/फूड स्टोरेज गोदाम
8) जनोपयोगी सुविधाऐं
9) फ्यूअल स्टेशन/पेट्रोल पम्प/सर्विस स्टेशन
10) ट्रांसपोर्टेशन

(ट्रांसपोर्ट नगर/ट्रक स्टैण्ड/टर्मिनल्स/बस टर्मिनल/हाईवे फेसेलिटिज

11) कुटीर उद्योग
12) कृषि एवं डेयरी फार्म
13) ग्रामीण आबादी विस्तार एवं अनुसंधान उपयोग

14) अन्य उपयोग राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त अनुज्ञेय होंगे।

यह भू–उपयोग राजमार्गो के साथ–साथ नगरीय विकास के रेखीय स्वरूप को नियोजित तरीके से आत्मसात् करने में सहायक होगा। इस हेतु कुल 847 एकड़ भूमि प्रस्तावित है।

5.8 परिसंचरण :–

रामगंजमण्डी नगर उपखण्ड मुख्यालय होने एवं दो जिला केन्द्रों कोटा एवं झालावाड़ के समीप होने के कारण न केवल एक प्रशासनिक सेवा केन्द्र की भूमिका अदा करेगा, अपितु व्यापार एवं व्यवसाय, उद्योग तथा शैक्षणिक कार्यों का प्रमुख केन्द्र भी बना रहेगा। अतः नगर के लिए यात्रा सेवाओं एवं वस्तुओं के यातायात में सुगमता होना आवश्यक है।

5.8(1) प्रस्तावित यातायात संरचना :–

5.8 (1) अ सड़कों का मार्गाधिकार :–

वर्तमान में रामगंजमण्डी में सुकेत–मोड़क राज्य राजमार्ग–9ए व 9बी के मध्य से होकर गुजर रहे है एवं वर्तमान में इनके लिए बाईपास सड़कें नहीं हैं। बाईपास सड़कें नहीं होने के कारण नगर के मध्य से जाने वाली सड़क पर स्थानीय यातायात एवं भारी यातायात का काफी दबाव है। फलस्वरूप दुर्घटनाऐं एवं प्रदूषण संबंधी समस्याऐं बहुतायत से उत्पन्न हो रही हैं। यह सड़क स्थानीय यातायात एवं भारी यातायात के लिए अपर्याप्त है। साथ ही सड़क के इर्द–गिर्द नगर की प्रमुख औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ होने के कारण इस सड़क से भारी यातायात ले जाना उचित नहीं है। अतः नितान्त आवश्यक है कि राज्य राजमार्ग–9ए, 9बी हेतु शीघ्र ही निम्न सुझावों के अनुरूप बाईपास की व्यवस्था की जाये, ताकि उपरोक्त समस्या का समाधान हो सके :–

1. रामगंजमण्डी नगर से उण्डवा सड़क को जाने वाली सड़क से उत्तर दिशा की ओर मोड़क सड़क को जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग–9ए का बाईपास प्रस्तावित किया गया है। इस बाईपास के एलाइनमेंन्ट में मण्डा सड़क, गोयन्दा, रीछड़िया एवं छत्रपुरा को जाने वाले सड़कों को जोड़ते हुए मोड़क सड़क से मिलाया गया है, जिसके क्रियान्वयन हेतु उचित स्तर का प्रयास किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त बाईपास के निर्माण से उत्तर दिशा से आने वाला समस्त यातायात सीधे ही उण्डवा सड़क (जो कि मध्य प्रदेश को जोड़ती है) की ओर निकल

जायेगा एवं नगर में विद्यमान रेलवे स्टेशन सड़क को यातायात के वर्तमान दबाव से राहत मिलेगी।

2. रामगंजमण्डी नगर से उण्डवा सड़क को जाने वाली सड़क से पूर्व दिशा की ओर सुकेत सड़क से जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग–9बी का बाईपास प्रस्तावित किया गया है। इस बाईपास के एलाइनमेंन्ट में बिशन्याखेड़ी, रोंसली, कुम्भकोट, लक्ष्मीपुरा एवं दुर्जनपुरा को जाने वाले सड़कों को जोड़ते हुए सुकेत सड़क से मिलाया गया है, जिसके क्रियान्वयन हेतु उचित स्तर का प्रयास किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त बाईपास के निर्माण से पूर्व दिशा से आने वाला समस्त यातायात सीधे ही उण्डवा सड़क की ओर निकल जायेगा एवं नगर में विद्यमान मुख्य सड़कों को यातायात के दबाव से राहत मिलेगी।

3. मोड़क सड़क से सुकेत सड़क को जाने वाली सड़क से पूर्व दिशा की ओर सुकेत सड़क से जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग–9बी का बाईपास प्रस्तावित किया गया है। इस बाईपास के एलाइनमेंन्ट में रेलवे क्रॉसिंग, ग्राम दुहनिया, निमाणा सड़क एवं कुटकिया सड़क को जोड़ते हुए सुकेत सड़क को मिलाया गया है, जिसके क्रियान्वयन हेतु उचित स्तर का प्रयास किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त बाईपास के निर्माण से पूर्व दिशा से आने वाला समस्त यातायात सीधे ही मोड़क सड़क की ओर निकल जायेगा एवं नगर में विद्यमान मुख्य सड़कों को यातायात के दबाव से राहत मिलेगी।

4. रामगंजमण्डी मास्टर प्लान में दर्शित प्रमुख, उप प्रमुख एवं अन्य सड़कों के निर्माण एवं सुधार हेतु नगर पालिका द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रमुख एवं उप प्रमुख सड़कें विभिन्न कार्य क्षेत्रों को जोड़ेगी, जबकि मुख्य सड़कें विभिन्न आवासीय एवं कार्य केन्द्रों के मध्य सम्पर्क प्रदान करेगी। अन्य सड़कें सेक्टर प्लान एवं विस्तृत आवासीय योजना बनाते समय निर्धारित की जायेंगी, यथा–सम्भव सड़कों का मार्गाधिकार मापदण्डों के अनुसार रखा जायेगा। वर्ष 2031 हेतु विभिन्न सड़कों का मानक मार्गाधिकार तालिका – 23 एवं प्रस्तावित मार्गाधिकार तालिका – 24 में दर्शाया गया है।

तालिका – 23
सड़कों का मानक मार्गाधिकार

क्र.सं.	श्रेणी	सड़क मार्गाधिकार (मीटर में)
1	राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं बाईपास	60
2	प्रमुख सड़कें	30
3	उप प्रमुख सड़कें	24
4	मुख्य सड़कें	18
5	अन्य मुख्य सड़कें	18 से कम

तालिका – 24
विद्यमान व प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार – रामगंजमण्डी – 2031

क्र. सं.	सड़कों का विवरण	प्रस्तावित न्यूनतम मार्गाधिकार (मीटर में)
1	राज्य राजमार्ग – 9ए, 9बी एवं प्रस्तावित बाईपास	60 मीटर
	राज्य राजमार्ग – 9ए (1) मोड़क सडक पर प्रस्तावित चौराहे से रींछड़िया सड़क (पीएचईडी ऑफिस के पास) तक (2) पीएचईडी ऑफिस से रेलवे क्रॉसिंग तक (3) रेलवे क्रॉसिंग से उण्डवा सड़क पर प्रस्तावित चौराहे तक	30 मीटर 24 मीटर 24 मीटर
2	राज्य राजमार्ग – 9बी (1) रेलवे क्रॉसिंग से उच्च शक्ति विद्युत लाईन तक (2) उच्च शक्ति विद्युत लाईन से 4 किमी. माईल स्टोन के आगे दक्षिण की ओर प्रस्तावित उप प्रमुख सड़क तक (3) सातलखेड़ी के पश्चिम में प्रस्तावित उप प्रमुख सड़क से सातलखेड़ी के पूर्व में कुटकिया सड़क तक (4) कुटकिया सड़क से प्रस्तावित उत्तरी बाईपास तक	24 मीटर 30 मीटर 24 मीटर 30 मीटर
3	प्रमुख सड़कें :– (1) पारसा माता चौराहे से लखारिया जाने वाली सड़क (2) मायला तिराहे से राष्ट्रीय राजमार्ग–12 तक जाने वाली सड़क (3) वर्तमान बाईपास इन–डोर स्टेडियम के पास से फलौदी माता मेला ग्राउण्ड के पास मोड़क सड़क तक (4) अन्य प्रस्तावित प्रमुख सड़कें	30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर
4	उप प्रमुख सड़कें :– (1) अमरपुरा चौराहे (कुम्भकोट सड़क) से सांडपुर को जाने वाली सड़क (2) कुम्भकोट सड़क पर ए.एस.आई. भूमि के साथ प्रस्तावित दक्षिणी बाईपास तक एवं इसके आगे	24 मीटर 24 मीटर

	(3) बाईपास से राजस्व ग्रामों को जाने वाली समस्त सड़कें (4) मायला से हनुमतखेड़ा को जाने वाली सड़क (5) अन्य प्रस्तावित उप प्रमुख सड़कें	24 मीटर 24 मीटर 24 मीटर
5	मुख्य सड़कें :– (1) बाजार नं. 1 से 6 तक स्थित मुख्य सड़कें (2) स्टेशन चौराहे से जुल्मी को जाने वाली सड़क प्रस्तावित बाईपास तक (3) गोरधनपुरा से सांडपुरा को जाने वाली सड़क, नाले तक (4) मोड़क सड़क से गोयन्दा, रीछड़िया एवं सोहनखेड़ा को जाने वाली सड़कें बाईपास तक (5) अन्य विद्यमान एवं प्रस्तावित मुख्य सड़कें	 18 मीटर 18 मीटर 18 मीटर 18 मीटर 18 मीटर

5. नगर में स्थित तालिका – 24 के अतिरिक्त पूर्व निर्मित सड़कें 18 मीटर तक अथवा वर्तमान में उपलब्ध अधिकतम मार्गाधिकार में यथावत बनी रहेगी। इन सड़कों की चौड़ाई को कम किया जाना अनुमत नहीं होगा।

5.8 (1) ब सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार :–

विभाग द्वारा यह नीति निर्धारित की गई है कि सभी वर्तमान सार्वजनिक मार्ग जिन्हें प्रमुख, उप प्रमुख और मुख्य सड़कों के रूप में भू–उपयोग योजना में प्रस्तावित किया गया है, जहाँ तक सम्भव हो मानक चौड़ाई के होंगे, किन्तु नगर के भीतरी स्थानों पर कतिपय बाधाओं के कारण तथा शहर के बीच सड़कें चौड़ी किया जाना सम्भव नहीं हो या सड़क चौड़ी करने में भारी निवेश करना पड़े और अधिक संख्या में इमारतों को तोड़ना पड़े तो अपेक्षाकृत निम्न मानक को अपनाया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में किये जाने वाले समस्त विकास कार्यो में सड़क मार्ग की चौड़ाई भू–उपयोग योजना में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हो। जहाँ तक आवश्यक हो नगर के महत्वपूर्ण चौराहों एवं महत्वपूर्ण सड़कों की विस्तृत कार्य योजनाऐं बनाकर उनके अनुरूप ही विकास कार्य किये जाने चाहिऐं।

राजमार्ग एवं बाईपास, जिनका मार्गाधिकार 60 मीटर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी निर्धारित किया जावे, के दोनों ओर सड़क के मध्य से 18 मीटर मार्गाधिकार के अनुपातिक दूरी रखते हुए 6 मीटर चौड़ी सर्विस सड़क रखी जायेगी। इस सर्विस सड़क के बाहर की तरफ दोनों ओर विद्युतीकरण एवं हरियाली के लिए क्रमशः 2.5 मीटर एवं 2 मीटर चौड़ाई का अतिरिक्त क्षेत्र छोड़ा जायेगा। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर राजमार्गों/बाईपास के सहारे

सभी विकास–कर्त्ताओं को उपरोक्त मार्गों के मार्गाधिकार के पश्चात् 50 फीट चौड़ी पट्टी सघन वृक्षारोपण हेतु छोड़नी होगी तथा इस पट्टी के बाद समस्त अनुज्ञेय विकास कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति के पश्चात् ही किये जा सकेंगे।

राजमार्ग/प्रमुख बाह्य मार्ग के साथ–साथ परिधि नियन्त्रण पट्टी में वे समस्त भू–उपयोग आ सकेंगे जो हरित पट्टी क्षेत्र में अनुज्ञेय हैं।

5.8 (1) स चौराहों का सुधार :–

राष्ट्रीय राजमार्ग–9ए तथा राष्ट्रीय राजमार्ग–9बी नगर के मध्य से गुजरने से विभिन्न चौराहों पर नगरीय यातायात एवं भारी यातायात का अतिरिक्त दबाव रहता है, जिसमें पारसा माता तिराहा, निमाणा सड़क तिराहा, बाजार नं. 1, 2 व 3 के सुकेत सड़क के साथ बनने वाले तिराहे, खैराबाद बस स्टैण्ड तिराहा इत्यादि पर यातायात की समस्या गम्भीर बनी रहती है। इन जगहों पर व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं एवं साथ ही फुटकर रेढ़ी, ऑटो, ट्रेक्टर एवं ठेला चालकों का ठहराव भी यातायात को अवरूद्ध करता है।

अतः नगर पालिका द्वारा नगर के प्रमुख चौराहों / तिराहों की कार्य योजना तैयार कर नियोजित तरीके से चौराहों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त नये विकसित होने वाले क्षेत्रों में पहले से ही विभिन्न चौराहों की कार्य योजना तैयार कर चौराहों का विकास किया जाना प्रस्तावित है, ताकि भविष्य में यातायात की समस्या उत्पन्न न हो।

5.8 (1) (द) पार्किंग व्यवस्था :–

नगर के व्यस्त क्षेत्रों में खैराबाद में बड़ा तालाब के समीप, रेलवे स्टेशन के समीप, पुलिस थाना चौराहा, बाजार नं. 1, 2, 3 एवं सुकेत सड़क पर स्थित पारसा माता तिराहा, सातलखेड़ी चौराहा आदि पर यातायात का ठहराव होने के कारण पार्किंग का अव्यवस्थित नज़ारा दृष्टिगोचर होता है। इन जगहों पर व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही है एवं साथ ही फुटकर रेढ़ी, ऑटो, ट्रेक्टर एवं ठेला चालकों का ठहराव भी पार्किंग समस्या को निरन्तर बढ़ा रहा है। इसके अतिरिक्त नगर में बिना उचित पार्किंग प्रावधान छोड़े व्यवसायिक निर्माण हो रहे हैं, जिसके कारण पार्किंग की समस्या गंभीर रूप से बढ़ रही है।

अतः उक्त स्थलों पर उचित पार्किंग स्थल विकसित किया जाना अति आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि स्थानीय निकाय द्वारा की जाने वाली विभिन्न निर्माण

स्वीकृतियों जैसे की बहुमंजिले आवासीय परिसर, व्यावसायिक परिसर इत्यादि में पार्किंग का प्रावधान नियमानुसार रखा जावे।

5.8 (2) बस तथा ट्रक टर्मिनल :–

5.8 (2) अ यातायात नगर :–

निमाणा सड़क पर 60 मीटर चौड़ी बाईपास सड़क के मिलान बिन्दु पर स्पाईसेज औद्योगिक पार्क के समीप यातायात नगर प्रस्तावित है, जो कि स्थानीय निकाय द्वारा विकसित किया जायेगा। जहाँ पर नगर के मध्य सुकेत सड़क, कुम्भकोट सड़क एवं निमाणा सड़क इत्यादि स्थलों से ट्रांसपोर्ट गतिविधियों को स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। निमाणा एवं कुम्भकोट सड़क के आस–पास में पत्थर मण्डी संबंधित गतिविधियों को देखते हुए एवं प्रस्तावित कृषि उपजमण्डी, गोदाम एवं भण्डारण आदि से भविष्य में होने वाले भारी यातायात के सुविधापूर्ण संचालन हेतु यातायात नगर प्रस्तावित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 48 एकड़ है।

5.8 (2) ब सार्वजनिक बस सेवा :–

प्रस्तावित सड़क संरचना काफी हद तक यातायात स्थिति के सुधार में सहायक होगी। विभिन्न आवासीय क्षेत्रों को कार्य–केन्द्रों से सार्वजनिक परिवहन तन्त्र द्वारा जोड़कर नगर की यातायात सम्बन्धित समस्याओं को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। अतः विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते हुए नगर बस सेवा विकसित की जानी चाहिए।

5.8 (2) स बस अड्डा :–

वर्तमान में राजकीय बस स्टैण्ड पन्नालाल चौराहे के निकट उपलब्ध भूमि पर संचालित होता है एवं नगर पालिका द्वारा विकसित निजी बस स्टैण्ड रेलवे क्रॉसिंग के बाद खैराबाद सड़क पर स्थित है एवं यातायात संचालन में समस्या कारक है। उक्त भूमि पर बस अड्डे के विस्तार हेतु भी और भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः बस अड्डे को स्थानान्तरित करने हेतु सुकेत सड़क पर स्थित रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने एवं 132 के.वी. उच्च शक्ति की विद्युत लाईन के नीचे 30 मीटर मार्गाधिकार की प्रस्तावित सड़क के पश्चिम में लगभग 24 एकड़ भूमि पर

नया बस अड्डा प्रस्तावित किया गया है। साथ ही खैराबाद योजना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग–9ए (मोड़क सड़क) पर आई.टी.आई. कॉलेज के पास एक अन्य बस अड्डा भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

विद्यमान बस अड्डे जो कि पन्नालाल चौराहे एवं खैराबाद क्रॉसिंग पर स्थित हैं, को स्थानीय परिवहन यथा मिनी बस स्टैण्ड, ऑटो स्टैण्ड अथवा प्राईवेट बस स्टैण्ड इत्यादि के रूप में उपयोग लिये जा सकेंगे।

5.8 (3) रेल व हवाई सेवा :–

5.8 (3) अ रेलवे :–

रामगंजमण्डी राजस्थान के कोटा जिले का उप–खण्ड मुख्यालय है। यह कोटा से 73 किमी दक्षिण में दिल्ली–मुम्बई ब्रॉडगेज रेल लाइन पर स्थित है। हाल ही में भोपाल की ओर एक नई रेलवे लाईन से भी इसका जुड़ाव हुआ है। इस कारण देश के अधिकांश महत्वपूर्ण नगरों से इसका सीधा रेल मार्ग व सड़क मार्ग द्वारा सम्पर्क है।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि रेलवे लाईन के सहारे स्थित रेलवे सीमा / सम्पत्ति में वृक्षारोपण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाया जाना आवश्यक है, ताकि रेल मार्ग से नगर में प्रवेश करते समय मनोहारी दृश्य प्रस्तुत हो।

5.8 (3) ब हवाई सेवा :–

रामगंजमण्डी नगर जिला मुख्यालय कोटा से लगभग 73 किमी. की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है। कोटा जिला मुख्यालय में एक हवाई अड्डा स्थित है, जहाँ पर भी वर्तमान में हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है।

5.9 परिधि नियन्त्रण पट्टी :–

नगर की परिधि में अवांछनीय विकास पर नियन्त्रण के उद्देश्य से 2031 तक नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में आने वाली भूमि का उपयोग कृषि, वन विकास एवं इसके सहायक क्रियाकलापों एवं सीमित खनन आदि के लिए किया जा सकेगा। इससे परिधि नियन्त्रण पट्टी में आने वाले ग्रामों, जो कि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र 2031 के बाहर है, का विकास नियन्त्रित एवं योजनाबद्ध होगा।

राजमार्ग / बाईपास के साथ–साथ वे समस्त भू–उपयोग आ सकेंगे, जो हरित पट्टी क्षेत्र में अनुज्ञेय है तथा अन्य भू–उपयोग जैसे कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थापित राजमार्ग सेवा केन्द्र, पेट्रोल पम्प, ग्राम आबादी का विस्तार, मोटल, कुक्कुट शालाऐं, रिसोर्ट, फार्म हाउस, कृषि सेवा केन्द्र, एम्यूजमेंन्ट पार्क, वाटर पार्क, ईंट भट्टे, चूना भट्टे तथा कृषि आधारित लघु उद्योग, फलोद्यान व नर्सरी, जैविक चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण स्थल एवं जनोपयोगी सुविधाऐं भी निर्धारित मापदण्ड / अनुमोदित सैट बैक के साथ आ सकेंगे।

5.9 (1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र :–

परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर किन्तु प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर स्थित गाँवों का विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत् ही किया जायेगा। गाँवों का प्राकृतिक आबादी विस्तार नियोजित रूप से बढ़ने दिया जायेगा, ताकि नियोजित एवं सुव्यवस्थित ढंग से आबादी का विस्तार हो सके। इस संबंध में यह लक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं गंभीर चिन्तन का है, यदि नियोजित आबादी विस्तार का प्रावधान नहीं किया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि जनता ग्रामीण आंचलों में अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति लालायित होगी, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध निर्माण की समस्या उत्पन्न होगी वरन् यह प्रवृत्ति नगरीय क्षेत्र के बाहर के इलाकों में मानकच्युत एवं यदृच्छ नगरीय विकास को जन्म देगी, जिसके परिणाम स्वरूप नियोजित नगर विकास का सम्पूर्ण उद्देश्य ही अर्थहीन बनके रह जायेगा। अतः ग्रामीण आबादी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए इन गाँवों का नियोजित ढंग से विस्तार हेतु आवश्यकता अनुसार योजनाऐं बनाई जायेगी, जिसमें आवश्यक भू–उपयोगों को समायोजित किया जायेगा।

5.10 खनन :–

रामगंजमण्डी नगरीय सीमा में स्थित खनन क्षेत्र को नियन्त्रित करने हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु खनन विभाग द्वारा व्यवस्थित एवं सुरक्षित कार्य योजना बनानी चाहिये एवं नगर नियोजन विभाग के सामंजस्य में इन योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए। खनन नियन्त्रण योजना क्रियान्वयन होने के पश्चात् नगरीयकरण क्षेत्र 2031 में स्थित मौजूदा खदानों का फैलाव नियन्त्रित होगा।

कोटा स्टोन की खानों से निकलने वाले मलबे के एकत्रीकरण से बने ढेरों को अनुपयोगी खानों के पुनर्भरण हेतु काम में लिया जाना चाहिये। इस प्रकार मलबे के हटाये जाने से रिक्त भूमि तथा खानों के पुनर्भरण से प्राप्त भूमि को प्रस्तावित योजना के अनुसार विभिन्न उपयोगों में लिया जाना चाहिये। कोटा स्टोन के इस मलबे को अन्य उपयोगों जैसे कि सड़क निर्माण, टाईल्स निर्माण, ईंट निर्माण इत्यादि के लिए उपयोग करने हेतु उचित शोध एवं विकास किया जाना प्रस्तावित है।

5.11 क्षेत्रीय विकास :–

रामगंजमण्डी नगर के सही मायने में विकास के लिए इसके प्रभाव क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विकसित होना आवश्यक है। उक्त विकास को दिशा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जानी चाहिए। इसके लिए विभिन्न संसाधनों एवं क्षमताओं का अध्ययन कर क्षेत्रीय सड़क एवं रेल सम्पर्क विकसित किये जाना प्रस्तावित है एवं पदानुक्रम में नगरें व गाँवों की पहचान कर विभिन्न स्तर की सुविधाऐं विकसित की जाना प्रस्तावित है। लघु एवं मध्यम स्तर के नगरें में केन्द्र प्रवर्तित एकीकृत आवासन एवं शहरी विकास योजना, इन्दिरा आवास योजना अथवा महत्वपूर्ण योजनाऐं लागू किया जाना प्रस्तावित है।

6

मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

मास्टर प्लान किसी नगर के विकास के सम्भावित अवसरों का चित्रण मात्र है और इसे तभी मूर्तरूप प्रदान किया जा सकता है जब इसको क्रियान्वयन करने के लिए शक्तिशाली कदम निर्धारित समय में उठाए जाए। रामगंजमण्डी का प्रारूप मास्टर प्लान तैयार करते वक्त एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है। वर्तमान उपयोगों को कम से कम स्थान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं को पर्याप्त स्तर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नगर में अच्छी सुविधायें विकसित करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि करने और रामगंजमण्डी को आवास एवं वाणिज्यिक पर्यटन की दृष्टि से अहम् स्थान बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

6.1 वर्तमान आधार :–

वर्तमान स्थानीय निकाय यथा नगर पालिका का गठन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अर्न्तगत किया गया था। यह अधिनियम स्थानीय निकायों को समुचित अधिकार प्रदान नहीं करते थे, जिससे सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र के विकास कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से विनियमित किया जा सके। हालांकि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में नगर पालिकाओं को समुचित अधिकार प्रदान किये गये हैं। नगर में अन्य कई सार्वजनिक संस्थाऐं भी कार्यरत है जो अपने अपने कार्य क्षेत्रों में निर्धारित नियमों, विनियमों और मानकों के अनुसार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है।

6.2 प्रस्तावित आधार :–

खण्ड क्रिया पर आधारित विखण्डित प्रगति, समन्वित विकास की योजना में गंभीर समस्याऐं उत्पन्न करती है। अतः किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों ही स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय

निकायों के पास पर्याप्त अधिकार, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह एकल विकास एवं समन्वयक संगठन के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर सके। अतः प्रस्तावित किया गया है कि स्थानीय निकायों को पर्याप्त मजबूती और समुचित अधिकार प्रदान किये जावें, जिससे सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास क्रियाओं पर निकाय का समग्र नियन्त्रण हो सके।

6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग :–

किसी भी नगर का विकास अन्ततः उसके नागरिकों की आशाओं व आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान के उद्देश्यों की त्वरित प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों का सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाये। कोई भी योजना जो जनता के हित और कल्याण हेतु बनाई जाती है, जनता की सक्रिय सहभागिता के बिना किसी भी हाल में सफल नहीं हो सकती है।

6.4 भू–उपयोग अंकन एवं अवाप्ति :–

रामगंजमण्डी के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत् रखते हुए किया गया है। मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियाँ / अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये भू–योजना मानचित्र–2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

सहवन से यदि पूर्व में की गई किसी स्वीकृति का समायोजन नहीं हो पाया है और ऐसी स्वीकृति नगर नियोजन विभाग की स्वीकृति / सहमति से जारी की गई है, तो उसे समायोजित माना जावेगा। यदि स्वीकृति नगर नियोजन विभाग की सहमति से जारी नहीं की गई है, तो ऐसे प्रकरण में नगर नियोजन विभाग के परीक्षणों उपरान्त नगर नियोजन विभाग की सिफारिश पर 90ए की स्वीकृति उपरान्त समायोजित मानी जावेगी।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है, तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नालों तथा जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का

विकास/निर्माण/नियमन/रूपांतरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क विन्यास तथा विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं तथा विशेष बाजारों के भू–उपयोग का स्थल पर अंकन नहीं होने से आम जनता को उनकी वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती। नगरपालिका सीमा का अंकन दस्तावेजों की प्रतियों एवं मौके पर मुख्य सड़कों पर सीमांकन के आधार पर किया है। यदि सहवन से कोई त्रुटि रह गई है तो राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना ही मान्य होगा।

अतः यह आवश्यक है कि स्थानीय निकाय मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों, विशेष बाजारों एवं सार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भू–उपयोगों का स्थल पर अंकन करें, जिससे उन प्रस्तावित सड़कों एवं भू–उपयोगों के स्थलों में अनाधिकृत निर्माण या विकास नहीं हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि विभिन्न सड़कों, विशेष बाजारों एवं सार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भू–उपयोगों के अन्तर्गत आ रही निजी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही स्थानीय निकाय/सम्बन्धित विभागों द्वारा समयबद्ध तरीके से की जाये, जिससे आम जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं एंव अधिकार से वंचित नहीं रहे तथा मास्टर प्लान में प्रस्तावित सुनियोजित विकास की उपलब्धि हासिल की जा सके।

6.5 उपसंहार :–

रामगंजमण्डी का यह मास्टर प्लान (प्रारूप) आगामी 20 वर्षों के लिए तैयार किया गया है। अतः शहर का विकास चरण बद्ध तरीके के किया जाना आवश्यक है जिससे सुविधाओं का समुचित उपयोग किया जा सके। मास्टर प्लान अनुवर्तन कार्यक्रम के अन्तर्गत मास्टर प्लान क्षेत्र के चरणबद्ध विकास हेतु वांछित योजना निर्धारित समय में तैयार की जायेगी। मास्टर प्लान के प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु जन जागरूकता, जन सहयोग एवं स्थानीय निकायों व अन्य विभागों द्वारा मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

6.6 योजना का क्रियान्वयन :–

रामगंजमण्डी नगर के मास्टर प्लान में नगर में भावी नियोजित विकास हेतु आगामी 20 वर्षों (वर्ष 2031) तक के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं। स्थानीय निकाय मास्टर प्लान की सफल क्रियान्विति समयबद्ध, चरणबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों व तत्कालीन आवश्यकता के मद्देनजर सुगठित पंचवर्षीय योजना बनाकर करें। इस प्रकार स्थानीय निकाय आगामी 20 वर्षों के लिए चार चरणों में विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श कर एक कार्यकारी योजना तैयार करेगी व मास्टर प्लान की अनुवर्ती योजना के क्रम में विस्तृत योजना प्लान तैयार करवायेगी व उसकी क्रियान्विति नियोजित विकास की दृष्टि से करवायेगी। इस प्रकार विभिन्न चरणों में आवासीय, परिवहन, वाणिज्यिक व अन्य सुविधाओं आदि का विकास होगा।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण

अध्याय – 2

मास्टर प्लान

3. राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति :–

(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :–

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जायें तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और

(ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोनों की स्कीमें तैयार की जाये और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आए।

5. अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :–

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप से कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस से विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व

मास्टर प्लान के प्रारूप के संबंध में आक्षेप तथा सुझाव आमन्त्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के संबंध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर, जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अन्तिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।

(4) इस निमित बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अर्न्तवस्तु के संबंध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार

6. मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :–

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान तैयार किये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान करने का निदेश देते हुए, अस्वीकार कर सकेगी।

7. मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :–

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहाँ मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वाक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आ जायेगा।

राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) अधिनियम, 1962 के उद्धरण

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

[Notification No. F.4(32)LSG/A59, dated 2-4-1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraodinary dated 8-6-1962, Page 118].

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely:

RULES

1. **Short title and Commencement :**

(1) These rules may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules, 1962 "

(2) These rules shall come into force from their publication in the official gazette.

2. **Definitions' – In these rules, unless the subject of context otherwise requires :**

(1) "Act" means, The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959),

(2) "Trust" means a Trust as constituted under the Act,

(3) "Section" means a Section of the Act,

(4) Words and expression used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of draft Master Plan and the contents there-of under section 5 (i).

["(1) "The draft master plan prepared by the Officer or, the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy there-of available for inspection at the office of the trust concerned and publishing a notice in the form "A" in the official Gazette and in atleast two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggesations and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of publication of the said notice.2 [If the officer or authority appointed under section 3 of the

said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objection / suggestions with respect to the Draft of the Master Plan,"]2

(2) The notice referred to in the sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by Officer or the authority to each of the Local Body Operating in the area include in the Master Plan.

(3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans & documents, namely:-

(a) Town Map showing General Layout of the roads & streets in the town.

(b) Base Map showing the Generalised existing land use pattern, such as residential, commercial, Industrial, Public & Semi-public uses etc.

(c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the Urban area such as residential, commercial, Industrial, Public & Semi-public uses etc.

(d) Written anlaysis and written statement to support the proposals.

(e) Any other maps, plans or matter which the Officer or the authority deems fit or as the State Government may direct the Officer or the authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 :

[(1) After considering the objections, and representation which may be received by the Officer or the authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council [if constituted under Section 3(2) of the Act] finalise the Master Plan and submit the same to the State Government for approval.

(2) When the Master Plan has been approved by the State Government, it shall publish in the official Gazatte, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust / Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day".]

---

1. Subsituted by Clause 2 of Notification No. F.3(123)TP/36, 24-2-1970 vide C.S.R. 96 pub. in Raj. Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24-2-1970 at page 329-331.

2. Amended & Added vide Noti. No. F.7(19) TP/11/76 dated 21-09-1979 R.G. Pt. IV-C (i) dated 27-09-1979, page 339.

3. Substitued by Clause 3 of Notification No. F.3(23) Tp/63, dated 24-2-1970 vide G.S.R. 96 pub. in Raj. Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24-2-1970 at page 329-131.

4. Substituted vide No. F.9(101) UDH/111/83, dated 27-10-1983 pub. in Raj. Gaz. 4(Ga) (i) dated 16-2.1984 pages 829.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : पं. 10 (5) नविवि / 3 / 81 दिनांक : 07–03–2011

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 वर्ष 1959) की धारा (3) की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को रामगंजमण्डी, जिला कोटा के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :–

S.No.	Name of Revenue Village (in English)	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)
1	Amarpura	अमरपुरा
2	Amrit Kheri	अमृतखेड़ी
3	ArnyaKhurd	अरन्याखुर्द
4	Beermandi	बीडमंडी
5	Bhaopura	भावपुरा
6	BishanyKheri	बिशन्याखेड़ी
7	Deoli Khurd	देवलीखुर्द
8	Duhniya	दुहनियाँ
9	Goondi	गून्दी
10	Gordhanpura	गोरधनपुरा
11	HanumatKhera	हनुमतखेड़ा
12	Julmi	जुल्मी
13	Khairabad	खैराबाद
14	Kishorepura	किशोरपुरा
15	Kudayala	कुदायला
16	Kumbhkot	कुम्भकोट
17	Kutkya	कुटकिया

18	Lakhariya	लखारिया
19	Laxmipura	लक्ष्मीपुरा
20	Mandi Nathan	मण्डी नाथन
21	Mayala	मायला
22	Nalodiya	नालोदिया
23	Nimana	निमाणा
24	Peepa Kheri	पीपाखेड़ी
25	Rampurya	रामपुरा
26	Ravali	रावली
27	Rosali	रोंसली
28	Sandpur	सांडपुर
29	Satal Kheri	सातलखेड़ी
30	Sohan Khera	सोहनखेड़ा

राज्यपाल की आज्ञा से
— ह0 —
(पुरूषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलक्टर, कोटा।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका रामगंजमण्डी।
8. रक्षित पत्रावली।

— ह0 —
(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक

परिशिष्ट – 4

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : पं. 10 (5) नविवि / 3 / 81 दिनांक : 27–02–2012

संशोधित–अधिसूचना

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 10 (5) नविवि / 3 / 81 दिनांक 07–03–2011 द्वारा रामगंजमण्डी, जिला कोटा के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाने के लिए वरिष्ठ नगर नियेाजक, कोटा जोन, कोटा को नियुक्त किया गया है। उसमें आंशिक संशोधन करते हुए रामगंजमण्डी के नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित राजस्व ग्राम क्रमवार और सम्मिलित किये जाते है :–

क्र.सं.	हिन्दी	अंग्रेजी
31	दुर्जनपुरा	DURJANPURA

राज्यपाल के आदेश से
– ह0 –
(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
6. जिला कलक्टर, कोटा।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रामगंजमण्डी।
8. रक्षित पत्रावली।

– ह0 –
(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक

परिशिष्ट – 5

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(5)नविवि/3/81 जयपुर,दिनांकः 23 SEP 2013

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत् यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.08.2012 के द्वारा यथा अधिसूचित रामगंजमण्ड़ी के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान, 2031 की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, रामगंजमण्ड़ी, जिला कोटा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

– ह0 –
(एन. के. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, कोटा।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रामगंजमण्ड़ी, जिला कोटा।
8. रक्षित पत्रावली।

– ह0 –
(प्रदीप कपूर)
वरिष्ठ नगर नियोजक

परिशिष्ट–6

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(5)नविवि/3/81 जयपुर, दिनांक : 24 OCT 2013

संशोधित अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.09.2013 की चौथी पंक्ति में सहवन से अंकित, "समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.08.2012" के स्थान पर "समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.03.2011 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 27.02.2012" पढ़ा जावें।

एन. के. गुप्ता
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम
नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

राज्यपाल की आज्ञा से

(एन. के. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, कोटा।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
वरिष्ठ नगर नियोजक